

वार्षिक रिपोर्ट 2017-18



एन्ट्रिक्स
ANTRIX
एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

निदेशक-मंडल

श्री राकेश शशिभूषण
डॉ. एम. अन्नादुरई
डॉ. वाइ.वी.एन कृष्णमूर्ति (31.03.2018 तक)
श्री एस. कुमारस्वामी
श्री सी.एम. साने
डॉ. पी.जी. दिवाकर
श्री सुधीर कुमार जैन (02.11.2017 तक)
श्री एस. पांडियन

प्रबंधन दल

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
कार्यकारी निदेशक (प्रचालन)
निदेशक (प्रमोचन सेवाएँ एवं मिशन)
निदेशक (सूदूर संवेदी एवं आँकड़ा सेवाएँ)
निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)
प्रधान (सैटकॉम)
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री राकेश शशिभूषण
श्रीमती डी.आर.सुमा (25.05.2018 से)
श्री डी. राधाकृष्णन
श्री ए. अरुणाचलम
श्री के. पार्थसारथी
श्री बृजेश कुमार सोनी (10.01.2018 से)
श्री जी. अलगेसन

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स बी.वी.राव एवं कंपनी
चार्टरित लेखाकार
49-28-12, सत्यलक्ष्मी विनायक टॉवर
मधुरानगर
विशाखापट्टनम- 530 016

बैंकर

केनरा बैंक
आर.एम.वी. विस्तार शाखा
बेंगलूरु- 560 080

भारतीय स्टेट बैंक
डॉलर कॉलोनी शाखा
बेंगलूरु- 560 054

पंजीकृत कार्यालय

कॉर्पोरेट कार्यालय
अंतरिक्ष भवन
न्यू बी.ई.एल. रोड के निकट
बेंगलूरु- 560 094

विषयसूची

निदेशकगण की रिपोर्ट	1
आरक्षण	4
राजभाषा कार्यान्वयन	4
वार्षिक विवरणी सार	9
सी.एस.आर. क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट	15
लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट	19
लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट से संबंधित परिशिष्ट 'क'	21
लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट से संबंधित परिशिष्ट 'ख'	23
लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट से संबंधित परिशिष्ट 'ग'	25
भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	26
तुलनपत्र	28
लाभ तथा हानि लेखा	29
नकद प्रवाह विवरणी	30
एक्विटी में परिवर्तन की विवरणी	32
वित्तीय विवरणी के नोट	34
वित्तीय विवरणी के भाग के रूप में अन्य नोट	64

निदेशकगण की रिपोर्ट

आपके निदेशकगण को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के लेखापरीक्षित विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी) की टिप्पणी सहित छब्बीसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अतीव प्रसन्नता हो रही है।

कार्य निष्पादन संबंधी प्रमुख विशेषताएँ

वर्ष के दौरान, कंपनी का व्यापार ₹ 1988.30 करोड़ से बढ़कर ₹ 2039.33 करोड़ हो गया। ₹ 217.97 करोड़ की तुलना में कर पश्चात् लाभ ₹ 211.52 करोड़ है। वर्ष के दौरान, कंपनी का राजस्व लगभग 2.5% बढ़ा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वाणिज्यिक अंग के रूप में आपकी कंपनी ने अंतरिक्ष तकनीक को वाणिज्यिक उपयोग में लाती रही है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय ग्राहक नवोन्नत मनोरंजन, प्रौद्योगिकी तथा अन्य उपयोगों का आनन्द उठा रहे हैं। आपकी कंपनी, इसरो की अंतरिक्ष क्षमताओं को उपयोग में लाकर अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ विपणन भी कर रही है।

उपग्रह संचार प्रेषानुकर सेवाएँ

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष प्रभाव-क्षेत्र में स्वावलंबन प्राप्त करने एवं संचार, प्रसारण, सुदूर संवेदन, मौसम विज्ञान संबंधी एवं नौवहन सेवाओं के लिए संकेंद्रित है। उपग्रह संचार एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी ने अवसरों एवं बाज़ार की अपार संभावनाएँ प्रदान कर रखी है जिनसे देश की सामाजिक- आर्थिक परिदृश्य को बदलने में सहायता मिल सकती है। देश की सैटकॉम माँग में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है और वही स्थिति उपग्रह क्षमता की माँग की भी है। उपग्रह क्षमता की माँग का प्रमुख वाहक भारतनेट जैसे डिजिटल इंडिया के तहत मूर्धन्य कार्यक्रमों के ज़रिए डिजिटल क्रांति लाने के लिए की जा रही सरकारी पहल और नीतियाँ हैं जो देश के सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड संयोजन प्रदान करने के लिए अभिलक्षित है, जिसमें से लगभग 40,000 ग्राम पंचायतों को केवल उपग्रहों से ब्रॉडबैंड से जोड़ने की ज़रूरत है। जैसा कि उपग्रह बाज़ार नियमित सी/के.यू. बैंड क्षमता से उच्च संवेश प्रवाह स्पॉट बीम क्षमता की ओर रुख कर रहा है, इस कारण परिचालन क्षेत्र में उपयोग के लिए भरोसेमंद वृद्धि-दर दिखाई पड़ रही है। बाज़ार की माँग से प्रभावित होकर कई नियामक संकाय अंतःउद्धान संयोजन एवं नौवहन के लिए नीतिगत ढाँचे पर काम कर रहे हैं। इस विषय देश में दूरदर्शन की पहुँच मात्र 64-65% है जो लगभग 185-189 मिलियन घरों तक सीमित है। डी.टी.एच. सेवाओं की पहुँच मात्र 34-35% है और बाकी बचे बाज़ार में विभिन्न एमएसओ/एलसीओ के भौगोलिक नेटवर्क द्वारा सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपग्रह सेवाएँ मुख्यतः ग्रामीण/सुदूर ब्रॉडबैंड, सेलुलर बैकहॉलिंग एवं प्रसारण-क्षेत्रों में बहुत

बड़ी भूमिका निभाने जा रही हैं। जून 2017 के दौरान, जीसैट 17 उपग्रह के प्रमोचन के साथ एन्ट्रिक्स ने देश की दूरदर्शन एवं वीसैट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 24 सी बैंड, 2 निम्न सी बैंड तथा 12 उच्च सी बैंड प्रेषानुकर का समावेश किया है। कंपनी ने के.यू. बैंड में 17 डीएसएनजी प्रयोक्ताओं को विदेशी उपग्रहों से इन्सैट में स्थानांतरित किया है। आगे भी, बाकी बचे डीएसएनजी प्रचालकों एवं सरकारी वीसैट प्रचालक को स्थानांतरित करने के लिए भविष्य की योजनाएँ तैयार हैं। एन्ट्रिक्स, निकट भविष्य में, विभिन्न आँकड़ा अपेक्षित उच्च गति के ब्रॉडबैंड उपयोग को सेवाएँ देने के लिए अपने भू-स्टेशनों के साथ-साथ एच.टी.एस. वर्ग के उपग्रह जैसे-जीसैट 11, जीसैट 29, जीसैट 20 इत्यादि को प्राप्त करने के लिए आशान्वित है। साथ ही, भारत भर में विदेशी क्षमता से स्थानांतरण सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न डी.टी.एच. वर्ग के उपग्रहों की योजना तैयार है। वर्ष 2017-18 के दौरान, एन्ट्रिक्स ने विभिन्न भारतीय प्रयोक्ताओं के लिए 21.6 प्रेषानुकर का अतिरिक्त प्रावधान किया है। इन आबंटनों के साथ, भारतीय प्रयोक्ताओं को विभिन्न सेवाओं के लिए इन्सैट/जीसैट प्रणाली में 170 से अधिक प्रेषानुकर एवं विदेशी प्रचालकों से पट्टे पर लिए गए 105 प्रेषानुकर का प्रावधान किया गया है।

उपग्रह मिशन सहायक सेवाएँ

आपकी कंपनी विश्व भर में प्रतिष्ठित ग्राहकों को उपग्रह प्रचालन के लिए दूरमिति, अनुवर्तन तथा आदेश (टी.टी.सी) एवं अन्य संबंधित सेवाएँ प्रदान करती रही है। मेसर्स इंटेल्सैट के साथ अंतरण कक्षीय सहायक सेवाएँ (टी.ओ.एस.एस) प्रदान करने के करार के साथ, आपकी कंपनी ने मुख्य नियंत्रण सुविधा (एम.सी.एफ) के भू-स्टेशन के उपयोग से आमजोनस-5 एवं वायासैट-2 उपग्रहों के लिए टी.ओ.एस.एस को सहायता प्रदान की है। इस्ट्रैक के भू-स्टेशन का उपयोग मेसर्स स्वेडिश स्पेस कॉर्पोरेशन ग्राहक उपग्रह के लिए टी.टी.सी सहायता प्रदान करने के लिए किया गया। आपकी कंपनी ने केसैट, नॉर्वे मिशन के लिए भी टी.टी.सी सहायता प्रदान की। आपकी कंपनी, इसरो के भू-स्टेशन में स्थित अतिरिक्त क्षमता का सक्रियतापूर्वक विपणन कर रही है।

उपग्रह प्रणाली, नौवहन एवं परीक्षण सेवाएँ

आपकी कंपनी, उपग्रह प्रणाली, उपग्रह प्रणाली एवं परीक्षण सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ी व्यापार विकास की संभावनाएँ तलाश रही है। भारत में स्थित ग्राहकों के लिए सौर बैटरी एवं सौर संवेदक की सुपुर्दगी पूरी हो चुकी है। इसरो केंद्रों पर उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता का उपयोग कर भारतीय उद्योगों की परीक्षण आवश्यकताओं के लिए सुविधा प्रदान की गई है। आपकी कंपनी ने उपग्रह एवं संबंधित

भू-खण्ड की आदि से अंत तक प्राप्ति के लिए विदेशी एजेंसियों को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

आपकी कंपनी ने देश में नाविक आधारित उपयोग के लिए पारिस्थिकी विकास के क्षेत्र में पहल की है। इस दिशा में, एन्ट्रिक्स, विभिन्न पक्षों को नाविक मात्र एसपीएस अभिग्राही प्रतिरूपक, नाविक सी+ गगन/जीपीएस अभिग्राही प्रतिरूपक एवं नाविक मात्र निष्क्रिय एंटीना की आपूर्ति कर रही है। एन्ट्रिक्स ने उद्योगजगत् के माध्यम से नाविक संदेशवाहक अभिग्राही का निर्माण किया है जो अंत प्रयोक्ता समुदाय द्वारा व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त करेगी।

प्रमोचन सेवाएँ

दो पीएसएलवी मिशन जैसे-(i) 23 जून 2017 को 29 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह (1 माइक्रो एवं 28 नैनो उपग्रह) के साथ पीएसएलवी-सी 38/कार्टोसैट-2 सीरीज मिशन एवं (ii) 12 जनवरी 2018 को 28 ग्राहक उपग्रह (1 मिनी, 3 माइक्रो एवं 24 नैनो उपग्रह) के साथ पीएसएलवी-सी 40/ कार्टोसैट-2 सीरीज मिशन द्वारा 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 की अवधि में कुल 57 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह सफलतापूर्वक प्रमोचित किए गए।

आइआरएस संबंधी क्रियाकलाप

आपकी कंपनी ने, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की भू-प्रेक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपग्रह आँकड़ा उत्पादों का विपणन एवं भारतीय सुदूर संवेदी (आइआरएस) उपग्रह समूह की सेवाएँ डाउनलॉक करती रही है। वर्ष के दौरान, चार उपग्रहों के लिए

अंतर्राष्ट्रीय भू-स्टेशन प्रचालन जारी रखा गया। आपकी कंपनी ने, पहले वाले ग्राहक के करार के नवीनीकरण के प्रयास में है और विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर भू-स्टेशन/आइजीएस की स्थापना के लिए विचार-विमर्श कर रही है।

आपकी कंपनी ने विश्वभर में आइआरएस उत्पादों को प्रचारित करने के लिए तीन पुनः विक्रेता करार पर हस्ताक्षर किया है और आइआरएस उत्पादों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए और अधिक पुनः विक्रेता की तलाश की प्रक्रिया जारी रखे हुए है। आँकड़ा-प्रसार के अलावा, एन्ट्रिक्स, विश्वव्यापी ग्राहकों के लिए मूल्य आधारित सेवाएँ एवं क्षमता निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है।

दौरों का विनिमय

पिछले वर्ष के दौरान, 32 प्रतिनिधिमंडल, जिसमें प्रमोचन संबंधी विचार-विनिमय के लिए यूरोपीय देशों के अधिकांश ग्राहक शामिल हैं, ने एन्ट्रिक्स का दौरा किया। एक भरोसेमंद और समय पर प्रमोचन सेवा प्रदाता के तौर पर पीएसएलवी की स्थापना ने आपकी कंपनी को सिंगापुर जैसे देशों, जिसने पिछले वर्ष दो समर्पित प्रमोचन सेवा करार पर हस्ताक्षर किए, के साथ मज़बूत साझेदारी निभाने में मदद की है।

एन्ट्रिक्स प्रतिनिधिमंडल ने, आइएसी, एडेलेड, आस्ट्रेलिया में एक स्टॉल भी लगाया जिसने फ्लीट स्पेस टेक्नोलॉजी, आस्ट्रेलिया जैसे दमदार ग्राहक का ध्यान आकर्षित किया।

वित्तीय परिणाम

वित्तीय परिणाम	31.03.18 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31.03.17 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (₹ लाख में)
कुल आय	2,03,933.16	1,98,830.35
कुल व्यय	1,72,176.15	1,65,313.39
मूल्यहास एवं कर पश्चात् लाभ	31,757.01	33,516.96
असामान्य मद	-	-
जोड़िए: पूर्वावधि मद-आय/(व्यय)		
घटाइए: मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	(136.41)	(122.55)
घटाइए: कराधान के लिए प्रावधान	(10,923.99)	(11,047.37)
घटाइए: आस्थगित कर	454.67	(545.68)
वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ	21,151.28	21,801.36
अन्य व्यापक आय	1.08	(3.51)
कुल व्यापक आय	21,152.36	21,797.85
जोड़िए: पिछले वर्ष का अधिशेष	-	-
पुनर्वियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	21,152.36	21,797.85
सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरित	-	-
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालिक क्रियाकलाप रिज़र्व में स्थानांतरित	676.16	626.40
प्रस्तावित लाभांश	6,700.00	18,000.00
कॉर्पोरेट लाभांश कर	1,377.20	3,664.38
तुलनपत्र में स्थानांतरित लाभ तथा हानि लेखा का अधिशेष	12,399.00	(492.93)
कुल पुनर्विनियोजन	21,152.36	21,797.85

न्यूजलेटर

आपकी कंपनी की त्रैमासिक न्यूजलेटर 'इन्साइट' अपने पाठकों को कंपनी के क्रियाकलापों की उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराने में मददगार साबित हुई है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि इस प्रयास से ग्राहकों को बनाए रखने और ग्राहक आधार को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

शेयर की पुनः खरीदारी

समीक्षा वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप प्रदत्त पूँजी के 15% तक की पुनः खरीदारी का सहयोग प्रदान किया है। शेयर धारकों ने पुनः खरीदारी पर ₹ 39,820 प्रति शेयर मूल्य पर ₹ 100 प्रत्येक के 60,000 शेयर सुपुर्द किया जिसकी कुल राशि ₹ 238.92 रही, इस कारण प्रदत्त पूँजी घटकर ₹ 3,40,00,000/- रह गई।

बोनस शेयर का निर्गमन

समीक्षा वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अपनी उन्मुक्त अतिरिक्त निधि एवं अधिशेष द्वारा अपने शेयर धारकों को 1:1 के अनुपात में पूर्णरूपेण प्रदत्त बोनस शेयर के रूप में 3,40,000 एक्विटी शेयर निर्गमित किया। आपकी कंपनी की प्रदत्त पूँजी अब ₹ 6,80,00,000/- है।

लाभांश

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 27 मई, 2016 के ज्ञापन सं.एफ/5/2/2015 - नीति द्वारा जारी किए गए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुपालन में आपके निदेशकगण ₹ 680 लाख (पिछले वर्ष 180 करोड़) की प्रदत्त एक्विटी शेयर पूँजी पर 67 करोड़ के लाभांश की सिफारिश की है। यह 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पुनर्विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ का 30% सूचित करता है।

रिज़र्व में स्थानांतरित

वर्ष के दौरान, कंपनी, सामान्य रिज़र्व में कोई भी धनराशि रखने का प्रस्ताव नहीं रखती है।

आगामी दृष्टिकोण

अंतरिक्ष में नई व्यापारिक संभावनाओं को देखते हुए, संभावनाएँ, व्यापारिक मसलों एवं प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए सलाहकारों को नामज़द किया गया। अंतराल एवं संभावनाओं की पहचान के लिए पहली बार भारतीय सैटकॉम एवं जीएनएसएस बाज़ार का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन ने भारतीय दूरसंचार व्यापार एवं सैटकॉम सेवाओं की स्थिति तथा भूमिका से संबंधित बाज़ार-गतिकी की पैनी जानकारी दी है।

पिछले वर्ष, लघु उपग्रह प्रमोचन यान के निर्माण एवं विपणन के लिए एक पृथक अंग का सृजन किया गया। यह पहला मौका है जब एन्ट्रिक्स निर्माण के क्षेत्र में कदम बढ़ाने के निर्णय पर विचार कर रही है। बाज़ार एवं व्यापारिक मसलों के विश्लेषण के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की गई।

इसकी लागत-संबंधी योजना भी तैयार की गई। इन विश्लेषणों के सकारात्मक परिणाम एवं मंडल की अनापत्ति पर ही निवेश का निर्णय निर्भर करेगा। इसरो की लघु उपग्रह बसें - आइएमएस-1 एवं आइएमएस-3 के प्रौद्योगिकी अंतरण के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। एन्ट्रिक्स, भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसरो प्रौद्योगिकी के उपयोग से औद्योगिक क्षमता स्थापित करने के लिए अभिलक्षित है। एन्ट्रिक्स के लिए यह क्षमता, वैश्विक उपग्रह निर्माण बाज़ार के वाणिज्यिक दोहन के लिए निर्णायक साबित होगा।

निदेशकगण

दिनांक 02.11.2017 से श्री एस.के.जैन, निदेशक, आइ.आइ.टी., गाँधीनगर ने स्वतंत्र निदेशक के पद से त्यागपत्र दे दिया। डॉ. वाइ.वी.एन. कृष्णमूर्ति, निदेशक, एन.आर.एस.सी. अपने सेवाकाल के समापन के उपरांत दिनांक 31 मार्च, 2018 से आपकी कंपनी के मंडल से निदेशक के तौर पर पदमुक्त हो गए।

बोर्ड, श्री एस.के.जैन, एवं डॉ. वाइ.वी.एन. कृष्णमूर्ति, के कंपनी के निदेशक के तौर पर अमूल्य सेवा प्रदान करने के लिए इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता है।

मंडल की बैठकों की संख्या

वर्ष के दौरान, मंडल की चार बैठकें आयोजित की गईं।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निदेशकों के उत्तरदायित्व के विवरण के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (सी) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसरण में यह पुष्टि की जाती है कि:

- 31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की तैयारी में तात्त्विक विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है तथा उनको एकरूपता से लागू किया है और वित्तीय वर्ष के अंत में तथा समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के बारे में कंपनी की सच्ची और सही स्थिति दर्शाने हेतु विवेकपूर्ण और बुद्धिमानी से निर्णय लिए हैं एवं आकलन किए हैं;

- iii. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और बेईमानी का पता लगाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा संबंधी अभिलेखों के पर्याप्त अनुरक्षण हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;
- iv. निदेशकों ने “जारी व्यापार” के आधार पर 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार किए हैं;
- v. निदेशकों ने लागू होने वाले सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली की संरचना की है।

कॉर्पोरेट शासन

आपकी कंपनी, भारत सरकार और अन्य सांविधिक विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट शासन व्यवहारों के क्रियान्वयन की दिशा में पूर्ण प्रयास कर रही है। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने आपकी कंपनी को वर्ष 2016-17 के लिए “अत्युत्तम” की संज्ञा दी है।

वार्षिक विवरणी सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा 134(3)(ए) के अनुरूप एम.जी.टी.-9 फॉर्म में वार्षिक विवरणी सार संलग्न है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन विकास (सी.एस.आर. एवं एस.डी)

आपकी कंपनी में पूर्णरूपेण स्वीकृत सीएसआर नीति प्रचलन में है और समय-समय पर विभिन्न सीएसआर पहल जारी रखी जा रही है। आपकी कंपनी ने मंडलस्तरीय सीएसआर एवं एसडी समिति का भी गठन किया है जो प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रही है एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सिफारिश करती है। वर्ष के दौरान, किए गए सीएसआर क्रियाकलापों के विवरण अनुसूची-1 के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

लेखापरीक्षकगण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने दिनांक 27 जुलाई, 2017 के पत्र सं. सी.ए.वी/सीओआइ/केंद्र सरकार, एन्ट्रिक्स (1) / 264 द्वारा मेसर्स बी.वी.राव एवं कंपनी, चार्टरित लेखाकार को 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक लेखा के लेखापरीक्षण संचालित करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ब) के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी सहित दिनांक 16 जुलाई, 2018 की उनकी रिपोर्ट संलग्न है।

सावधि जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने जनता से किसी प्रकार

की जमा को न तो आमंत्रित किया है और न ही स्वीकार किया है।

कर्मचारियों के विवरण

वर्ष के दौरान या उस वर्ष के किसी भाग में किसी भी कर्मचारी को समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ है।

आरक्षण

कार्य प्रबंधन हेतु, इसरो/अं.वि. के कार्मिकों के अलावा, एन्ट्रिक्स में कार्मिक के तौर पर कुल दस (10) स्थाई कार्मिक [वर्ग क (तकनीकी) - 4, वर्ग क (प्रशासन) - 2, वर्ग ख (प्रशासन) - 4] कार्यरत हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति (अ.जा), अनुसूचित जनजाति (अ.जजा) एवं अन्य पिछड़े वर्ग तथा दिव्यांग जनों एवं भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधित्व की स्थिति चार थी।

जोखिम प्रबंधन नीति

यद्यपि, फिलहाल कंपनी किसी बड़े जोखिम से आशंकित नहीं है, तथापि भविष्य में आनेवाली ऐसी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपकी कंपनी में, मंडल द्वारा स्वीकृत व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा निर्गम

ऊर्जा संरक्षण एवं संबंधी दी जाने वाली सूचना शून्य है, क्योंकि कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से न तो किसी ऊर्जा का उपयोग किया है और न ही किसी विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात किया है।

राजभाषा कार्यान्वयन

भारत सरकार के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रयोग करती रही है।

वर्ष के दौरान, राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की इस वर्ष की नीति के निर्धारण हेतु बैठक हुई एवं कालदर्शिका का सृजन किया गया। सक्षम पदाधिकारियों ने कंपनी में हिन्दी के कार्यान्वयन का निरीक्षण किया। कंपनी ने तीन कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया जिससे कार्मिकों ने आवश्यक कुशलता प्राप्त की और इसतरह राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने में मदद मिली।

आपकी कंपनी की घरेलू पत्रिका “इन्साइट” द्वारा हिन्दी में आलेख की प्रस्तुति सुनिश्चित की जाती है और मुख्यबिंदु/शीर्षक द्विभाषी हैं।

आपकी कंपनी की वेबसाइट हिन्दी और अँगरेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिन्हें नियमित अंतराल पर अद्यतित किया जाता है। साथ ही, इसे अधिक विषय-वस्तु और बेहतर नज़रिए के साथ नया रूप देने का प्रयास किया जा रहा है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम (वास्तविक) निम्नानुसार हैं :

विदेशी मुद्रा अर्जन	राशि एफ ई (यूएसडी)	राशि एफ ई (यूरो)	सिंगापुर डॉलर	आस्ट्रेलिया डॉलर	₹ लाख में
निर्यात	7,252.00	-	-	-	4.63
तकनीकी परामर्शिता	14,43,186.05	-	-	-	921.87
प्रमोचन सेवाएँ	7,97,362.82	2,70,99,941.50	-	-	306.28
अन्य सेवाएँ	3,78,617.30	81,908.00	-	-	20,218.64
कुल	26,26,418.17	2,71,81,849.50	-	-	21,451.62
विदेशी मुद्रा अर्जन	राशि एफ ई (यूएसडी)	राशि एफ ई (यूरो)	सिंगापुर डॉलर	आस्ट्रेलिया डॉलर	₹ लाख में
यात्रा	1,907.87	260.00	5,180.00	4,300.00	6.14
आयात की लागत	13,94,961.43	-	-	-	902.12
तकनीकी सेवाओं की लागत	8,77,34,378.22	-	-	-	56,963.16
अन्य सेवाओं के एवज़ में (विधिक)	1,75,498.68	-	-	-	115.13
अन्य भुगतान के एवज़ में	2,44,102.11	3,09,256.94	-	-	378.36
कुल	8,95,50,848.31	3,09,516.94	5,180.00	4,300.00	58,364.91

आभारोक्ति

आपके निदेशकगण, अपने उत्पादों और सेवाओं के ग्राहकों तथा अन्य प्रयोक्ताओं से प्राप्त सहायता के लिए आभार प्रकट करने में अतीव प्रसन्नता महसूस करते हैं और आगामी वर्षों में भी उनसे सहायता की आशा करते हैं। आपके निदेशकगण, अन्य सरकारी विभागों तथा एजेंसियों, बैंकों एवं उद्योगों से प्राप्त सहयोग एवं सहायता के लिए उनका भी विशेष आभार प्रकट करते हैं।

आपके निदेशकगण, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के सफलतापूर्वक प्रचालन के लिए अंतरिक्ष विभाग, विविध इसरो केंद्रों

एवं आपकी कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मिकों के सहयोग और योगदान के लिए उनकी सराहना करते हैं।

निदेशक-मंडल के लिए
एवं उनकी ओर से

हस्ता/-

(राकेश एस)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक


स्थान : बेंगलूरु

तिथि: 16.07.2018


31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष से संबंधित निदेशकगण की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
<p>लेखा के प्रति टिप्पणी</p> <p>स्वबीमा निधि/योजना का रख-रखाव नहीं होना</p> <p>प्रमोचन करार के अनुच्छेद 12.3.1 के अनुसार, मृत्यु सहित शारीरिक चोट एवं तीसरे पक्ष की संपत्ति के नुकसान और हानि जो दोनों पक्ष या तीसरे पक्ष के ग्राहकों द्वारा धारित हैं, के लिए विधिक देयता के प्रति स्वबीमा द्वारा ग्राहक से कोई लागत वसूले बिना, कंपनी, राशि को सुरक्षित रखेगी और बढ़ाएगी।</p> <p>वर्ष 2016-17 के लिए, लेखा के लेखापरीक्षण पर यह टिप्पणी की गई थी और प्रबंधन ने यह भरोसा दिलाया था कि वह अंतरिक्ष विभाग (डीओएस)/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) से “स्वबीमा” के ज़रिए तीसरे पक्ष की देयता वहन करना सुनिश्चित करेगा। हालाँकि, प्रबंधन ने न तो अपने आश्वासन के अनुरूप डीओएस/इसरो से कोई दस्तावेज़ प्राप्त किया है और न ही लेखा के प्रति टिप्पणियों में “स्वबीमा” निधि के रख-रखाव नहीं होने से संबंधित वास्तविक स्थिति को प्रकट किया है।</p>	<p>प्रबंधन का उत्तर</p> <p>एन्ट्रिक्स ने वर्ष 2016-17 के लिए, लेखा के लेखापरीक्षण के दौरान यह भरोसा दिलाया था कि इस मामले को अंतरिक्ष विभाग(डीओएस)/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के समक्ष रखा जाएगा और यह सुनिश्चित करते हुए एक दस्तावेज़ प्राप्त किया जाएगा कि इसरो के प्रमोचन यान के उपयोग से समर्पित एवं सहयात्री ग्राहक उपग्रह प्रमोचन हेतु एन्ट्रिक्स द्वारा प्रमोचन सेवा करार के तहत ग्राहक उपग्रह प्रमोचन से संबंधित मृत्यु सहित शारीरिक चोट एवं तीसरे पक्ष के उत्पादों के नुकसान और हानि के लिए “स्वबीमा” नीति द्वारा विधिक देयता वहन की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष संधियों एवं सिद्धांतों के अनुसार, वह देश जो अंतरिक्ष के पदार्थ का प्रमोचन करता है, वही अंतरिक्ष के पदार्थ के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा। हालाँकि, पीएसएलवी प्रमोचन के लिए तीसरे पक्ष की देयता (टीपीएल) बीमा ज़रूरी नहीं से संबंधित एक दस्तावेज़ लेखापरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया था। इस कारण, लेखा के प्रति टिप्पणी में इससे संबंधित कोई टिप्पणी नहीं की गई थी।</p>


कुल आय (करोड़ रुपए में)



लाभांश (करोड़ रुपए में)



कर पश्चात् लाभ (करोड़ रुपए में)



फॉर्म सं. एम.जी.टी.-9

वार्षिक विवरणी सार

31.03.2018 को समाप्त वित्त वर्ष तक
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा
कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

- सी.आइ.एन.:- U85110KA1992GOI013570
- पंजीकरण तिथि: 28 सितम्बर, 1992
- कंपनी का नाम : एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- कंपनी का संवर्ग/उप संवर्ग : शेयर आधारित लिमिटेड कंपनी/केंद्र सरकार की कंपनी
- पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण :
एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय
अंतरिक्ष भवन
न्यू बी.ई.एल.रोड
बेंगलूरु-560094
- क्या कंपनी सूचीबद्ध है : नहीं
- निबंधक एवं हस्तांतरण एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई हों - लागू नहीं

II. कंपनी के प्रमुख व्यापारिक क्रियाकलाप :

कंपनी के कुल व्यवसाय (टर्नओवर) के 10 % या उससे अधिक योगदान देने वाले व्यापारिक क्रियाकलाप का उल्लेख किया जाएगा:-

क्रम सं.	प्रमुख उत्पाद/सेवाओं के नाम तथा विवरणी	उत्पाद/सेवाओं के एनआइसी कोड	कंपनी के कुल व्यवसाय (टर्नओवर) का प्रतिशत
1.	दूर-संचार एवं प्रसारण परियोजनाओं के लिए अभियांत्रिकी सेवाएँ	99833254	85.84
2.	भौगोलिक सूचना प्रणाली सेवाएँ	99831414	-
3.	अंतरिक्ष आधारित सेवाएँ	99653200	12.28

III. नियंत्रक, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों के विवरण-

शून्य

IV. शेयर धारिता प्रतिरूप (कुल एक्विटी के प्रतिशत के रूप में एक्विटी शेयर पूंजी विवरणी):

(i) वर्गानुरूप शेयर धारिता (लाख में)

शेयरधारक के वर्ग	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर की सं.				वर्ष के अंत में धारित शेयर की सं.				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का %	
ए. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
क) वैयक्तिक/ एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) केंद्र सरकार	0	4.00	4.00	100	0	6.80	6.80	100	70
ग) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
डं) कोई अन्य...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (ए) (1):-	0	4.00	4.00	100	0	6.80	6.80	100	70

(2) विदेशी									
क) आप्रवासी भारतीय - वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) अन्य - वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) बैंक / वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
डं) कोई अन्य...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग (ए) (2) :-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रवर्तक की कुल शेयर धारिता (ए) = (ए)(1)+(ए) (2)	0	4.00	4.00	100	0	6.80	6.80	100	70
बी. सार्वजनिक शेयर धारिता									
1. संस्थान									
क) म्यूचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) केंद्र सरकार / राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) उपक्रम पूँजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
डं) बीमा कंपनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) एफ.आइ.आइ.एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छ) विदेशी उपक्रम पूँजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ज) अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग (बी) (1):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. गैर-संस्थागत									
क) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) एक लाख रुपए तक की नाममात्र शेयर पूँजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयर धारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) एक लाख रुपए से अधिक की नाममात्र शेयर पूँजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयर धारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग (बी) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल सार्वजनिक शेयर धारिता (बी)=(बी) (1)+(बी)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सी. जी.डी.आर. एवं ए.डी.आर. के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग (ए+बी+सी)	0	4.00	4.00	100	0	6.80	6.80	100	70

(ii) प्रवर्तकों की शेयर धारिता (लाख में)

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता के % में परिवर्तन
		शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %	कुल शेयर से प्रतिभूत/ऋणग्रस्त शेयर का %	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %	कुल शेयर से प्रतिभूत/ऋणग्रस्त शेयर का %	
1	अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार	4.00	100%	शून्य	6.80	100%	शून्य	70
	कुल	4.00	100%	शून्य	6.80	100%	शून्य	70

(iii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया उल्लेख करें)(लाख में)

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %
1	वर्ष के आरंभ में	4.00	100%	6.80	100%
2	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरणार्थ, आबंटन/अंतरण/अधिलाभ/स्वेट एक्विटी इत्यादि) का उल्लेख करते हुए प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी:	शून्य			
3	वर्ष के अंत में	4.00	100%	6.80	100%

(iv) पहले दस शेयर धारकों की शेयरधारिता के प्रतिरूप (जी.डी.आर एवं ए.डी.आर के निदेशकों, प्रवर्तकों एवं धारकों के अलावा :

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %
	पहले 10 प्रत्येक शेयरधारकों के लिए				
	वर्ष के आरंभ में				
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरणार्थ, आबंटन/अंतरण/अधिलाभ/स्वेट एक्विटी इत्यादि) का उल्लेख करते हुए प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी:	शून्य			
	वर्ष के अंत में (या अलगाव की तिथि में, यदि वर्ष के दौरान अलगाव हुआ हो)				

(v) निदेशकगण एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों की शेयरधारिता:

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशकगण एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %
	वर्ष के आरंभ में	शून्य			
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरणार्थ, आबंटन/अंतरण/अधिलाभ/स्वेट एक्विटी इत्यादि) का उल्लेख करते हुए प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी:				
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/प्रोद्भूत ब्याज परन्तु भुगतान के लिए बाकी नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता:

	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता	शून्य			
i) मूलधन राशि				
ii) बकाया ब्याज परन्तु अप्रदत्त				
iii) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु बाकी नहीं				
कुल (i+ii+iii)				
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	शून्य			
• वृद्धि				
• कमी				
निवल परिवर्तन				
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) बकाया ब्याज परन्तु अप्रदत्त				
iii) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु बाकी नहीं				
कुल (i+ii+iii)				

VI. निदेशकगण एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के पारिश्रमिक

ए. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एम.डी./डब्ल्यू.टी.डी./प्रबंधक का नाम				कुल राशि
		सीएमडी	ईडी	ईडी(प्र)	---	
1.	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में शामिल प्रावधान के तहत वेतन	38,53,146	-	-		38,53,146
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) में शामिल प्रावधान के तहत अनुलब्धियों के मान	-	-	-		-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	4,34,106	-	-		4,34,106
2.	स्टॉक विकल्प					
3.	स्वेट एक्विटी					
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, उल्लेख करें।	शून्य				

5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें				
	कुल (ए)	42,87,162	-	-	42,87,162
	अधिनियम के अनुसार परिसीमन				

बी. अन्य निदेशकगण के लिए पारिश्रमिक:

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम		कुल राशि
	1. स्वतंत्र निदेशक • मंडलीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें			
	कुल (1)			
	2. अन्य गैर-सरकारी निदेशक • मंडलीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें		शून्य	
	कुल (2)	-	-	-
	कुल (बी)=(1+2)	-	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	42,87,162
	अधिनियम के अनुसार समग्र परिसीमन			

सी. एम.डी/प्रबंधक/डब्ल्यू.टी.डी के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के लिए पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति			
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	कुल
1	1. सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधान के तहत वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) में शामिल प्रावधान के तहत अनुलब्धियों के मान (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में लाभ				शून्य
2	स्टॉक विकल्प				
3	स्वेट एक्विटि				
4	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, उल्लेख करें।				
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें				
	कुल				

(VII) शास्ति/दंड/संयोजित अपराध

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरुपित शास्ति/दंड/संयोजित शुल्क का विवरण	प्राधिकार (आर.डी/ एन.सी.एल.टी न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
ए. कंपनी					
शास्ति			शून्य		
दंड					
संयोजित					
बी. निदेशक					
शास्ति			शून्य		
दंड					
संयोजित					
सी. भुगतान नहीं करने वाले अधिकारी					
शास्ति			शून्य		
दंड					
संयोजित					

वर्ष 2017-18 के लिए सी.एस.आर. क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार)

शुरू की गई परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों सहित कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर) नीति की संक्षिप्त रूपरेखा एवं सी.एस.आर नीति एवं परियोजनाओं या कार्यक्रमों से संबंधित वेबलिंग का संदर्भ :

1. एन्ट्रिक्स के सी.एस.आर कार्यक्रमों के मार्गदर्शी सिद्धांत का उद्भव स्वास्थ्य-देखभाल, स्वच्छता, साक्षरता, पर्यावरण एवं आर्थिक विकास के क्षेत्रों में विशिष्ट क्रियाकलापों के क्रियान्वयन द्वारा समाज के संपूर्ण विकास में योगदान देने की दूरदर्शिता के साथ हुआ है ।

एन्ट्रिक्स, विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों एवं सरकारी संगठनों के ज़रिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वैसे कार्यक्रमों का संचालन करती है जिनसे कालावधि विशेष में लोगों के जीवन की गुणवत्ता एवं आर्थिक संपन्नता के अभिवर्धन से विभिन्न समुदायों को लाभ मिला है । मुख्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर) क्रियाकलापों में दीर्घकालिक विकास, पेयजल, वंचित लोगों में शिक्षा का प्रसार, स्वच्छता, स्वास्थ्य-देखभाल, पर्यावरण दीर्घकालिकता, ग्रामीण विकास एवं विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कौशल-निर्माण शामिल हैं ।

संचालित की जाने वाली परियोजनाएँ, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के विस्तृत दायरे के भीतर ही होती हैं । सी.एस.आर नीति एवं कंपनी द्वारा संचालित की जाने वाली परियोजनाएँ या कार्यक्रम अधोलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं :

<http://www.antrix.co.in/sustainability/corporate-socialresponsibility-csr>

सी.एस.आर समिति का स्वरूप : कंपनी की अपनी मंडल-स्तरीय सी.एस.आर समिति है जो कंपनी की सी.एस.आर नीति के क्रियान्वयन के सर्वेक्षण एवं सी.एस.आर क्रियाकलापों के तहत संचालित की जाने वाली परियोजनाएँ एवं कार्यक्रम के अनुमोदन के लिए उत्तरदायी है । इस समिति के वर्तमान सदस्य हैं :

- श्री राकेश शशिभूषण, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एन्ट्रिक्स
- डॉ. पी.जी. दिवाकर, निदेशक, एन्ट्रिक्स

2. वित्तीय विवरणी :

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियम यह निर्धारित करते हैं कि प्रत्येक कंपनी, जिसकी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल संपत्ति ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक है या व्यापार ₹ 1,000 करोड़ या उससे अधिक है या शुद्ध लाभ ₹ 5 करोड़ या उससे अधिक है, उसे यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वित्त वर्ष में, पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान प्राप्त औसतन शुद्ध लाभ का कम-से-कम 2% अपनी सी.एस.आर नीति के अनुपालन पर खर्च करना है । कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सी.एस.आर से संबंधित निर्धारित प्रावधान एन्ट्रिक्स के लिए लागू हैं ।

(ख) वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित विवरण निम्नवत् हैं :

विवरण	राशि (₹ लाख में)
पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान कंपनी की औसतन शुद्ध लाभ	33,807.60
निर्धारित सी.एस.आर व्यय (उपर्युक्त संराशीकृत औसतन शुद्ध लाभ का 2%)	676.15
इस वित्त वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली कुल राशि	676.15
व्यय की गई राशि	696.31
व्यय नहीं की गई राशि	लागू नहीं

(ग) वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि का तरीका : अनुलग्नित

(घ) एन्ट्रिक्स, सी.एस.आर निधि के लिए अलग से एक बैंक खाता खोले हुए है और विगत वर्ष के दौरान सी.एस.आर हेतु आबंटित राशि से व्यय नहीं की गई राशि, भविष्य के सी.एस. आर भुगतान के लिए अग्रणीत की गई है ।

(डं.) यदि कंपनी पिछले तीन वित्त वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% या उसका कोई अंश व्यय करने में असमर्थ रहती है तो वह अपने मंडल की रिपोर्ट में राशि के व्यय नहीं होने के कारणों का उल्लेख करेगी - लागू नहीं है क्योंकि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान सी.एस.आर क्रियाकलापों के लिए आबंटित राशि खर्च कर दी गई है।

(च) सी.एस.आर समिति से एक जवाबदेह उद्धरण कि सी.एस.आर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सी.एस.आर के लक्ष्यों एवं नीति के अनुरूप हो रहे हैं।

हम एतद् द्वारा यह घोषणा करते हैं कि सी.एस.आर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सी.एस.आर के लक्ष्यों एवं नीति के अनुरूप हो रहे हैं।

हस्ता/-

(राकेश शशिभूषण)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु

तिथि : 16.07.2018

वित्तीय वर्ष 2018 में परियोजनाएँ एवं शीर्ष जिनके अंतर्गत लागत राशि व्यय की गई, निम्नलिखित हैं:

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	चिह्नित सीएसआर परियोजना या क्रियाकलाप	परियोजना में शामिल क्षेत्र	परियोजना/कार्यक्रम का स्थान : (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला	लागत-राशि (बजट)	विगत वर्ष व्यय की गई राशि	परियोजना/कार्यक्रम पर व्यय राशि, उपशीर्ष-(1) प्रत्यक्ष व्यय; (2) अतिरिक्त व्यय		रिपोर्टिंग अवधि तक संवधी व्यय	व्यय की गई राशि : प्रत्यक्ष या एजेंसी द्वारा
						प्रत्यक्ष व्यय	अतिरिक्त व्यय		
1	राष्ट्रीय खेल विकास के प्रोत्साहन के लिए योगदान	खेल	अखिल भारत	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	क्रियान्वयन एजेंसी : युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार
2	बालिका शिक्षा की सहायता हेतु उड़ान परियोजना के लिए योगदान	शिक्षा	अखिल भारत	12.78	0.00	12.78	0.00	12.78	क्रियान्वयन एजेंसी : केयर इंडिया
3	विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं उससे संबंधित क्रियाकलापों के लिए योगदान	शिक्षा	हासन जिला, कर्नाटक	60.00	30.00	30.00	0.00	60.00	क्रियान्वयन एजेंसी : एमसीएफ (इसरो)
4	विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं उससे संबंधित क्रियाकलापों के लिए योगदान	शिक्षा	तिरुनेलवेली एवं नागरकोइल जिला, तमिलनाडु	42.93	25.01	17.92	0.00	42.93	क्रियान्वयन एजेंसी : आइपीआरसी (इसरो)
5	विद्यालयों में 10 वर्षीय वैज्ञानिक कालदर्शिका की आपूर्ति	शिक्षा	मेघालय	2.00		2.00		2.00	क्रियान्वयन एजेंसी : एनई-सैक (इसरो)
6	विद्यालयों में जल-शुद्धिकरण संयंत्र की आपूर्ति	पेयजल	मेघालय	5.00		5.00		5.00	क्रियान्वयन एजेंसी : एनई-सैक (इसरो)
7	ऊपर रखी जाने वाली टंकी के निर्माण में योगदान	पेयजल	नेल्लूरु जिला, आंध्रप्रदेश	45.76	20.00	20.00		40.00	क्रियान्वयन एजेंसी : एसडीएससी-शार (इसरो)
8	ऊपर रखी जाने वाली टंकी के निर्माण	पेयजल	तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	73.30		44.90		44.90	क्रियान्वयन एजेंसी : आइपीआरसी (इसरो)
9	तेलंगाना के 'अन्नरम गाँव' में आवागमन की सुविधा प्रदान करना	ग्राम विकास	शादनगर जिला, तेलंगाना	150.00		75.00		75.00	क्रियान्वयन एजेंसी : एनआरएससी (इसरो)
10	आदर्श ग्राम विकास	ग्राम विकास	तुमकूरु जिला, कर्नाटक	381.13	61.41	100.13		161.54	क्रियान्वयन एजेंसी : बीएआइएफ, एनजीओ
11	जेल के केंद्रियों के कौशल विकास	कौशल विकास	तेलंगाना राज्य	8.88		2.67		2.67	क्रियान्वयन एजेंसी : जेल एवं सुधार सेवाएँ महानिदेशक
12	ग्रामीण महिला बुनकरों के कौशल विकास	कौशल विकास	बागलकोट एवं धारवाड़ जिला, कर्नाटक	33.00		19.80		19.80	क्रियान्वयन एजेंसी : महिला संरक्षण संस्था एवं गो-कूप
13	वेमबनाड सामाजिक-पारिस्थितिकी प्रणाली को बनाए रखने के लिए संकट आधारित संरक्षण हस्तक्षेप	वन एवं पर्यावरण	एलेप्पी जिला, केरल	272.70		45.24		45.24	क्रियान्वयन एजेंसी एनपी-एनजीओ

14	‘पॉवफिरा’ रोग से ग्रसित बच्चों के उपचार	स्वास्थ्य	कर्नाटक	15.00		5.76		5.76	क्रियान्वयन एजेंसी: क्योर इंडिया, कर्नाटक-एनजीओ
15	सात दृष्टिबाधित लोगों की आंखों की शल्यचिकित्सा	स्वास्थ्य	महाराष्ट्र	0.72		0.72		0.72	क्रियान्वयन एजेंसी: भारतीय दृष्टिहीन संगठन
16	दिव्यांग जनों के लिए सहायक उपकरण का वितरण	समाज कल्याण	कन्याकुमारी ज़िला, तमिलनाडु	118.83		83.18		83.18	क्रियान्वयन एजेंसी : एलिमको, सीपीएसयू
17	दिव्यांग, मानसिक रोगी, श्रवण बाधित जनों के कल्याण के लिए योगदान	समाज कल्याण	कोयमबतूर, तमिलनाडु	1.15		1.15		1.15	क्रियान्वयन एजेंसी : दिव्यांग जनों के लिए संयुक्त अनाथालय, एनजीओ
18	दिव्यांग जनों के लिए मोटरयुक्त पहियादार कुर्सी प्रदान करना	समाज कल्याण	तिरुवनंतपुरम ज़िला, केरल	0.65		0.65		0.65	क्रियान्वयन एजेंसी : एलिमको, सीपीएसयू
19	सशस्त्र सेना इंडा दिवस कोष (एएफ़डीएफ़) के लिए योगदान	सेनाएँ	अखिल भारत	10.00		10.00		10.00	क्रियान्वयन एजेंसी: केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी)
20	134 घरेलू शौचालयों का निर्माण	स्वच्छता	जोधपुर ज़िला, राजस्थान	49.40		29.64		29.64	क्रियान्वयन एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ एवं एमजीसीएस, जोधपुर
21	दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालय शौचालय का निर्माण	स्वच्छता	तिरुवनंतपुरम, केरल	0.98		0.49		0.49	क्रियान्वयन एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
22	सरकारी अस्पतालों, एपीएमसी यार्ड, ताल्लुक कार्यालय, नन्दी हिल में 6 सामुदायिक शौचालय का निर्माण	स्वच्छता	विकबल्लापुर ज़िला, कर्नाटक	150.33	136.23	14.10		150.33	क्रियान्वयन एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
23	आइजीआई बाल अस्पताल सामुदायिक शौचालय का निर्माण	स्वच्छता	तुमकूरु ज़िला, कर्नाटक	20.61	18.55	2.06		20.61	क्रियान्वयन एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
24	विद्यालय शौचालय का जीर्णोद्धार	स्वच्छता	तिरुनेलवेली ज़िला, तमिलनाडु	5.15	3.45	1.70		5.15	
25	6 ज़िला अस्पतालों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	स्वच्छता	अखिल कर्नाटक	206.84		150.21		150.21	क्रियान्वयन एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
26	सीएसआर परामर्शिता व्यय	अतिरिक्त व्यय		15.37			15.37	15.37	
27	अन्य अतिरिक्त व्यय	अतिरिक्त व्यय		0.84		0.00	0.84	0.84	
	कुल योग			1688.35	294.65	680.10	16.21	990.96	

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणी पर रिपोर्ट

हमने मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की संलग्न इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी का लेखा परीक्षण किया है जिसके साथ दिनांक 31 मार्च, 2018 तक का तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ तथा हानि का विवरण, नकद प्रवाह विवरणी एवं तब समाप्त हुए एक्विटी में परिवर्तन की विवरणी प्रमुख लेखा-नीतियों का सारांश और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी:

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 134 (5) में उल्लिखित बातों के अनुरूप इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी हेतु कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है, जो सामान्यतया भारत में स्वीकृत लेखा-विधि सिद्धांत, भारतीय लेखाविधि मानकों (इण्ड ए.एस. सहित) के साथ-साथ अधिनियम की धारा 133, के तहत संदर्भित जारी अधिनियम के पठ्य नियम के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित नकद प्रवाह एवं कंपनी की एक्विटी में परिवर्तन, वित्तीय निष्पादन की सच्ची एवं सही स्थिति दर्शाती है। इस जिम्मेदारी में, कंपनी की परिसम्पत्ति की रक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अनियमितताओं को पता लगाने एवं रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा-विधि, रिकार्डों का रख-रखाव; उचित लेखा-विधि नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; तार्किक एवं बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय एवं आकलन करना; और पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का आरेखन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जो लेखा-विधि रिकार्डों की सत्यता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रहे थे, वित्तीय विवरणी से संबंधित तैयारी एवं प्रस्तुति, जो धोखाधड़ी या इण्ड ए.एस. भूल से उत्पन्न तथ्यात्मक गलत विवरण से मुक्त, सच्ची एवं सही स्थिति दर्शाते हों जिन्हें उपर्युक्त इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी की तैयारी के उद्देश्य से उपयोग में लाया गया है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी:

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी पर विचार व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।

लेखा-परीक्षण करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा-विधि एवं लेखा परीक्षा तथा उन बातों का ख्याल रखा है जिसे विहित अधिनियम एवं नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के तहत शामिल करना जरूरी था।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत उल्लिखित लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी लेखा परीक्षा

की। उन मानकों के अनुसार हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक आवश्यकताओं को पूरा करें और अपेक्षित आश्वासन पाने के लिए लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें ताकि इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी तथ्यात्मक गलत विवरण से मुक्त हों।

किसी भी लेखा परीक्षा में, राशियों के बारे में लेखा परीक्षा प्रमाण जुटाने तथा इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के लिए निष्पादन-प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षण के निर्णय पर निर्भर करता है जिसमें इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी से या भूलवश दी गई तथ्यात्मक गलत विवरण के जोखिम का आकलन शामिल है। वैसे भी, जोखिम का आकलन करने में लेखा परीक्षक कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणों की स्पष्ट प्रस्तुति के लिए परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आरेखन पर विचार करते हैं न कि यह विचार रखने के लिए कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावोत्पादकता है या नहीं। लेखा परीक्षा में उपयोग में लाई गई लेखा-विधि नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा निदेशकमंडल द्वारा किए गए लेखा-विधि आकलनों की तर्कसंगतता, साथ ही, वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि जो लेखा-विधि प्रमाण हमने प्राप्त किया है, वह इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी पर अपने लेखा परीक्षा संबंधी विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

विशिष्ट मंतव्य :

हमारे विचार से तथा हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए विवरण के आधार पर, हमारी रिपोर्ट के भाग, विशिष्ट मंतव्य के आधार के रूप में वर्णित बातों को छोड़कर 31 मार्च, 2018 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति के इण्ड ए.एस. सहित एवं इसकी वित्तीय आय, नकद प्रवाह एवं समाप्त हुए वर्ष की एक्विटी में परिवर्तन सहित उपर्युक्त विवरणी भारत में सर्वमान्य लेखा-विधि सिद्धान्तों की आवश्यकताओं के अनुरूप सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण परिलक्षित करती है।

तथ्यात्मक महत्ता:

हम निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:-

- (क) नोट सं. 45(i)अ(iii)-आकस्मिक देयता के बारे में जो मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कंपनी के विरुद्ध दायर किए गए दावे से संबंधित विधिक कार्यवाही के परिमाण से संबंधित अनिश्चितता का वर्णन करता है।

- (ख) नोट संख्या 52 - सकल आधार पर अंतरिक्ष खंड क्षमता प्राप्ति एवं अंतरिक्ष खंड क्षमता प्रभार की स्वीकृति के वर्तमान प्रचलन पर आइसीएआइ की ईएसी मत को नहीं अपनाने के बारे में।
- (ग) नोट सं 57 - विभिन्न ग्राहकों से शेष की पुष्टि की अनुपलब्धता, ग्राहक की लेखा के लंबित सामंजस्य जिसके बारे में पुष्टि प्राप्त हुई थी, के बारे में।
- (घ) नोट सं. 59 - सरकारी विभागों / संगठनों से दीर्घ लंबित बकाया जिससे प्रावधान की अनिश्चितता परिलक्षित होती है, यदि कोई आवश्यक हो, के बारे में।
- (ङ) नोट सं. 60 - अप्रदत्त विवादित के.ए.वी.टी. देयता से संबंधित आगे दिए जाने वाले ब्याज का अप्रकटीकरण जिस कारण आकस्मिक देयता की न्यूनोक्ति हुई हो के बारे में।

उपर्युक्त मामलों में हमारा मतव्य विशिष्ट नहीं है।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

1. भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 से संबंधित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") यथा अपेक्षित आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में उल्लिखित विषय वस्तुओं पर अधोलिखित **परिशिष्ट-क** में हम विवरणी प्रस्तुत करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) हमने अपने ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर अपनी उपर्युक्त लेखा परीक्षा के लिए सभी सूचनाओं की माँग की एवं प्राप्त किया है;
 - ख) हमारे विचार से, उपर्युक्त वित्तीय विवरणी की तैयारी से संबंधित कंपनी के पास विधिसम्मत उपयुक्त लेखा-बही है, जैसा कि इनकी परीक्षाओं से परिलक्षित होता है।
 - ग) इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत, तुलनपत्र, लाभ तथा हानि लेखा, नकद प्रवाह विवरणी, एक्विटी में परिवर्तन की विवरणी खाता-बही के अनुरूप है।
 - घ) हमारे विचार से, उपर्युक्त इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी अधिनियम की धारा 133, में जारी संबंधित पठ्य अधिनियमों के अनुरूप है।

- ड) कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना सं.जी.एस.आर.463 (ई.) के अनुसार, धारा 164 (2) कंपनी के लिए लागू नहीं है।
- च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता से संबंधित एवं ऐसे नियंत्रण के परिचालन प्रभावोत्पादकता के लिए **परिशिष्ट-ख** में हमारे अलग से प्रस्तुत रिपोर्ट का संदर्भ लें। एवं
- छ) कंपनी (लेखापरीक्षण एवं लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल अन्य बातें, मेरे मतानुसार एवं हमारी सूचनाओं के आधार पर तथा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार, के संदर्भ में:-
- i. कंपनी ने अपनी इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मामलों से पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया है। - इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के नोट 48 का संदर्भ लें।
 - ii. व्युत्पन्न संविदा जिसके लिए भविष्य में कोई भौतिक हानि सहित कोई दीर्घावधि संविदा कंपनी के पास नहीं है, और
 - iii. कंपनी के पास कोई राशि नहीं है जिसे निदेशक शिक्षा एवं बचाव निधि में हस्तांतरित किया जाए।
3. अधिनियम की धारा 143 (5) द्वारा यथापेक्षित, हम **परिशिष्ट-ग** भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा विशिष्ट मामलों की विवरणी, प्रस्तुत करते हैं।

कृते मेसर्स बी.वी.राव एवं कं.एल.एल.पी.,

चार्टरित लेखाकार

प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.: 003118एस./एस.200049

स्थान: बेंगलूरु

दिनांक: 16.07.2018

हस्ता/-

(बी.ए.एस.पी.रंगा)

भागीदार

स.सं. 022649

लेखापरीक्षक रिपोर्ट की परिशिष्ट - क

(अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद -I से संदर्भित)

- (i) स्थाई परिसंपत्ति के संबंध में:
- क) कंपनी ने, अपनी स्थाई परिसंपत्ति के परिमाणात्मक विवरण तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण देते हुए उचित अभिलेख अनुरक्षित कर रखा है।
- ख) उचित अंतराल पर कंपनी प्रबंधन द्वारा कंपनी की स्थाई परिसंपत्ति की भौतिक जाँच हो चुकी है। हमें जानकारी दी गई है कि जाँच के दौरान सूची से मिलान करते समय कोई कमी नहीं पाई गई है।
- ग) हमें जो सूचना और स्पष्टीकरण मिले हैं तथा हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जाँच के आधार पर, अं.वि., भारत सरकार के साथ पट्टे पर जमीन का करार अपंजीकृत है।
- (ii) वस्तुसूची के संदर्भ में, वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन ने वस्तुसूची की वस्तुगत जाँच की और वस्तुगत जाँच के दौरान कोई कमी नहीं पाई गई।
- (iii) हमारे मत से एवं हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत भागीदारों या अन्य दलों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया है। अतएव, आदेश के अनुच्छेद 3 के उपबंध (i) (क), (ii) (ख), तथा (iii) (ग), कंपनी के लिए लागू नहीं है।
- (iv) हमारे मत से एवं हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 के तहत ऋण नहीं दिया है या निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी प्रतिभूति नहीं दिया है।
- (v) कंपनी ने, वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है। अतएव, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (vi) केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत अभिलेख के अनुरक्षण का उल्लेख नहीं किया है। इसप्रकार आदेश के अनुच्छेद 3 के खण्ड (vi) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
- (vii) सांविधिक बकायों से संबंधित प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार,
- (क) कंपनी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, केंद्रीय बिक्रीकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्द्धित कर, उपकर तथा उचित प्राधिकरणों के साथ कोई अन्य सांविधिक बकाया सहित गैर-विवादित सांविधिक बकाया को जमा करने में सामान्यतया नियमित रही है। हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2018 तक के लेखाओं के अनुसार, जब से देय है, तब से 6 महीने की अवधि से अधिक कोई गैर-विवादित सांविधिक बकाया बाकी नहीं है।
- (ख) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, विवाद के कारण, आयकर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं मूल्य संविद्धित कर जैसे अधोलिखित बकाये कंपनी द्वारा जमा नहीं कराए गए हैं:-
- (viii) हमारे मत से तथा हमारे पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, वर्ष के दौरान, कंपनी ने न तो बैंक/ वित्तीय संस्थानों से कोई

क्रम सं.	परिनियम के नाम	बकाया के प्रकार	राशि (₹ लाख में)	अवधि जिसके लिए यह बाकी है	न्यायालय जहाँ मामला लंबित है
1	वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय V	सेवा कर	567.11	01-07-2012 से 30-09-2015 तक	केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर अपीलीय न्यायालय (सी.ई.एस.टी.ए.टी.), बेंगलूरु
2	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005 एवं केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	के-वैट एवं केंद्रीय बिक्री कर	14,683.09	01-04-2005 से 31-07-2008 तक	माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय
3	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005 एवं केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	के-वैट एवं केंद्रीय बिक्री कर	27,429.82	01-08-2008 से 31-03-2010 तक	माननीय, कर्नाटक के उच्च न्यायालय
4	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005	के.वी.ए.टी.	96,415.06	01.04.2010 से 31.03.2014 तक	माननीय कर्नाटक के उच्च न्यायालय

राशि उधार ली है और न ही, कोई डिबेंचर जारी किया है। इसप्रकार आदेश के अनुच्छेद 3 के खण्ड (viii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

- (ix) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अगले सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण पत्रक सहित) द्वारा कोई उगाही नहीं की है और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से आवधि ऋण नहीं लिया है। इसप्रकार आदेश के अनुच्छेद 3 के खण्ड (ix) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
- (x) हमारी पुष्ट जानकारी एवं विश्वास तथा हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की कोई घटना या तो कंपनी द्वारा या इसके अधिकारियों द्वारा या कर्मचारियों द्वारा नहीं घटित हुई है।
- (xi) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463 (ई.) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार, धारा 197 लागू नहीं है। इसप्रकार आदेश के अनुच्छेद 3 के खण्ड (xi) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
- (xii) हमारे मत से तथा हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी, कोई निधि कंपनी नहीं है। इसप्रकार आदेश के अनुच्छेद 3 के खण्ड (xii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
- (xiii) हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की जाँच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ

अंतरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 एवं 188 का अनुपालन करते हैं। जहाँ, लागू होने वाले लेखा विधि मानकों द्वारा, यथापेक्षित इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी इत्यादि में ऐसे अंतरण उल्लिखित किए गए हैं।

- (xiv) कंपनी ने, वर्ष के दौरान, कोई अधिमन्य आबंटन या शेयरों का निजी स्थानन या पूर्णतः या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किया है। इसप्रकार आदेश के अनुच्छेद 3 के खण्ड (xiv) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
- (xv) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के तहत आने वाले निदेशकों या उनके साथ काम करने वाले व्यक्तियों से कंपनी ने नकद के अलावा कोई अंतरण नहीं किया है। इसप्रकार आदेश के अनुच्छेद 3 के खण्ड (xv) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
- (xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1 अ के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

कृते मेसर्स बी.वी.राव एवं कं.एल.एल.पी.,

चार्टरित लेखाकार

प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.: 003118एस./एस.200049

हस्ता/-

(बी.ए.एस.पी.रंगा)

भागीदार

स.सं. 022649

स्थान: बेंगलूरु

दिनांक: 16.07.2018

लेखापरीक्षक रिपोर्ट की परिशिष्ट-ख

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 31 मार्च, 2018 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण किया है जो उस तिथि तक समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की इण्ड ए.एस. वित्तीय लेखा के लेखापरीक्षण से संयोजित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

भारत के चार्टरित लेखाकार संस्थान (आइ.सी.ए.आइ.) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी हैं। इन उत्तरदायित्वों में व्यापार का सुचारू और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथापेक्षित कंपनी की नीतियाँ, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, लेखा-विधि अभिलेखों की सत्यता एवं पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर तैयारी भी शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपने लेखापरीक्षण पर आधारित अपना मत प्रकट करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (दिशानिर्देश नोट) पर आइ.सी.ए.आइ द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 140(10) के तहत विहित लेखा परीक्षण मानक के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया है, उस सीमा तक जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण हेतु लागू है और दोनों भारत के चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है। इन मानकों तथा दिशानिर्देश नोट के लिए यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित करने के लिए उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएँ तथा लेखा परीक्षण निष्पादित करें और यदि ये नियंत्रण भौतिक रूप से प्रभावशाली ढंग से प्रचालित किए गए।

हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय नियंत्रण से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षण प्रमाण एवं उनकी प्रभावोत्पादकता प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएँ

शामिल हैं। वित्तीय नियंत्रण की समझ, जोखिम या आकलन कि एक भौतिक कमजोरी विद्यमान है, और आकलित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन तथा प्रचालन प्रभावोत्पादकता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय, जिसमें धोखाधड़ी या भूल के कारण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी पर भौतिक गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम का आकलन शामिल है, पर निर्भर करता है।

हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षण प्रमाण जो हमने प्राप्त किया है वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षण मत व्यक्त करने के लिए आधार के तौर पर पर्याप्त एवं उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित उचित आश्वासन तथा सामान्यतया स्वीकृत लेखाविधि सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी की तैयारी प्रदान होती है। एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसंपत्ति के अंतरण एवं वितरण की सटीक एवं सही, उचित विवरण सहित, अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं। (2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि अभिलिखित अंतरण सामान्यतया स्वीकृत लेखा-विधि के अनुसार इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी तैयार करने की अनुमति हेतु आवश्यक है और कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय कंपनी के निदेशकों एवं प्रबंधन के प्राधिकार के अनुरूप तैयार किए जाते हैं। और (3) कंपनी की परिसंपत्ति की अनधिकृत प्राप्ति, उपयोग या वितरण से संबंधित समय पर पहचान या रोक थाम के लिए उचित आश्वासन प्रदान करती है जिसका इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी पर भौतिक प्रभाव पड़ता हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमन के कारण मिलीभगत की संभावनाओं या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन प्रत्यादेश के कारण, भूल या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी हो सकती है और जिसकी पहचान नहीं की जा सकती। साथ ही, भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग से

संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रक्षेप जोखिम भरा है। इस कारण, वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का स्तर घट सकता है।

विशिष्ट मंतव्य

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर और हमारे लेखापरीक्षण पर आधारित 31 मार्च, 2018 तक अधोलिखित भौतिक कमजोरियों की पहचान की गई है:

(क) ग्राहकों से बकाया की प्राप्तियों के मॉनीटरन पर जोर देने की आवश्यकता।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में, 'भौतिक कमजोरी' एक कमी या कमियों का योग होती है जिसके कारण ऐसी उचित संभावना बनती है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी को भौतिक गलतबयानी से बचाया नहीं जा सकता या समय पर उसकी पहचान नहीं हो सकती।

हमारे मत से, भौतिक कमजोरियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों पर उपरिवर्णित नियंत्रण मापदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि के सिवाय, कंपनी ने, सभी भौतिक अर्थों में, वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का पर्याप्त अनुरक्षण किया है और भारत के चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आधारित ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2018 तक प्रभावी ढंग से प्रचालित हो रहे थे।

हमने, कंपनी की 31 मार्च, 2018 की इण्ड.ए.एस. वित्तीय विवरणी में हमारे लेखापरीक्षण में ऊपर चिह्नित एवं रिपोर्ट की हुई भौतिक कमजोरी की प्रकृति के निर्धारण, समय और लेखापरीक्षण में प्रयुक्त जाँच की सीमा पर विचार किया है और ये भौतिक कमजोरियाँ कंपनी की वित्तीय विवरणी के बारे में हमारे मत पर कोई प्रभाव नहीं डालती।

कृते मेसर्स बी.वी.राव एवं कं.एल.एल.पी.,

चार्टरित लेखाकार

प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.: 003118एस./एस.200049

स्थान: बेंगलूरु

दिनांक: 16.07.2018

हस्ता/-

(बी.ए.एस.पी.रंगा)

भागीदार

स.सं. 022649

स्वतंत्र लेखापरीक्षा हेतु अनुसूची - सी

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश

	निर्देश	की गई कार्रवाई, वित्तीय विवरणी एवं लेखा पर पड़ने वाले प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशःपूर्ण स्वामित्व एवं पट्टे पर ज़मीन के लिए स्वामित्व अधिकार/पट्टा करार है? यदि नहीं तो कृपया पूर्ण स्वामित्व एवं पट्टे पर ज़मीन के क्षेत्रफल का उल्लेख करें जिसके लिए स्वामित्व अधिकार/ पट्टा करार उपलब्ध नहीं है।	कंपनी के पास अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.), भारत सरकार से पट्टे पर ली गई ज़मीन है जिस पर एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कार्यालय निर्मित है और कंपनी के पास अं.वि के साथ किया गया करार है।
2.	कृपया बताएँ कि ऋण/कर्ज़/ब्याज इत्यादि के अधित्याग/बट्टे खाते में डालने जैसा कोई मामला है? यदि हाँ, तो उसका कारण तथा शामिल राशि का उल्लेख करें।	वर्ष के दौरान ऋण/कर्ज़/ब्याज इत्यादि के अधित्याग/बट्टे खाते में डालने जैसा कोई मामला नहीं है।
3.	क्या तीसरे पक्ष के पास रखी वस्तुसूची एवं सरकार या अन्य प्राधिकृत संस्था से उपहार के रूप में प्राप्त परिसंपत्ति के उचित अभिलेख अनुरक्षित हैं?	जी हाँ, तीसरे पक्ष के पास रखी हुई वस्तुसूची के लिए उचित अभिलेख अनुरक्षित किए गए हैं। सरकार या प्राधिकृत संस्था से कोई उपहार/अनुदान के रूप में परिसंपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

कृते मेसर्स बी.वी.राव एवं कं.एल.एल.पी.,

चार्टरित लेखाकार

प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.: 003118एस./एस.200049

स्थान: बेंगलूरु

दिनांक: 16.07.2018

हस्ता/-

(बी.ए.एस.पी.रंगा)

भागीदार

स.सं. 022649

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में विनिर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य-ढाँचे के अनुसार एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणी तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षकगण, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानक के अनुसार स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा करते हुए इन वित्तीय विवरणियों पर अधिनियम की धारा 143 के तहत अपना विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है/हैं। दिनांक 16 जुलाई, 2018 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किए जाने के बारे में उल्लेख है।

मैंने, अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तरफ से 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणी की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य-संबंधी कागज़ात प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्राथमिक रूप से यह सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ एवं कुछ चुनिंदा परीक्षण तक ही सीमित है।

अपनी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों पर विशेष बल देना चाहूँगा जो मेरे संज्ञान में आई हैं और जो मेरी नज़र में, वित्तीय विवरणी एवं संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए ज़रूरी है।

लेखा के प्रति टिप्पणी

स्वबीमा निधि/योजना का रख-रखाव नहीं होना

प्रमोचन करार के अनुच्छेद 12.3.1 के अनुसार, मृत्यु सहित शारीरिक चोट एवं तीसरे पक्ष की संपत्ति के नुकसान और हानि जो दोनों पक्ष या तीसरे पक्ष के ग्राहकों द्वारा धारित हैं, के लिए विधिक देयता के प्रति स्वबीमा द्वारा ग्राहक से कोई लागत वसूले बिना, कंपनी, राशि को सुरक्षित रखेगी और बढ़ाएगी।

वर्ष 2016-17 के लिए, लेखा के लेखापरीक्षण पर यह टिप्पणी की गई थी और प्रबंधन ने यह भरोसा दिलाया था कि वह अंतरिक्ष विभाग (डीओएस)/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) से “स्वबीमा” के ज़रिए तीसरे पक्ष की देयता वहन करना सुनिश्चित करेगा। हालाँकि, प्रबंधन ने न तो अपने आश्वासन के अनुरूप डीओएस/इसरो से कोई दस्तावेज़ प्राप्त किया है और न ही लेखा के प्रति टिप्पणियों में “स्वबीमा” निधि के रख-रखाव नहीं होने से संबंधित वास्तविक स्थिति को प्रकट किया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

(हस्ता/-)

(मनीष कुमार)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा मंडल-IV

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 17.09.2018

विस्तृत वित्तीय विवरणी

31.03.2018 तक तुलनपत्र

राशि ₹ लाख में

विवरण	नोट सं.	31.03. 2018 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2017 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
परिसंपत्ति:			
(1) दीर्घकालीन परिसंपत्ति			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	4	1,334.85	1,383.24
(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्ति	5	53.37	68.10
(ग) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) ऋण	6	0.48	0.06
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	7	18,007.74	5,101.54
(घ) अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्ति	8	56,599.95	55,606.90
(ड.) अन्य कर परिसंपत्ति	9	14,580.51	12,120.47
कुल दीर्घकालीन परिसंपत्ति		90,576.90	74,280.31
(2) चालू परिसंपत्ति			
(क) सूची	10	186.14	
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) निवेश	11	2,526.89	21,252.68
(ii) व्यापार प्राप्तियाँ	12	96,365.87	61,673.15
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	13	1,307.97	5,713.22
(iv) अन्य बैंक बचत	14	84,912.23	1,15,146.50
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	15	4,611.98	5,469.72
(ग) अन्य चालू परिसंपत्ति	16	26,076.92	14,732.65
कुल चालू परिसंपत्ति		2,15,988.00	2,23,987.92
कुल परिसंपत्ति		3,06,564.90	2,98,268.23
एक्विटी एवं देयता:			
(1) एक्विटी			
(क) एक्विटी शेयर पूँजी	17	680.00	400.00
(ख) अन्य एक्विटी	18	1,28,687.80	1,58,881.81
कुल एक्विटी		1,29,367.80	1,59,281.81
(2) देयता			
दीर्घकालीन देयता			
(क) वित्तीय देयता			
(i) अन्य वित्तीय देयता	19	6,009.15	10,846.12
(ख) प्रावधान	20	103.59	78.79
(ग) अन्य दीर्घकालीन देयता	21	42,092.26	43,583.62
(घ) आस्थगित कर देयता (निवल)		956.48	1,411.15
कुल दीर्घकालीन देयता		49,161.48	55,919.68
चालू देयता			
(क) वित्तीय देयता			
(i) व्यापार देय	22	1,10,087.87	68,774.68
(ii) अन्य वित्तीय देयता	23	10,387.35	13,388.94
(ख) अन्य चालू देयता	24	7,558.67	901.92
(ग) प्रावधान	25	1.73	1.20
कुल चालू देयता		1,28,035.62	83,066.74
कुल एक्विटी एवं देयता		3,06,564.90	2,98,268.23

संलग्न नोट सं. 1 से 65 इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न समतिथीय रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी वी राव एवं कं एल.एल.पी
चार्टरित लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.003118एस/S/एस/S200049

(हस्ता/-)
(बी.ए.एस.पी रंगा)
भागीदार
आइसीएआइ सदस्य सं 22649

बेंगलूरु
तिथि: 16.07.2018

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(हस्ता/-)
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

बेंगलूरु
तिथि: 16.07.2018

(हस्ता/-)
(एस कुमारस्वामी)
निदेशक

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि लेखा

राशि ₹ लाख में

	विवरण	नोट सं.	31.03. 2018 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आँकड़े	31.03. 2017 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आँकड़े
I	प्रचालनों से राजस्व	26	1,93,227.32	1,87,170.70
II	अन्य आय	27	10,705.84	11,659.65
III	कुल आय (I + II)		2,03,933.16	1,98,830.35
IV	व्यय :			
	(i) प्रचालनों से राजस्व की लागत	28	1,67,282.45	1,59,842.90
	(ii) पूरे माल की खरीदारी	29	187.80	-
	(iii) माल की सूची में परिवर्तन	30	(186.14)	-
	(iv) कर्मचारी लाभ व्यय	31	635.99	545.06
	(v) वित्त लागत	32	237.38	230.05
	(v) मूल्यहास व संक्रामण व्यय		136.41	122.55
	(vi) अन्य व्यय	33	4,018.67	4,695.38
	कुल व्यय (IV)		1,72,312.56	1,65,435.94
V	विशिष्ट मद एवं कर पूर्व लाभ (III- IV)		31,620.60	33,394.41
VI	विशिष्ट मद		-	-
VII	कर पूर्व लाभ (V - VI)		31,620.60	33,394.41
VIII	कर व्यय:			
	(i) चालू कर :			
	क) वर्तमान वर्ष		11,015.00	11,132.00
	ख) पिछले वर्ष		(91.01)	(84.63)
	(ii) आस्थगित कर	34	(454.67)	545.68
IX	चालू प्रचालनों से उक्त अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)		21,151.28	21,801.36
X	अन्य व्यापक आय			
	A (i) सामग्री जिसे लाभ एवं हानि में पुनर्वगीकृत नहीं किया जाएगा।		1.65	(5.37)
	A (ii) सामग्री से संबंधित आयकर जिसे लाभ एवं हानि में पुनर्वगीकृत नहीं किया जाएगा।		(0.57)	1.86
XI	B (i) सामग्री जिसे लाभ एवं हानि में पुनर्वगीकृत किया जाएगा।			-
	B(ii) सामग्री से संबंधित आयकर जिसे लाभ एवं हानि में पुनर्वगीकृत किया जाएगा।			-
	कुल अन्य व्यापक आय/(हानि)		1.08	(3.51)
XII	उक्त अवधि के लिए कुल व्यापक आय (X+XI)(उक्त अवधि के लिए लाभ (हानि) तथा अन्य व्यापक आय शामिल)		21,152.36	21,797.85
XIII	प्रति एक्विटी शेयर आय (चालू प्रचालन के लिए):			-
	(1) मौलिक/समायोजित (₹)		2,879.39	2,946.13
	(2) अवमिश्रित (₹)		2,879.39	2,946.13

संलग्न नोट सं. 1 से 65 इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न समतिथीय रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी वी राव एवं कं एल.एल.पी
चार्टरित लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.003118एस/S/एस/S200049

(हस्ता/-)
(बी.ए.एस.पी रंगा)
भागीदार
आइसीएआइ सदस्य सं 22649

बेंगलूरु
तिथि: 16.07.2018

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(हस्ता/-)
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

बेंगलूरु
तिथि: 16.07.2018

(हस्ता/-)
(एस कुमारस्वामी)
निदेशक

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी

राशि ₹ लाख में

	31.03. 2018 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31.03. 2017 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	31,620.60	33,394.41
समायोजन:		
मूल्यहास	136.41	122.55
लाभांश आय	(1,306.22)	(832.67)
बैंक जमा राशि से प्राप्त ब्याज आय	(6,691.71)	(9,901.67)
अन्य	-	(5.37)
नकद एवं नकद समतुल्य की रूप में अपरिवर्तित विदेशी मुद्रा	(107.48)	5.12
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	1,320.43	1,905.01
पुनर्लिखित संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	(50.00)	-
कार्यरत पूँजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	24,922.03	24,687.37
परिसंपत्ति एवं देयता में परिवर्तन		
ऋण में (वृद्धि)/कमी	(0.42)	0.58
अन्य दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	(12,906.20)	(5.00)
अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	(993.05)	(2,665.88)
अन्य कर परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	(2,460.04)	(830.82)
वस्तु-सूची में वृद्धि/(कमी)	(186.14)	-
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	(35,963.15)	(14,243.10)
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	857.74	1,441.59
अन्य चालू परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	(11,344.27)	(3,077.14)
देयता में वृद्धि/(कमी)	38,665.35	(9,368.25)
प्रचालन-जनित नकद	591.84	(4,060.65)
घटाइए: आयकर प्रदत्त (निवल)	(10,923.99)	(11,047.37)
प्रचालनीय क्रियाकलापों से प्राप्त/(में प्रयुक्त) निवल नकद	(10,332.15)	(15,108.02)
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
अन्य बैंक शेषराशि में (वृद्धि)/कमी	30,234.27	27,865.07
स्थाई परिसंपत्ति की खरीद	(73.30)	(141.25)
निवेश की बिक्री/(खरीद)	18,725.79	(21,252.68)
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	1,306.22	832.67
बैंक में जमा से प्राप्त आय	6,691.71	9,901.67
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद	56,884.70	17,205.48
सी. वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
अंतरिम लाभांश सहित प्रदत्त लाभांश	(18,000.00)	(4,300.00)
वितरित लाभांश का कर भुगतान	(3,664.38)	(875.38)
शेयरों की खरीदारी के लिए भुगतान	(23,892.00)	-
शेयरों की खरीदारी के लिए कर भुगतान	(5,508.90)	-

राशि ₹ लाख में

वित्तीय क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद	(51,065.28)	(5,175.38)
नकद एवं नकद समतुल्य पर विनिमय दर परिवर्तनों के प्रभाव	107.48	(5.12)
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि	(4,405.25)	(3,083.03)
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य (नोट 13 का संदर्भ लें)	5,713.22	8,796.25
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य (नोट 13 का संदर्भ लें)	1,307.97	5,713.22
संलग्न नोट सं. 1 से 65 इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं		

हमारी संलग्न समतिथीय रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी वी राव एवं कं एल.एल.पी
चार्टरित लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.003118एस/S/एस/S200049

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(हस्ता/-)
(बी.ए.एस.पी रंगा)
भागीदार
आइसीएआइ सदस्य सं 22649

(हस्ता/-)
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(हस्ता/-)
(एस कुमारस्वामी)
निदेशक

बेंगलूरु
तिथि: 16.07.2018

बेंगलूरु
तिथि: 16.07.2018

31.03.2018 को समाप्त हुई अवधि के लिए एक्विटी में परिवर्तन की विवरणी

राशि ₹ लाख में

क. एक्विटी शेयर पूँजी		31.03. 2018 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2017 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
(i)	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष	400.00	400.00
(ii)	वर्ष के दौरान एक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	280.00	शून्य
(iii)	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	680.00	400.00

ख. अन्य एक्विटी	रिजर्व एवं अधिशेष												
	विवरण	सामान्य रिजर्व		पूँजी पुनर्लाभ रिजर्व (सांविधिक)		प्रतिधारित आय (अधिशेष)		कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालिक क्रियाकलाप निधि		अन्य व्यापक आय की अन्य सामग्री		कुल	
	31.03. 2018 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2017 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2018 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2017 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2018 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2017 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2018 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2017 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2018 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2017 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2018 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2017 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2018 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
(i)	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष	1,36,295.00	1,36,295.00	-	-	4,831.01	21,324.37	1,271.55	1,138.92	(5.59)	(9.10)	1,58,881.81	1,42,259.34
(ii)	लेखाविधि नीति या पूर्वावधि त्रुटि में परिवर्तन												
(iii)	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय												
(iv)	लाभंश												
(v)	प्रतिधारित आय का स्थानांतरण (वर्तमान अवधि के लाभ का स्थानांतरण)												
(vi)	कोई अन्य परिवर्तन: (क) अन्य रिजर्व - पूँजी पुनर्लाभ रिजर्व (सांविधिक) (ख) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालिक क्रियाकलाप व्यय (संलग्न सीएसआर विवरण के अनुसार)			60.00		493.77	(60.00)	(696.31)	(493.77)				(4,300.00) 21,151.28 21,801.36

राशि ₹ लाख में

(vi) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालिक क्रियाकलाप के लिए बजटीय आबंटन का अंतरण (संलग्न सीएसआर विवरण के अनुसार)	(676.16)	(626.40)	626.40	-	-	-	-	-	
(घ) वितरित लाभ पर कर (लाभांश वितरण कर)	(3,664.38)	(875.38)		(3,664.38)				(875.38)	
(ङ.) शेयरों की पुनः खरीदारी के लिए भुगतान	(23,832.00)			(23,832.00)					
(च) शेयरों की पुनः खरीदारी पर आयकर	(5,508.90)			(5,508.90)					
(छ) बोनस शेयर का निर्गमन	(1.08)		1.08				(3.51)	(3.51)	
(ज) उपदान के बीमाकन मूल्यांकन पर इण्ड एसएस मापन एवं उसपर कर का प्रभाव	(340.00)						(340.00)		
(vii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष संलग्न नोट सं. 1 से 65 इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं।	60.00	1,36,295.00	1,35,955.00	60.00	-	(8,570.56)	21,324.37	1,251.40	
									1,271.55
									(8.02)
									(9.10)
									1,28,687.80
									1,58,881.81

संलग्न नोट सं. 1 से 65 इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं

हमारी संलग्न समतिथीय रिपोर्ट के अनुसार कृते बी वी राव एवं कं एल.एल.पी चार्टरित लेखाकार

प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.003118एस/एस/S/एस/S200049

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(हस्ता/-)
(बी.ए.एस.पी. रंगा)
भागीदार

आईसीएआइ सदस्य सं 22649

बंगलूरु
तिथि: 16.07.2018

(हस्ता/-)
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

बंगलूरु
तिथि: 16.07.2018

(हस्ता/-)
(एस.कुमारस्वामी)
निदेशक

वित्तीय विवरणी के नोट

1. कंपनी का विहंगमावलोकन

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (“एन्ट्रिक्स” या “कंपनी”) भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम द्वारा विकसित उत्पादों तथा सेवाओं के विपणन में शामिल है। एन्ट्रिक्स, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। एन्ट्रिक्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का वाणिज्यिक अंग है।

एन्ट्रिक्स के व्यापारिक क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:

- संचार उपग्रह प्रेषानुकर का प्रावधान
- भारतीय सुदूर संवेदन (आइ.आर.एस.) हेतु अभिगमन प्रदान करना
- ग्राहक सेवाओं हेतु उपग्रह प्रमोचन सेवाएँ प्रदान करना
- भारतीय एवं विदेशी सुदूर संवेदन उपग्रहों से प्राप्त आँकड़ों का विपणन
- उपग्रह, उपग्रह उपप्रणाली एवं प्रमोचन यान उपप्रणाली का निर्माण एवं विपणन
- अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए संबद्ध भू-अवसंरचना स्थापित करना; तथा
- उपग्रह के लिए मिशन सहायता सेवाएँ।

2. तैयारी का आधार

(क) अनुपालन-विवरण

ये वित्तीय विवरणी प्रोद्भवन के आधार पर ऐतिहासिक लागत के तहत भारतीय लेखा मानक (इण्ड ए.एस.) के अनुरूप तैयार किए गए हैं सिवाय कुछ वित्तीय संलेखों के जिनका मापन उचित मूल्यों, कंपनी अधिनियम, 2013 (‘अधिनियम’) की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्य प्रावधानों के आधार पर किया गया है।

01 अप्रैल, 2016 से कंपनी ने इण्ड ए.एस मानक को अपनाया है और 01 अप्रैल, 2015 की अंतरण तिथि से भारतीय लेखाविधि मानक का अंगीकरण, पहली बार, इण्ड ए.एस 101 के अनुरूप क्रियान्वित किया गया। भारत में, यह अंतरण सामान्यतया स्वीकृत भारतीय लेखाविधि सिद्धान्तों (आइजीएपी), जैसा कि धारा 133 के तहत कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 द्वारा पठ्य (आइजीएपी), जो पहले जीएपी था, द्वारा क्रियान्वित किया गया।

वर्गीकरण विभाजन से संबंधित वित्तीय विवरणी इण्ड ए.एस.1,स वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति में समाविष्ट है। स्पष्टता के लिए, लाभ तथा हानि लेखा एवं तुलनपत्र में कई मद समेकित किए गए हैं। ये मद, वित्तीय विवरणी की नोट, जहाँ कहीं भी लागू हो, में अलग से रखे गए हैं।

जहाँ नए जारी किए गए लेखा मानक प्रारंभ में अपनाए गए हों या उस समय उपयोग में आने वाली लेखाविधि नीतियों में बदलाव के लिए विद्यमान लेखा मानक में संशोधन जरूरी हुआ हो, को छोड़ कर लेखाविधि नीतियाँ सुसंगत ढंग से लागू की गई हैं।

(ख) प्रकार्यात्मक एवं प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरणी भारतीय रुपए (₹), जो कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा है, में प्रस्तुत की गई है। सभी राशियाँ निकटतम लाख के मान में पूर्ण किए गए हैं।

(ग) आकलन एवं निर्णय के उपयोग

इण्ड ए.एस. के अनुरूप वित्तीय विवरणी की तैयारी में आकलन, निर्णय एवं पूर्वानुमान हेतु प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। ये आकलन, निर्णय एवं पूर्वानुमान परिसंपत्ति तथा देयता की राशि से संबंधित सूचना, वित्तीय विवरणी की तिथि तक आकस्मिक परिसंपत्ति तथा देयता के प्रकटीकरण एवं अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय की राशि से संबंधित सूचना को प्रभावित करते हैं।

आकलनों तथा अधोगत पूर्वानुमान की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। वह अवधि जब आकलनों को संशोधित किया जाता है और जब कोई भविष्य की अवधि प्रभावित होती है तब लेखाविधि आकलनों को संशोधन हेतु स्वीकार किया जाता है। विशेषकर, लेखाविधि नीतियों को लागू करने में आकलन के महत्वपूर्ण क्षेत्र, अनिश्चितता एवं समीक्षात्मक निर्णयों के बारे में सूचना जिसका वित्तीय विवरणी में स्वीकृत राशि पर अति महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, निम्नलिखित नोट में प्रकट किया गया है :

(i) राजस्व स्वीकृति:

कंपनी, स्थाई मूल्य संविदाओं के संबंध में प्रगति की पूर्णता के मापन हेतु संविदा में यथासहमत पूर्णता विधि की प्रतिशतता में क्रियाकलापों की पूर्णता के चरण/अंतिम लक्ष्य का उपयोग करती है। लेखाविधि में पूर्णता विधि की प्रतिशतता कुल अपेक्षित संविदा राजस्व एवं लागत के आकलन पर निर्भर करती है। इस विधि का अनुसरण तब किया जाता है जब संविदा के विभिन्न तत्वों के लिए लागू होने वाले राजस्व और लागत के पर्याप्त तौर पर भरोसेमंद आकलन तैयार किए जाते हैं। चूंकि, इन संविदाओं की वित्तीय सूचना आकलन पर निर्भर करती है जिसे इन संविदाओं की अवधि के दौरान नियमित रूप से आकलित किया जाता है, जैसे ही संविदा पूर्ण होने के कगार पर पहुँचती है वैसे ही स्वीकृत राजस्व और लाभ का संशोधन किया जाता है।

(ii) आयकर:

कर आकलनों में कर की स्थिति धारणीय होने की संभावना से संबंधित निर्णय सहित आयकर के लिए प्रावधानों को निश्चित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। कर आकलन एक जटिल प्रक्रिया है जिसका हल विस्तारित समयावधि में निकाला जा सकता है।

(iii) आस्थगित कर:

परिसंपत्ति एवं देयता तथा उनकी वाहित राशि के कर के मध्य उत्पन्न होने वाले निगम्य एवं कर-योग्य अस्थाई अंतर पर आस्थगित कर अभिलिखित किया जाता है, उस दर से जिसे रिपोर्टिंग तिथि तक क्रियान्वित या वास्तविक तौर पर क्रियान्वित किया गया है। अवधि के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति का अंतिम प्रापण भविष्य के करयोग्य लाभ के सृजन पर निर्भर करता है जिसमें वे अस्थाई अंतर और अग्रणीत कर हानि कटौती योग्य हो जाते हैं। कंपनी, इस आकलन को तैयार करने में आस्थगित कर देयता एवं भविष्य की प्रायोजित करयोग्य आय में उत्क्रमण पर विचार करती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति की स्वीकार्य मान्य राशि, हालाँकि, निकट काल में कम किया जा सकता है यदि अग्रणीत अवधि के दौरान भविष्य के करयोग्य आय के आकलन को कम किया जाता है।

(iv) पारिभाषित लाभ योजना एवं क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति:

पारिभाषित लाभ योजना की लागत, क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति एवं पारिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रायोजित यूनिट आकलन विधि का प्रयोग करता हुआ बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न पूर्वानुमान शामिल हैं जो भविष्य के वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इनमें छूट की दर, भविष्य में वेतन-वृद्धि एवं मृत्यु-दर शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं एवं इनकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, यह पारिभाषित लाभ दायित्व इन पूर्वानुमानों में परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील है। सभी पूर्वानुमानों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक समीक्षा की जाती है।

(v) वित्तीय परिसंपत्ति पर अपेक्षित ऋण हानि:

वित्तीय परिसंपत्ति का क्षति प्रावधान, भुगतान नहीं करने के जोखिम के बारे में पूर्वानुमान एवं संग्रहण के समय पर आधारित है। कंपनी अपने अतीत के इतिहास, ग्राहकों की लेनदारी क्षमता, बाज़ार की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक भविष्य के आकलनों के आधार पर क्षति की गणना के लिए इन पूर्वानुमानों तथा इनपुट के चयन में निर्णय का उपयोग करती है।

(घ) उचित मूल्य का मापन

वित्तीय एवं गैर-वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयता के लिए कंपनी की कुछेक लेखाविधि नीतियों तथा प्रकटीकरण हेतु उचित मूल्य का मापन आवश्यक होता है।

मूल्यांकन तकनीकों में उपयोग में लाई जाने वाली इनपुट के आधार पर उचित मूल्य के अनुक्रम में उचित मूल्य विभिन्न स्तरों पर वर्गीकृत किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

स्तर 1: समान परिसंपत्ति या देयता के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्य को छोड़कर इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए या तो प्रत्यक्ष (यानी मूल्य के रूप में) या अप्रत्यक्ष (यानी मूल्य से प्राप्त) के लिए प्रेक्षणीय है।

स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो प्रेक्षणीय बाज़ार के आँकड़े पर आधारित नहीं है (अप्रेक्षणीय इनपुट)

परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के मापन में, जहाँ तक संभव हो, कंपनी प्रेक्षणीय बाज़ार के आँकड़े उपयोग करती है। यदि, परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के मापन में प्रयुक्त इनपुट उचित मूल्य के अनुक्रम में विभिन्न स्तरों के तहत आती हैं, तब उचित मूल्य मापन पूरी तौर पर उचित मूल्य के अनुक्रम में समान स्तर में निम्नतम स्तर की इनपुट के तौर पर वर्गीकृत की जाती हैं जो पूरे मापन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं।

3. महत्वपूर्ण लेखाविधि नीतियाँ

(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(i) मान्यता एवं मापन

संचित मूल्यहास एवं संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का उल्लेख किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मद की लागत में व्यापार बट्टा, छूट और आयात शुल्क एवं अप्रतिदेय क्रय कर सहित, इनके क्रय मूल्य की कटौती के बाद, इसके अभिलक्षित उपयोग के लिए मद को कामकाजी स्थिति में लाने से संबंधित प्रत्यक्ष लागत को पुनः स्थापित करने के लिए आकलित लागत शामिल हैं।

यदि संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के महत्वपूर्ण अंगों का कोई अलग से उपयोगी जीवन है तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के इतर मद (प्रमुख घटक) में गिना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मद के निपटारे में किसी लाभ एवं हानि को लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।

(ii) इण्ड ए.एस. में अंतरण

इण्ड ए.एस. में संक्रमण पर, कंपनी ने पिछली जी.ए.ए.पी. के अनुसार मापित, 1 अप्रैल, 2016 तक अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वाहित मूल्य के साथ जारी रहने का निर्णय लिया है, और ऐसी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की विचारित लागत के वाहित मूल्य का उपयोग करेगी (नोट 4 देखें)।

(iii) परवर्ती व्यय

परवर्ती व्यय पूँजीकृत तभी किया जाता है जब ऐसी संभावना हो कि व्यय से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आयेंगे।

(iv) मूल्यहास

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार, सरल रेखा विधि का उपयोग करते हुए उनके आकलित उपयोगी जीवन के ऊपर मूल्यहास प्रभारित किया गया है। 0.05 लाख से कम लागत वाली परिसंपत्ति का शेष मूल्य परिसंपत्ति की मूल लागत का 0% होता है और अन्य सभी परिसंपत्तियों के लिए, परिसंपत्ति के शेष मूल्य परिसंपत्ति की लागत के 1% होते हैं। 1% के शेष मूल्य को परिसंपत्ति को अधिकतम सीमा तक कम करने के लिए प्रतिफलित किया जाता है।

(ख) अमूर्त परिसंपत्ति

संचित परिशोधन एवं क्षति को घटाकर लागत पर अमूर्त परिसंपत्ति का उल्लेख किया जाता है। आकलित उपयोगी जीवन/परिशोधन अनुज्ञाप्ति की अवधि है और इसके न होने की स्थिति में 5 वर्ष है। यह सरल रेखा विधि द्वारा परिशोधित किया जाता है।

(ग) वस्तुसूची

कच्चा माल, कार्य-प्रगति एवं परिसज्जित माल निम्न-लागत तथा आकलित प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं। माल की लागत का निर्धारण पहले डालो, पहले निकालो सूत्र के आधार पर किया जाता है और इसमें सामान-सूची प्राप्त करने में लगे व्यय और उन्हें उनके वर्तमान स्थान एवं स्थिति में लाने में लगी अन्य लागत शामिल हैं। कार्य-प्रगति एवं परिसज्जित माल की लागत में रूपांतरण की लागत शामिल है।

(घ) राजस्व

(i) बिक्री

राजस्व, सभी परोक्ष करों से निवल, तभी स्वीकार किए जाते हैं जब माल ग्राहकों अथवा उनके द्वारा निर्धारित / ठेके पर दी गई परियोजना को सौंपा जाता है। हालाँकि, यदि ग्राहक के अनुरोध पर सुपुर्दगी में विलम्ब होता है और ग्राहक यह जिम्मेदारी लेकर बिल स्वीकार कर लेता है तो राजस्व स्वीकार कर लिए जाते हैं। यद्यपि भौतिक रूप से माल की सुपुर्दगी नहीं की गई तथापि यह आशा की जाती है कि माल सुपुर्दगी के लिए हस्तगत, चिह्नित एवं तैयार है और सुपुर्दगी कर दी जाएगी और, यदि संस्थापना/निरीक्षण किए जाने की शर्तों के निमित्त हो तो राजस्व को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि ग्राहक सुपुर्दगी स्वीकार नहीं कर ले और संस्थापना/निरीक्षण पूरा न हो जाए।

(ii) सेवाएँ

(अ) प्रमोचन, संस्थापन, अभिचालन और परीक्षण

संविदा में सहमत लागत के संदर्भ के अनुरूप अंतिम लक्ष्य/काम के पूरा के बाद ही सभी परोक्ष करों से निवल राजस्व स्वीकार किए जाते हैं।

(ब) अभिगम शुल्क, अंतरिक्ष खंड, मिशन सहायता इत्यादि

चाहे एक बार की सेवा हो या आवर्ती सेवा, उसे प्रदान करने या समय-समय पर संविदा के अनुरूप सेवा की प्रकृति के आधार पर सभी परोक्ष करों से निवल राजस्व एक बार स्वीकार किए जाते हैं ।

(स) परामर्शिता

परामर्शिता प्रदान करने या समय-समय पर संविदा के अनुरूप परामर्शिता की प्रकृति के आधार पर सभी परोक्ष करों से निवल राजस्व एक बार स्वीकार किए जाते हैं ।

(iii) सम्मिश्र संविदा

उपर्युक्त मद (i) एवं (ii) में उल्लिखित नीति के अनुरूप सम्मिश्र संविदा के प्रत्येक मद के लिए राजस्व स्वीकार किए जाते हैं ।

(iv) अन्य आय

(अ) ब्याज

ब्याज से आय प्रोद्भवन के आधार पर स्वीकार की जाती है । जबकि ब्यापार प्राप्तियों पर ब्याज से प्राप्त आय प्राप्ति के आधार पर स्वीकार किया जाता है ।

(ब) रॉयल्टी

ग्राहकों से प्राप्त स्वीकृति पर आधारित रॉयल्टी की गणना प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है ।

(स) निवेश से प्राप्त लाभांश

निवेश से प्राप्त लाभांश तब स्वीकार किया जाता है जब भुगतान पाने के लिए कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है ।

(ड.) विदेशी मुद्रा अंतरण

(i) प्रारंभिक स्वीकृति

अंतरण की तिथि तक विनिमय दर को लागू कर प्रकार्यात्मक मुद्रा में विदेशी मुद्रा अंतरण अभिलिखित किए जाते हैं ।

विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता रिपोर्टिंग तिथि तक विनिमय दर से प्रकार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किए जाते हैं । गैर-मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के आधार पर मापन किया जाता है, उन्हें पुनः परिवर्तित नहीं किया जाता है । लाभ तथा हानि लेखा में विनिमय अंतर को स्वीकार किया जाता है ।

(च) वित्तीय संलेख

(i) स्वीकृति एवं आरंभिक मापन

व्यापार प्राप्तियाँ प्रारंभिक रूप से तभी स्वीकृत होते हैं जब वे उद्भूत होते हैं । बाकी सभी वित्तीय परिसंपत्ति एवं वित्तीय देयता प्रारंभिक रूप से तभी स्वीकृत होते हैं जब कंपनी संलेख के संविदात्मक प्रावधानों के भागीदार बनती है ।

वित्तीय परिसंपत्ति एवं वित्तीय देयता प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर मापित होते हैं । लेन-देन लागत जो सीधे तौर पर अधिग्रहण या निर्गमन से संबंधित होते हैं, उन्हें तत्काल लाभ और हानि लेखा के ज़रिए उचित मूल्य पर लेखा-विधित किया जाता है ।

(ii) वर्गीकरण एवं परवर्ती मापन

(अ) वित्तीय परिसंपत्ति :

प्रारंभिक स्वीकृति पर वित्तीय परिसंपत्ति को मापित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है :

- परिशोधित लागत
- एफ.वी.टी.पी.एल (लाभ तथा हानि द्वारा उचित मूल्य)
- एफ.वी.ओ.सी.आइ (अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य)

वित्तीय परिसंपत्ति अपनी प्रारंभिक स्वीकृति के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाती सिवाय उस अवधि के दौरान जब कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए अपने व्यापार-प्रारूप को परिवर्तित करती है ।

वित्तीय परिसंपत्ति परिशोधित लागत पर मापित की जाती है यदि यह दोनों निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है और एफ.वी.टी.पी.एल. के तौर पर निर्दिष्ट नहीं है :

- एक व्यापारिक प्रारूप के अंदर परिसंपत्ति रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह को संग्रहित करने के लिए परिसंपत्ति को धारित रखना है।
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्त किसी विशिष्ट तिथि में नकद प्रवाह का सृजन करती है जो बचे हुए मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूर्णतः भुगतान होती है।

ऋण निवेश एफ.वी.ओ.सी.एल. पर मापित किया जाता है यदि यह दोनों निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है और एफ.वी.टी.पी.एल. के तौर पर निर्दिष्ट नहीं है :

- एक व्यापारिक प्रारूप के अंदर परिसंपत्ति रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह को संग्रहित कर और वित्तीय परिसंपत्ति को बेचकर प्राप्त किया जाता है।
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्त किसी विशिष्ट तिथि में नकद प्रवाह का सृजन करती है जो बचे हुए मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूर्णतः भुगतान होती है।

एक्विटी निवेश की प्रारंभिक स्वीकृति जिसे व्यापार के लिए धारित नहीं किया गया है, कंपनी, ओ.सी.आइ में निवेश के उचित मूल्य में अप्रत्यादेय तौर पर परवर्ती परिवर्तन के लिए चयन कर सकती है (एफ.वी.ओ.सी.आइ. के रूप में निर्दिष्ट-एक्विटी निवेश)। यह चयन निवेश-दर-निवेश आधार पर किया जाता है।

सभी वित्तीय परिसंपत्ति जो परिशोधित लागत या एफ.वी.ओ.सी.एल. पर मापित के रूप में वर्गीकृत नहीं की जाती हैं उन्हें एफ.वी.टी.पी.एल. पर मापित किया जाता है।

एफ.वी.टी.पी.एल. पर वित्तीय परिसंपत्ति	ये परिसंपत्ति बाद में उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं। किसी ब्याज या लाभांश आय सहित शुद्ध लाभ और हानि को लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।
एफ.वी.ओ.सी.एल. पर ऋण निवेश	ये परिसंपत्ति बाद में उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं। प्रभावी ब्याज विधि के तहत ब्याज से आय, विदेशी विनिमय से लाभ तथा हानि और क्षति लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किए जाते हैं। अन्य शुद्ध लाभ तथा हानि ओ.सी.आइ. में स्वीकार किए जाते हैं। अस्वीकृति की स्थिति में, ओ.सी.आइ. में जमा लाभ तथा हानि लाभ एवं हानि लेखा के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाते हैं।
एफ.वी.ओ.सी.आइ. में एक्विटी निवेश	ये परिसंपत्ति बाद में उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं। निवेश की लागत के भाग के रूप में वापसी को इंगित करते हुए लाभांश को छोड़कर अन्य लाभांश को लाभ तथा हानि लेखा में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है। अन्य शुद्ध लाभ तथा हानि ओ.सी.आइ. में स्वीकार किए जाते हैं और लाभ एवं हानि लेखा के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाते हैं।
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति	प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से ये परिसंपत्ति बाद में परिशोधित लागत पर मापित किए जाते हैं। यह परिशोधित लागत क्षति हानि द्वारा कम किया जाता है। ब्याज से आय, विदेशी विनिमय से लाभ तथा हानि और क्षति लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किए जाते हैं। अस्वीकृति की स्थिति में किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि लेखा के रूप में स्वीकार किया जाता है।

(ब) वित्तीय देयता :

वित्तीय देयता परिशोधित लागत या एफ.वी.टी.पी.एल. पर मापित की जाती हैं। किसी वित्तीय देयता को एफ.वी.टी.पी.एल. पर मापित तभी किया जाता है जब इसे व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एफ.वी.टी.पी.एल. पर वित्तीय देयता उचित मूल्य एवं किसी ब्याज व्यय सहित शुद्ध लाभ तथा हानि में मापित की जाती हैं और लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार की जाती हैं। प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से अन्य वित्तीय देयता बाद में परिशोधित लागत पर मापित की जाती हैं। ब्याज व्यय एवं विदेशी विनिमय लाभ तथा हानि, लाभ एवं हानि लेखा में स्वीकर किए जाते हैं। अस्वीकृति की स्थिति में किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।

(iii) अस्वीकृति

(अ) वित्तीय परिसंपत्ति :

कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को अस्वीकार करती है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकद प्रवाह का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या यह संविदात्मक नकद प्रवाह को प्राप्त करने के लिए अधिकार को लेन-देन में अंतरित कर देती है जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के संपूर्ण जोखिम तथा पुरस्कार अंतरित होते हैं या जिसमें कंपनी स्वामित्व के संपूर्ण जोखिम तथा पुरस्कार को न तो अंतरित या मूल रूप से धारित करती है और वित्तीय परिसंपत्ति के नियंत्रण को धारित नहीं करती है।

(ब) वित्तीय देयता :

कंपनी वित्तीय देयता को अस्वीकार करती है जब इसका संविदात्मक दायित्व पूरा या निरस्त या समाप्त हो जाता है ।

कंपनी वित्तीय देयता को तब भी अस्वीकार करती है जब इसकी शर्तें संशोधित की जाती हैं और संशोधित शर्तों के तहत नकद प्रवाह मूल रूप से अलग होते हैं । समाप्त हो चुकी वित्तीय देयता की वाहित राशि और संशोधित शर्तों के साथ नई वित्तीय देयता का अंतर लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।

(छ) क्षति

(i) वित्तीय संलेख की क्षति

कंपनी संभावित ऋण हानि के लिए इन पर हानि भत्ता को स्वीकार करती है:

- परिशोधन लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्ति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या परिशोधित लागत पर वाहित वित्तीय परिसंपत्ति ऋण-क्षतिग्रस्त है? वित्तीय परिसंपत्ति ऋण-क्षतिग्रस्त तब होती है जब एक या अधिक अवसर जिसका वित्तीय परिसंपत्ति के भविष्य के आकलित नकद प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है ।

वह प्रमाण कि वित्तीय परिसंपत्ति ऋण-क्षतिग्रस्त है, में निम्नलिखित प्रेक्षणीय आँकड़े शामिल हैं :

- लेनदार या देनदार की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई
- करार भंग होना जैसे चूक या 365 दिनों या उससे अधिक के लिए बाकी
- उन शर्तों पर कि कंपनी द्वारा ऋण या अग्रिम की पुनर्चना पर कंपनी विचार नहीं करेगी
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रतिभूति के लिए सक्रिय बाज़ार का गायब होना

केंद्र/राज्य सरकार, केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, केंद्र/राज्य सरकार की स्वायत्त संस्था एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास बकाए, जिनके लिए प्रावधान/हानि भत्ता का मापन एक प्रकरण से दूसरे प्रकरण के आधार पर किया जाता है, को छोड़कर व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ता का मापन हमेशा अपेक्षित जीवनकाल के बराबर की राशि पर किया जाता है ।

(ii) गैर-वित्तीय परिसंपत्ति की क्षति

अन्य कर परिसंपत्ति को छोड़कर कंपनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्ति की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या क्षति के कोई संकेत हैं ? यदि इस तरह के कोई संकेत दिखते हैं तो परिसंपत्ति की वापस योग्य राशि का आकलन किया जाता है ।

क्षति परीक्षण के लिए, परिसंपत्ति जो स्वतंत्र नकद अंतर्प्रवाह सृजित नहीं करती उन्हें नकद-सृजन इकाइयों(सी.जी.यू.) में वर्गित किया जाता है । प्रत्येक सी.जी.यू. परिसंपत्ति के छोटे समूह को सूचित करते हैं जो नकद अंतर्प्रवाह सृजित करते हैं और जो अन्य परिसंपत्ति के नकद अंतर्प्रवाह या सी.जी.यू. से प्रमुखतया स्वतंत्र होते हैं ।

क्षति हानि तब स्वीकार की जाती है जब किसी परिसंपत्ति की वाहित राशि या सी.जी.यू. अपनी आकलित वापसी योग्य राशि को पार कर जाती है ।

(ज) सेवानिवृत्ति एवं अन्य कर्मचारी लाभ

(i) उपदान

कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को उपदान, एक पारिभाषित लाभ योजना, प्रदान करती है । योजना के तहत, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय या रोजगार समाप्त होने के बाद कंपनी में संबंधित कर्मचारियों के वेतन और उनके सेवाकाल के आधार पर एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है ।

वर्ष के अंत में, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान की राशि निर्धारित की जाती है ।

निवल पारिभाषित लाभ देयता का पुनर्मूल्यांकन जिसमें बीमांकिक लाभ या हानि शामिल हैं, ओ.सी.आइ. में स्वीकार किया जाता है । पारिभाषित लाभ योजना से संबंधित निवल ब्याज व्यय तथा अन्य व्यय, लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किए जाते हैं ।

(ii) राष्ट्रीय पेंशन योजना (कॉर्पोरेट मॉडल योजना)

राष्ट्रीय पेंशन योजना (कॉर्पोरेट मॉडल योजना) में एन्ट्रिक्स के कार्मिक शामिल हैं । पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन योजना (कॉर्पोरेट मॉडल योजना), जो एक पारिभाषित अंशदान योजना है, में कंपनी

मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता का 10% का योगदान देती है। अंशदान को प्रोद्भवन के आधार पर लेखित किया जाता है और लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।

(iii) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

एन्ट्रिक्स की पंजी में दर्ज कर्मचारियों के लिए अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है। दीर्घकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति जो एक अन्य दीर्घकालिक रोजगार लाभ योजना है, एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा कार्यान्वित तुलनपत्र की तिथि तक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखित होता है। बीमांकिक लाभ/हानि, लाभ तथा हानि लेखा में तुरंत स्वीकार किए जाते हैं और विलंबित नहीं किए जाते हैं।

(iv) डाक जीवन बीमा (पी.एल.आइ.)

कंपनी, स्वीकृत नीति के अनुरूप एन्ट्रिक्स की पंजी में दर्ज कर्मचारियों के नाम पी.एल.आइ. प्रीमियम के 50% का अंशदान देती है।

(झ) आयकर

आयकर में चालू तथा आस्थगित कर शामिल हैं। इसे लाभ या हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है सिवाय इसके कि मद को सीधे एक्विटी में या अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया गया है।

(i) चालू कर

चालू कर में, करयोग्य आय में देय या प्राप्य अपेक्षित कर या वर्ष के लिए हानि और पिछले वर्ष के लिए देय या प्राप्य कर का समायोजन शामिल है। आयकर से जुड़ी अनिश्चितता, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद देय या प्राप्य अपेक्षित कर राशि का आकलन चालू कर की राशि से परिलक्षित होती है। इसे रिपोर्टिंग तिथि तक, अधिनियमित या विशेष रूप से अधिनियमित कर दर (और कर नियम) के उपयोग से मापित किया जाता है।

चालू कर परिसंपत्ति और चालू कर देयता केवल क्षति की पूर्ति है यदि स्वीकृत राशि को अंकित करने के लिए विधिवत् कार्यान्वित करने योग्य अधिकार हो, और यह निवल आधार पर या समकाल में परिसंपत्ति को प्राप्त करने और देयता को स्थापित करने के लिए अभिलक्षित हो।

(ii) आस्थगित कर

वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु परिसंपत्ति एवं देयता की वाहित राशियों और कर-निर्धारण के उद्देश्य हेतु संबंधित राशियों के बीच अस्थायी अंतर के सापेक्ष आस्थगित कर स्वीकृत किया जाता है। आस्थगित कर, अग्रणीत कर हानि और कर जमा के सापेक्ष भी स्वीकृत किया जाता है। आस्थगित कर इन कारणों से नहीं स्वीकार किए जाते हैं :

- किसी अंतरण में, परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक स्वीकृति से उभरने वाले अस्थायी अंतर जो व्यापार-योग नहीं है और जो अंतरण के समय न तो लेखाविधि और न ही करयोग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता हो;
- साख की प्रारंभिक स्वीकृति से उभरने वाले करयोग्य अस्थायी अंतर।

आस्थगित कर परिसंपत्ति उस सीमा तक स्वीकार की जाती है जब ऐसा संभव हो कि भविष्य के करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेंगे जिनके विरुद्ध वे उपयोग में लाए जा सकते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्ति-अस्वीकृत या स्वीकृत की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक स्वीकृत/कम की जाती है जब ऐसा क्रमशः संभव/असंभव हो कि संबंधित कर लाभ स्वीकृत होंगे।

आस्थगित कर, कर दरों पर मापित किए जाते हैं जो उस अवधि के लिए लागू होने के लिए अपेक्षित होते हैं जब रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित/विशेष रूप से अधिनियमित नियम पर आधारित परिसंपत्ति स्वीकृत होती है या देयता स्थापित होती है।

(ञ) प्रति शेयर आय

वर्ष के लिए एक्विटी शेयर धारक से संबंधित शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान एक्विटी शेयर के बची हुई भारित औसत संख्या से विभाजित कर प्रति शेयर प्रारंभिक आय की गणना की जाती है। वर्ष के दौरान एक्विटी शेयर के बची हुई भारित औसत संख्या को बोनस शेयर जारी करने के अवसर (यदि कोई हो) हेतु समायोजित किया जाता है।

प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना के उद्देश्य से, वर्ष के लिए एक्विटी शेयर धारक से संबंधित शुद्ध लाभ या हानि और वर्ष के दौरान एक्विटी शेयर के बची हुई भारित औसत संख्या को सभी मिश्रित प्रमुख एक्विटी शेयर के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

(ट) प्रावधान और आकस्मिकता

प्रावधान स्वीकृत तब किया जाता है जब किसी प्रतिष्ठान के पास पिछली घटनाओं के कारण वर्तमान दायित्व होता है; यह संभव है कि संसाधन का बहिर्प्रवाह दायित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक होगा। इन्हें प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि तक एवं वर्तमान उत्तम आकलनों को परिलक्षित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

कष्टसाध्य संविदाओं के लिए प्रावधान, यानी संविदा जहाँ इसके तहत दायित्व को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित अपरिहार्य लागत इसके तहत प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभ को पार कर जाता है, तभी स्वीकार किए जाते हैं जब ऐसा लगता है कि आर्थिक लाभ को समाविष्ट करता संसाधन का बहिर्गमन, ऐसे दायित्व के उत्तम आकलन पर आधारित दायित्व से जुड़े अवसर वर्तमान दायित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक होगा।

जहाँ कोई भरोसेमंद आकलन नहीं किया जा सकता, वहाँ आकस्मिक देयता के तौर पर प्रकटीकरण किया जाता है। आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण तब भी किया जाता है जब संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो, जो हो सकता है, परन्तु संभवतः नहीं भी हो, संसाधन के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता पड़ती है।

(ठ) नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में तीन महीने या कम की वास्तविक परिपक्वता वाले नकद, बैंक में जमा एवं अल्पकालिक निवेश शामिल हैं जो नकद में तुरंत परिवर्तनीय हैं और मूल्य में परिवर्तन के निरर्थक जोखिम के तहत हैं।

(ड) पिछले वर्ष से संबंधित समायोजन

पिछले वर्ष से संबंधित आय/व्यय जो प्रत्येक अंतरण में ₹ 100 लाख या व्यवसाय के 0.1% जो भी उच्चतर हो, से अधिक नहीं होते इन्हें चालू वर्ष के आय/व्यय की तरह माना जाता है।

(ढ) सरकारी अनुदान

अंतरिक्ष विभाग को प्रदत्त पट्टा भूमि किराए के उचित मूल्य और पट्टा भूमि किराए के वास्तविक मूल्य के अंतर को आर्थिक सरकारी अनुदान माना गया है। लाभ तथा हानि लेखा के आय एवं व्यय भाग में उन दोनों को वैचारिक रूप से संपूर्ण कर लेखाविधित किया गया है।

(ण) अब तक स्वीकार नहीं किए गए नए लेखाविधि मानक

01 अप्रैल 2017 के बाद से प्रारंभ होने वाले वार्षिक अवधि के लिए लेखाविधि मानक में कुछ संशोधन अब तक प्रभावी नहीं हो पाए हैं और इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उनका उपयोग नहीं हो पाया है। मानक में वे संशोधन जो प्रासंगिक हैं और जिनका कंपनी की वित्तीय विवरणी पर गहरा प्रभाव है, हैं:

इण्ड ए.एस 115, ग्राहकों के साथ करार से प्राप्त राजस्व :

28 मार्च 2018 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एम.सी.ए') ने इण्ड ए.एस 115 अधिसूचना जारी किया। नए मानक का सार सिद्धांत यह है कि किसी सत्ता को ग्राहकों को वचनबद्ध माल या सेवाओं के अंतरण को अंकित करने के लिए उस राशि में राजस्व को प्राप्त करना चाहिए जिससे उन मालों एवं सेवाओं के बदले में सत्ता की अपेक्षित धारिता के लिए विचार प्रदर्शित हो रहा हो। इसके अलावा, नए मानक के लिए ग्राहकों के साथ करार से उत्पन्न होने वाले राजस्व एवं नकद प्रवाह की प्रकृति, राशि, समय एवं अनिश्चितता के बारे में वर्धित प्रकटीकरण आवश्यक होता है।

इण्ड ए.एस 115 को स्वीकार करने हेतु प्रभावी तिथि 01 अप्रैल, 2018 से या इसके बाद शुरू होने वाली वित्तीय अवधि है। इण्ड ए.एस 115 को स्वीकार करने से पड़ने वाले प्रभाव का कंपनी द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है और इसे उल्लेखनीय रहने की संभावना है।

इण्ड ए.एस 21 का परिशिष्ट बी, विदेशी मुद्रा अंतरण एवं अग्रिम विचार :

28 मार्च 2018 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एम.सी.ए) ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम जारी किया जिसमें इण्ड ए.एस 21 का परिशिष्ट बी शामिल है। विदेशी मुद्रा अंतरण एवं अग्रिम विचार जो संबंधित परिसंपत्ति, व्यय या आय के प्रारंभिक प्रापण में उपयोग के लिए, जब अस्तित्व ने विदेशी मुद्रा में अग्रिम विचार का प्रापण या भुगतान किया है, के विनिमय दर निर्धारण के उद्देश्य के लिए अंतरण की तिथि स्पष्ट करता है।

यह संशोधन 01 अप्रैल, 2018 से लागू किया जाएगा। इसे स्वीकार करने से पड़ने वाले प्रभाव का कंपनी द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है और इसे उल्लेखनीय रहने की संभावना है।

4 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

राशि ₹ लाख में

विवरण	भवन- आर.सी. सी.निर्मित ढाँचा	भवन- वातानुकूलन प्रणाली	भवन- विद्युत संबंधी प्रणाली	भवन- उत्थापक	भवन- जल प्रणाली	भवन- काष्ठ फर्श प्रणाली	भवन (बाड)- चहारदीवारी फाटक	भवन अस्थाई निर्माण (काष्ठ कोष्ठक)	फर्नीचर एवं अन्य सामग्री	संगणक	कार्यालय उपकरण	संचारजाल उपकरण	कुल
सकल वाहित मान													
1 अप्रैल 2016 तक	837.12	85.36	263.98	33.27	57.79	27.53	1.12	0.19	197.08	15.98	21.09	1.12	1,541.63
योग/ समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	12.22	9.70	46.97	-	68.89
निबटारा/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.05)	0.05	-	-
31 मार्च 2017 तक	837.12	85.36	263.98	33.27	57.79	27.53	1.12	0.19	209.30	25.63	68.11	1.12	1,610.52
1 अप्रैल 2017 तक	837.12	85.36	263.98	33.27	57.79	27.53	1.12	0.19	209.30	25.63	68.11	1.12	1,610.52
योग/ समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	7.07	64.87	0.27	-	72.21
निबटारा/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2018 तक	837.12	85.36	263.98	33.27	57.79	27.53	1.12	0.19	216.37	90.50	68.37	1.12	1,682.73
संचित मूल्यहास													
1 अप्रैल 2016 तक	14.47	6.92	36.25	2.70	4.68	3.57	0.41	0.15	25.99	8.46	7.37	0.34	111.31
मूल्यहास व्यय	14.47	6.91	36.25	2.70	4.68	3.57	0.40	-	26.79	6.74	13.12	0.34	115.97
निबटारा/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2017 तक	28.94	13.83	72.51	5.39	9.37	7.13	0.81	0.15	52.78	15.20	20.49	0.68	227.28
1 अप्रैल 2017 तक	28.94	13.83	72.51	5.39	9.37	7.13	0.81	0.15	52.78	15.20	20.49	0.68	227.28
मूल्यहास व्यय	14.47	6.93	36.25	2.70	4.68	3.57	0.30	-	27.57	10.03	13.76	0.34	120.59
निबटारा/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2018 तक	43.40	20.76	108.76	8.09	14.05	10.70	1.11	0.15	80.35	25.23	34.25	1.01	347.87
निवल वाहित मान													
31 मार्च 2017 तक	808.18	71.53	191.47	27.88	48.42	20.40	0.31	0.04	156.52	10.43	47.62	0.44	1,383.24
31 मार्च 2018 तक	793.71	64.60	155.22	25.18	43.74	16.83	0.01	0.04	136.02	65.27	34.12	0.11	1,334.86

5 अन्य अमूर्त परिसंपत्ति

राशि ₹ लाख में

विवरण	संगणक सॉफ्टवेयर
सकल वाहित मान	
1 अप्रैल 2016 तक	6.36
योग/ समायोजन	72.36
निबटारा/समायोजन	—
31 मार्च 2017 तक	78.72
1 अप्रैल 2017 तक	78.72
योग/ समायोजन	1.09
निबटारा/समायोजन	—
31 मार्च 2018 तक	79.81
संचित परिशोधन	
1 अप्रैल 2016 तक	4.04
वित्त वर्ष 2016-17 के लिए मूल्यहास	6.58
निबटारा/समायोजन	—
31 मार्च 2017 तक	10.62
1 अप्रैल 2017 तक	10.62
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए मूल्यहास	15.82
निबटारा/समायोजन	—
निवल वाहित मान	
31 मार्च 2017 तक	68.10
31 मार्च 2018 तक	53.37

31.03.2018 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में नोट

राशि ₹ लाख में

नोट सं.	विवरण	यूनिट	31.03. 2018 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2017 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
4	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (क) भवन (ख) फर्नीचर एवं फिक्सर (ग) कार्यालय उपकरण (घ) कम्प्यूटर एवं सहायक सामग्री (ङ) नेटवर्किंग उपकरण		1,099.33 136.02 34.12 65.27 0.11	1,168.23 156.52 47.62 10.43 0.44
			1,334.85	1,383.24
	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में, परिसंपत्ति के प्रत्येक वर्ग के योग, निपटारे, व्यापार संयोजन द्वारा प्रापण एवं अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यहास और क्षति हानि या प्रतिक्रमण प्रदर्शित करती हुई सकल एवं निवल वाहित राशि के सामंजस्य को अलग से प्रकट किया जाता है।		इस नोट के परिशिष्ट का संदर्भ लें	इस नोट के परिशिष्ट का संदर्भ लें
5	अन्य अमूर्त परिसंपत्ति: (क) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर		53.37	68.10
	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में, परिसंपत्ति के प्रत्येक वर्ग के योग, निपटारे, व्यापार संयोजन द्वारा प्रापण एवं अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यहास और क्षति हानि या प्रतिक्रमण प्रदर्शित करती हुई सकल एवं निवल वाहित राशि के सामंजस्य को अलग से प्रकट किया जाता है।		इस नोट के परिशिष्ट का संदर्भ लें	इस नोट के परिशिष्ट का संदर्भ लें
6	ऋण (असुरक्षित-खरे माने जाने वाले सामान) (क) कर्मचारी को अग्रिम (ख) कर्मचारी को अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज		0.46 0.02	0.01 0.05
			0.48	0.06
7	अन्य वित्तीय परिसंपत्ति (क) प्रतिभूति जमा (ख) 12 महीने से अधिक की शेष परिपक्वता के साथ बैंक जमा राशि (ग) प्रतिभूति जमा के बदले में निर्गत गारंटी के विरुद्ध अंतराल राशि के रूप में रखी गई जमा राशि		5,019.03 110.00 12,878.71	5,018.98 - 82.56
			18,007.74	5,101.54
8	अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्ति (क) परियोजना व्यय के लिए अग्रिम (ख) व्यापार ऋणदाता के लिए अग्रिम (ग) व्यय के लिए अग्रिम (घ) विरोध के तहत भुगतान किए गए कर		1.23 39,817.03 5.01 16,776.68	1.23 38,451.84 5.11 17,148.72
			56,599.95	55,606.90
9	अन्य कर परिसंपत्ति: (क) कर-बकाया वापसी		14,580.51	12,120.47

नोट सं.	विवरण	यूनिट	31.03. 2018 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2017 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
10	वस्तु-सूची जारी व्यापार सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		186.14	-
11	निवेश-चालू: म्यूचुअल निधि में निवेश: (लागत पर -गैर-व्यापार-अनुल्लिखित) बैंक ऑफ इंडिया एक्सए लिक्विड निधि-सीधी योजना-प्रतिदिन लाभांश-पुनर्निवेश वर्ष के अंत में 12980.447 यूनिट (विगत वर्ष 6,24,450.862) में ₹ 1002.6483 एनएवी की दर से निवेश किया। वर्ष के अंत में और विगत वर्ष 1002.6483 क्रय मूल्य के समान ही एनएवी रहा है। केनरा रोबेको लिक्विड - प्रत्यक्ष दैनिक लाभांश (₹ 1000.50 की दर से 10,925.7080 (विगत वर्ष-89,510.484) यूनिटों में निवेशित : वर्ष के अंत में तथा विगत वर्ष 1000.50 की खरीद मूल्य पर एन.ए.वी.समान है।) एल.एफ.डी.1 - आइ.डी.बी.आइ. लिक्विड फंड-प्रत्यक्ष योजना-दैनिक लाभांश-पुनर्निवेश (₹ 1002.3548 की दर से 179,743.124 (विगत वर्ष 89,344.008) यूनिटों में निवेशित : वर्ष के अंत में 1002.3548 की दर से एन.ए.वी. ₹ 8,95,54,395 है) वर्ष के अंत में तथा विगत वर्ष 1002.3548 की खरीद मूल्य पर एन.ए.वी.समान है।) एल.आइ.सी. एम.एफ. लिक्विड फंड सीधी लाभांश योजना (₹ 1098.00 की दर से 11,486.255 (विगत वर्ष: 563,306.696) यूनिटों में निवेशित। वर्ष के अंत में तथा विगत वर्ष 1098.00 की खरीद मूल्य पर एन.ए.वी.समान है।) एल.डी.72 एस.डी. एस.बी.आइ. प्रीमियर लिक्विड फंड-प्रत्यक्ष योजना-दैनिक लाभांश (₹ 1003.25 की दर से 11,464.002 (विगत वर्ष: 86,605.939) यूनिटों में निवेशित : वर्ष के अंत में तथा विगत वर्ष: 1003.25 की खरीद मूल्य पर एन.ए.वी. समान है।) एल.डी.आर.डी. यूनियन लिक्विड फंड दैनिक लाभांश-पुनर्निवेश-प्रत्यक्ष योजना (₹ 1000.6506 की दर से 12,187.291 (विगत वर्ष: 88,797.956) यूनिटों में निवेशित : विगत वर्ष के अंत में 1000.6506 की दर से एन.ए.वी. ₹ 88,797.956 है और वर्ष के अंत में ₹ 1000.6597 की दर से एन.ए.वी. ₹ 12,187.291 है। यू.टी.आइ, लिक्विड नकद योजना- संस्थागत प्रत्यक्ष योजना-दैनिक लाभांश-पुनर्निवेश (₹ 1019.4457 की दर से 11,981.045 (विगत वर्ष: 515,330.860) यूनिटों में निवेशित : वर्ष के अंत में तथा विगत वर्ष 1019.4457 की खरीद मूल्य पर एन.ए.वी.समान है।)		130.15	6,261.05
			109.86	900.03
			1,801.66	895.54
			126.12	6,185.11
			115.01	868.87
			121.95	888.56
			122.14	5,253.52
			2,526.89	21,252.68
12	व्यापार प्राप्तियाँ (i) सुरक्षित - खरे माने गए (ii) असुरक्षित - खरे माने गए (iii) संदिग्ध माने गए कुल घटाइए: संदिग्ध ऋण के लिए हानि भत्ता		9,743.41	12,260.47
			86,622.46	49,412.68
			8,737.78	7,467.35
			1,05,103.65	69,140.50
			(8,737.78)	(7,467.35)
			96,365.87	61,673.15

नोट सं.	विवरण	यूनिट	31.03. 2018 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2017 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
13	नकद एवं नकद समतुल्य: (i) बैंक में शेष (ii) नकद (iii) कार्मिकों के पास अग्रदाय नकद		1,307.78 0.10 0.09 1,307.97	5,713.06 0.12 0.04 5,713.22
14	अन्य बैंक शेष (उपर्युक्त 13 के तहत के अलावा): (i) 12 महीने या उससे कम की वास्तविक परिपक्वता वाली बैंक में जमा राशि (ii) बैंक में निर्दिष्ट निधि सी.एस.आर. एवं एस.ए. के लिए (iii) प्रवर्तन निदेशालय कुर्की आदेश हेतु प्रतिभूति के तौर पर रखी गई जमा राशि (iv) जारी प्रत्याभूति के विरुद्ध प्रतिभूति एवं प्रतिभूति जमा के बदले में बैंक में रखी गई जमा राशि		81,854.76 1,225.47 - 1,832.00 84,912.23	1,05,590.00 1,166.80 5,499.99 2,889.71 1,15,146.50
15	अन्य वित्तीय परिसंपत्ति (i) बैंक में जमा राशि के लिए प्रोद्भूत ब्याज (ii) अन्य प्राप्तियाँ		3,860.21 751.77 4,611.98	5,416.07 53.65 5,469.72
16	अन्य चालू परिसंपत्ति (असुरक्षित-खरे माने गए) (i) व्यय के लिए अग्रिम (ii) परियोजना व्यय के लिए अग्रिम (iii) निविष्ट सेवा कर एवं जीएसटी		1,429.48 7,723.61 16,923.83 26,076.92	265.49 6,286.91 8,180.25 14,732.65
17	एक्विटी शेयर पूँजी: (क) अधिकृत: (i) शेयरों की सं. (ii) शेयरों की राशि (₹ लाख में) (ख) निर्गत, अभिदत्त एवं नकद के बदले में पूर्णरूपेण प्रदत्त: (i) शेयरों की सं. (ii) शेयरों की राशि (₹ लाख में) (ग) समान मूल्य के प्रति शेयर (घ) अवधि के आरंभ एवं अंत में बाकी बचे शेयरों की संख्या का सामंजस्य (i) रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में बाकी बचे शेयरों की संख्या (ii) घटाइए: वर्ष के दौरान पुनः खरीदी गई शेयरों की संख्या (iii) जोड़िए: वर्ष के दौरान निर्गत बोनस शेयरों की संख्या (iv) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाकी बचे शेयरों की संख्या	सं. सं. ₹ सं. सं. सं. सं.	1,00,00,000 10,000.00 6,80,000 680.00 100 4,00,000 60,000 3,40,000 6,80,000	1,00,00,000 10,000.00 4,00,000 400.00 100 4,00,000 - - 4,00,000

नोट सं.	विवरण	यूनिट	31.03. 2018 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2017 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
	<p>(डं.) लाभांश के वितरण एवं पूँजी के पुनर्भुगतान पर प्रतिबंध सहित शेयर के प्रत्येक वर्ग से जुड़े अधिकार, अधिमान एवं प्रतिबंध</p> <p>कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के आधार पर, समस्त अधिकार (धारित प्रति एक्विटी शेयर पर एक मत के अधिकार सहित) समस्त अधिमान एवं प्रतिबंध (एक्विटी शेयर के हस्तान्तरण प्रतिबंध सहित) निदेशकमंडल के पास निहित है। बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक पर आधारित होता है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, कर पश्चात् लाभ का कम-से-कम 30% या कुल पूँजी का 5%, जो भी अधिक हो, भारत सरकार को लाभांश के रूप में दिया जाएगा और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पूँजी का पुनर्भुगतान होगा।</p> <p>(छ) धारित शेयर की संख्या का उल्लेख करते हुए कंपनी में कुल शेयर के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के विवरण : ₹ 100 प्रत्येक के प्रदत्त एक्विटी शेयर के समस्त 6,80,100 (विगत वर्ष - 4,00,000) शेयर के 100 % राष्ट्रपति एवं उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों के नाम केंद्र सरकार (भारत सरकार) के पास है।</p> <p>(ज) विकल्प के तौर पर जारी किए जाने वाले कोई भी शेयर आरक्षित नहीं हैं।</p> <p>(झ) तुलनपत्र की तिथि तक कोई भी प्रतिभूति एक्विटी शेयर में परिवर्तन के लिए बाकी नहीं है।</p> <p>(ञ) तुलनपत्र तैयार किए जाने के ठीक पहले पाँच वर्षों की अवधि के लिए सूचना</p>		एक्विटी शेयर	
			परिशिष्ट के अनुसार	
18	अन्य एक्विटी		1,28,687.80	1,58,881.81
19	अन्य वित्तीय देयता			
	(i) दीर्घकालीन व्यापार देय (एमएसएमई के अलावा)		14.90	14.90
	(ii) अन्य-प्रतिभूति एवं ग्राहकों से अन्य संविदा जमा		5,994.25	10,831.22
			6,009.15	10,846.12
20	प्रावधान			
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान			
	(i) उपदान		40.51	32.23
	(ii) अवकाश नकदीकरण		63.08	46.56
			103.59	78.79
21	अन्य दीर्घकालीन देयता			
	(i) ग्राहकों से अग्रिम		42,086.40	43,554.39
	(ii) आस्थगित आय		5.86	29.23
			42,092.26	43,583.62
22	व्यापार देय			
	(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की बाकी बची बकाया राशि (एमएसएमई)		-	-
	(ii) एमएसएमई को छोड़कर लेनदारों के पास बाकी बची बकाया राशि		1,10,087.87	68,774.68
			1,10,087.87	68,774.68

नोट सं.	विवरण	यूनिट	31.03. 2018 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2017 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
23	अन्य वित्तीय देयता (i) ग्राहकों से अग्रिम (ii) व्यय के लिए लेनदार (iii) अन्य देयता के लिए लेनदार (iv) अन्य-प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा		4,342.71 439.12 130.11 5,475.41 10,387.35	8,737.98 538.30 144.05 3,968.61 13,388.94
24	अन्य चालू देयता (i) सांविधिक देयता (ii) आस्थगित आय के लिए देयता		7,535.30 23.37 7,558.67	715.44 186.48 901.92
25	प्रावधान कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (i) उपदान के लिए (ii) अवकाश नकदीकरण के लिए		0.74 0.99 1.73	0.56 0.64 1.20
26	प्रचालनों से राजस्व: (क) उत्पादों की बिक्री: (i) निर्यात (ii) घरेलू कुल (क) (ख) सेवाओं की बिक्री: (i) निर्यात अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी प्राप्तियाँ प्रमोचन सेवा प्राप्तियाँ मिशन सहायता सेवाएँ प्राप्तियाँ परामर्शिता सेवा प्राप्तियाँ (ii) घरेलू अंतरिक्ष खण्ड क्षमता प्रभार आँकड़ा सूचना अभिगमन शुल्क प्राप्तियाँ प्रमोचन सेवा प्राप्तियाँ परामर्शिता सेवा प्राप्तियाँ कुल (ख) कुल (क)+(ख)		6.96 3,166.39 3,173.35 25.61 23,256.47 378.59 (14.04) 1,65,872.02 433.45 - 101.87 1,90,053.97 1,93,227.32	75.85 6,433.30 6,509.15 1,040.07 20,861.13 941.48 39.69 1,49,510.74 137.55 2,480.26 5,650.63 1,80,661.55 1,87,170.70
27	अन्य आय: (क) ब्याज से प्राप्त आय (i) बैंक में जमा राशि पर (ii) कर्मचारियों को अग्रिम पर (iii) व्यापार प्राप्तियों पर (iv) विगत वर्षों में सेवाकर के विलंबित भुगतान पर वर्ष के दौरान ब्याज वापसी प्राप्तियाँ		6,691.71 0.02 312.45 -	9,901.67 0.00 522.03 5.55

राशि ₹ लाख में

नोट सं.	विवरण	यूनिट	31.03. 2018 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2017 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
28	(v) पूर्व प्रदत्त करों पर		588.76	336.26
	(ख) निर्यात प्रोत्साहन		212.93	-
	(ग) शुद्ध विदेशी मुद्रा परिवर्तन लाभ (हानि)		1,317.49	(159.75)
	(घ) जमानती जमा से प्राप्त आय		186.48	198.50
	(ङ.) लाभांश से आय		1,306.22	832.67
	(च) सरकारी अनुदान से आय (प्रति प्रतिलेखा)		22.69	22.69
	(छ) विगत वर्ष में पुनर्लिखित संदिग्धपूर्ण लिए गए ऋण के लिए प्रावधान		50.00	-
	(ज) पुनर्लिखित देयता		-	0.01
	(झ) विविध आय		17.09	0.02
			10,705.84	11,659.65
28	प्रचालनों से राजस्व की लागत			
	(क) व्यय की लागत			
	(i) निर्यात		4.17	45.97
	(ii) घरेलू		2,154.95	5,790.45
	कुल (क)		2,159.12	5,836.42
	(ख) सेवा की लागत			
	(i) निर्यात			
	परामर्शिता सेवाएँ		-	23.81
	अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी		36.39	624.04
	प्रमोचन सेवाएँ		18,137.65	16,669.86
मिशन सहायता सेवाएँ		252.46	535.36	
(ii) घरेलू				
परामर्शिता सेवाएँ		70.16	1,354.43	
अंतरिक्ष खण्ड क्षमता प्रभार		1,46,265.61	1,32,733.76	
आँकड़ा सूचना अभिगमन शुल्क		361.06	115.22	
प्रमोचन सेवाएँ		-	1,950.00	
कुल (क)		1,65,123.33	1,54,006.48	
कुल (क)+(ख)		1,67,282.45	1,59,842.90	
29	माल की खरीदारी:			
	(i) व्यापार क्रय- आयात		182.20	-
	(ii) व्यापार क्रय- अंतर्देशीय		5.60	-
		187.80	-	
30	माल की वस्तु-सूची में परिवर्तन			
	(i) प्रारंभिक स्टॉक		-	-
	(ii) घटाइए: अंतिम स्टॉक		186.14	-
		186.14	-	
31	कर्मचारी लाभ व्यय			
	सी.एम.डी. को पारिश्रमिक एवं सुविधाएँ		38.53	18.87
	ई.डी. को पारिश्रमिक		-	13.14
	निदेशकों के लिए बैटक-शुल्क		-	0.86
	वेतन		91.87	75.79
	कर्मचारी कल्याण एवं सुविधाएँ		29.04	20.83
	अवकाश यात्रा रियायत		4.38	8.21
	अवकाश नकदीकरण का भुगतान		0.26	0.31
	अवकाश नकदीकरण का प्रावधान		16.87	17.48
	उपदान प्रावधान		8.46	5.96
स्थापना व्यय		444.46	381.26	

राशि ₹ लाख में

	कार्मिक प्रशिक्षण व्यय	2.12	2.35
		635.99	545.06
32	वित्त लागत		
	जमानती जमा पर ब्याज व्यय	237.38	230.05
33	अन्य व्यय:		
	यात्रा व्यय	70.74	46.48
	सवारी और टैक्सी भाड़ा	41.65	34.29
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	9.19	8.95
	संचार संबंधी व्यय	39.94	28.19
	कानूनी शुल्क एवं व्यय	470.58	1,101.76
	परामर्शिता एवं व्यावसायिक शुल्क	47.15	59.32
	सी.एम.डी. आवास हेतु भाड़ा	4.34	3.13
	महसूल एवं कर	354.20	802.80
	विज्ञापन एवं प्रचार	100.12	14.97
	संविदा समापन भुगतान	530.26	-
	सदस्यता एवं अभिदान	6.22	6.78
	संगोष्ठी, सम्मेलन एवं बैठक संबंधी व्यय	4.88	4.25
	प्रदर्शनी एवं व्यापार मेला	8.18	62.98
	भूमि पट्टे का किराया के लिए सरकारी अनुदान	22.69	22.69
	भूमि पट्टे का किराया	0.10	0.10
	करों के विलंबित भुगतान पर ब्याज	1.97	4.09
	बैंक प्रभार	9.18	9.40
	बैंक गारंटी एवं एलसी प्रभार	119.06	13.56
	मरम्मत एवं अनुरक्षण-भवन	0.19	6.36
	मरम्मत एवं अनुरक्षण-अन्य	79.07	32.20
	लेखापरीक्षकों को भुगतान:		
	लेखापरीक्षक के तौर पर	5.54	4.69
	शेयरों की पुनः खरीदारी के लिए मंडल को रिपोर्ट के लिए	1.35	-
	जेब-खर्च के लिए	0.02	-
	सेवाकर के लिए	-	0.50
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों पर व्यय	696.31	493.77
	विविध व्यय	75.31	29.11
	संदिग्धपूर्ण ऋण हेतु प्रावधान	1,320.43	1,905.01
		4,018.67	4,695.38
34	आस्थगित कर		
	वर्ष के दौरान उद्भूत होने वाले आस्थगित कर (बचत)	(454.67)	545.68
		(454.67)	545.68

35. कर सामंजस्य

राशि ₹ लाख में

विवरण	31.03. 2018 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2017 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
कर व्यय		
क. लाभ तथा हानि लेखा में मान्य राशि		
चालू कर (क)		
चालू अवधि	11,015.00	11,132.00
पिछला वर्ष	(91.01)	(84.63)
कुल (क)	10,923.99	11,047.37
आस्थगित कर (ख)		
से संबंधित -		
वर्ष के दौरान उद्भूत	(454.67)	545.68
जमानत जमा पर आस्थगित कर इण्ड ए.एस. मापन	-	-
कुल (ख)	(454.67)	545.68
वर्ष के लिए कुल कर व्यय (क)+(ख)	10,469.32	11,593.05
ख. अन्य व्यापक आय में मान्य राशि		
पारिभाषित लाभ योजना का पुनर्मापन		
कर पूर्व	1.65	(5.37)
कर (व्यय) लाभ	(0.57)	1.86
कर का निवल	1.08	(3.51)
ग. आयकर से पूर्व आय के लिए सांविधिक आयकर दर को लागू करते हुए संगणित राशि का आयकर प्रावधान से आमेलन नीचे संक्षेप में वर्णित हैं:		
कर पूर्व लाभ	31,620.60	33,394.41
कंपनी के घरेलू कर दर का उपयोग करते हुए कर के प्रभाव:		
करमुक्त आय		
लाभांश आय	(452.06)	(288.17)
गैर-कटौती व्यय		
लाभांश आय के सापेक्ष 14 ए. के तहत अस्वीकृत व्यय	104.27	66.29
सी.एस.आर. व्यय	240.98	170.88
अमान्य विदेशी मुद्रा स्थानांतरण	(278.43)	163.20
पिछले वर्ष के कर व्यय का उत्क्रम	(91.01)	(84.63)
पूर्व वर्ष में नहीं स्वीकृत ब्याज वापसी प्राप्ति		(1.92)
अन्य	-	10.26
पूर्णांकन	2.31	-
आयकर व्यय	10,469.33	11,593.05
घ. मान्य आस्थगित कर परिसंपत्ति एवं देयता		
निम्नानुसार आस्थगित कर परिसंपत्ति एवं देयता गुणारोपित हैं		
आस्थगित कर परिसंपत्ति		
अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान	(3,024.15)	(2,584.43)
प्रावधान-कर्मचारी लाभ	(36.45)	(27.68)
	(3,060.60)	(2,612.11)

आस्थगित कर देयता		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त परिसंपत्ति सहित)	62.10	50.67
विरोध के तहत सेवाकर प्रदत्त	3,952.78	3,952.77
जमानती जमा में छूट	2.20	19.81
	4,017.08	4,023.26
निवल आस्थगित कर (परिसंपत्ति)/देयता	(956.48)	(1,411.15)
डं. अस्थाई अंतर में परिचालन		
(i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त परिसंपत्ति सहित)		
01.04.2017 तक अथ शेष	50.67	33.94
लाभ तथा हानि लेखा में मान्य	11.43	16.73
ओसीआइ में मान्य		
31.03.2018 तक अग्रणीत शेष	62.10	50.67
(ii) विरोध के तहत सेवा कर प्रदत्त		
01.04.2017 तक अथ शेष	3,952.77	2,745.48
लाभ तथा हानि लेखा में मान्य	-	1,207.29
ओसीआइ में मान्य	-	-
31.03.2018 तक अग्रणीत शेष	3,952.77	3,952.77
(iii) जमानती जमा में छूट		
01.04.2017 तक अथ शेष	19.81	30.73
लाभ तथा हानि लेखा में मान्य	(17.62)	(10.92)
ओसीआइ में मान्य		
31.03.2018 तक अग्रणीत शेष	2.20	19.81
(iv) अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान (संदिग्ध ऋण)		
01.04.2017 तक अथ शेष	(2,584.43)	(1,925.11)
लाभ तथा हानि लेखा में मान्य	(439.71)	(659.31)
ओसीआइ में मान्य		
31.03.2018 तक अग्रणीत शेष	(3,024.14)	(2,584.43)
(v) प्रावधान-कर्मचारी लाभ		
01.04.2017 तक अथ शेष	(27.68)	(17.71)
लाभ तथा हानि लेखा में मान्य	(8.20)	(8.11)
ओसीआइ में मान्य	(0.57)	(1.86)
31.03.2018 तक अग्रणीत शेष	(36.45)	(27.68)
च. अन्य कर परिसंपत्ति		
कर वापसी बाकी	14,580.51	12,120.47
पारिभाषित लाभ योजना के बीमांकक लाभ/हानि पर आस्थगित कर अन्य व्यापक आय में मान्य होता है और एक्विटी के भीतर प्रस्तुत किया जाता है। इन्हें छोड़कर आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा देयता मूलतः लाभ तथा हानि लेखा में अभिलेखित होते हैं।		
आस्थगित कर परिसंपत्ति के प्रापण के आकलन में कंपनी उस सीमा तक विचार करती है जहाँ तक यह संभव हो कि आस्थगित कर परिसंपत्ति प्राप्त की जा सकती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति का अंतिम प्रापण अवधि के दौरान भविष्य में करयोग्य लाभ के सृजन पर निर्भर है जिसमें वे अस्थाई अंतर और आगे लाई गई कर हानि कटौती योग्य है। कंपनी, इस विवरणी को तैयार करने में आस्थगित कर देयता के अपेक्षित उत्क्रम, भविष्य की प्रस्तावित करयोग्य आय एवं कर नियोजन रणनीति पर विचार करती है। इस के आधार पर, कंपनी मानती है कि ऐसी संभावना है कि कंपनी इन कटौती योग्य अंतर के लाभ को प्राप्त करेगी। आस्थगित कर परिसंपत्ति की राशि प्राप्ति योग्य मानी गई, हालाँकि, इसे निकट की शर्त तक कम किया जा सकता है यदि अग्रसारित अवधि के दौरान भविष्य की करयोग्य आय के आकलन को कम किया जाता है।		

36 प्रति शेयर आय (ई.पी.एस.)

मौलिक ई.पी.एस. राशि की गणना कंपनी के एक्विटी धारक से संबंधित वर्ष के लाभ और वर्ष के दौरान बाकी बचे एक्विटी शेयर की प्रश्रय दी गई औसत संख्या से विभाजित कर की जाती है।

मिश्रित ई.पी.एस. राशि की गणना, सभी मिले-जुले प्रमुख शेयर के प्रभाव के समायोजन के बाद, कंपनी के एक्विटी धारक से संबंधित वर्ष के लाभ और वर्ष के दौरान बाकी बचे एक्विटी शेयर की प्रश्रय दी गई औसत संख्या से विभाजित कर की जाती है।

राशि ₹ लाख में

i. प्रारंभिक एक्विटी धारक से संबंधित लाभ

	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
कर पश्चात् लाभ	21,151.28	21,801.36
प्रारंभिक आय के लिए कंपनी के एक्विटी धारक से संबंधित लाभ	21,151.28	21,801.36
अन्य	-	-
मिले-जुले प्रभाव को समायोजित करने के बाद कंपनी के एक्विटी धारक से संबंधित लाभ	21,151.28	21,801.36

ii. प्रश्रय दी गई एक्विटी शेयर की औसत संख्या लाखों में

	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
प्रारंभिक तिथि तक निर्गत सामान्य शेयर	7.40	4.00
परिचालन	(0.05)	3.40
मौलिक ई.पी.एस. के लिए 31मार्च तक प्रश्रय दी गई एक्विटी शेयर की औसत संख्या	7.35	7.40
सम्मिश्रण का प्रभाव (यदि कोई हो)	-	-
	7.35	7.40
मौलिक और मिली-जुली प्रति शेयर आय	2,879.39	2,946.13

राशि ₹ लाख में

37 वित्तीय संलेख-उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन

i. लेखा वर्गीकरण एवं उचित मूल्य

31 मार्च 2018

	वाहित मूल्य			उचित मूल्य				
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआइ	परिशोधित लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उचित मूल्य में मापित वित्तीय परिसंपत्ति								
चालू निवेश								
म्यूचुअल निधि में निवेश	2,526.89	-	-	2,526.89	-	2,526.89	-	2,526.89
	2,526.89	-	-	2,526.89	-	2,526.89	-	2,526.89
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय परिसंपत्ति								
दीर्घकालीन ऋण								
दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्ति	-	-	0.48	0.48	-	-	-	-
कर्मचारियों को अग्रिम	-	-	5,019.03	5,019.03	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-	12,988.71	12,988.71	-	-	-	-
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा	-	-	-	-	-	-	-	-
राशि सहित अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वित्तीय परिसंपत्ति								
व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	96,365.87	96,365.87	-	-	-	-
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	1,307.97	1,307.97	-	-	-	-
अन्य बैंक शेष राशि	-	-	84,912.23	84,912.23	-	-	-	-
अन्य वसूली योग्य	-	-	751.77	751.77	-	-	-	-
बैंक में जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	-	-	3,860.21	3,860.21	-	-	-	-
	-	-	2,05,206.27	2,05,206.27	-	-	-	-
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय देयता								
दीर्घकालीन वित्तीय देयता								
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	-	-	5,994.25	5,994.25	-	-	-	-
अन्य व्यापार देय	-	-	14.90	14.90	-	-	-	-
चालू वित्तीय देयता								
व्यापार देय	-	-	1,10,087.87	1,10,087.87	-	-	-	-
ग्राहकों से अग्रिम	-	-	4,342.71	4,342.71	-	-	-	-
व्यय के लिए लेनदार	-	-	439.12	439.12	-	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	-	-	130.11	130.11	-	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	-	-	5,475.41	5,475.41	-	-	-	-
	-	-	1,26,484.38	1,26,484.38	-	-	-	-

	वाहित मूल्य			उचित मूल्य				
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उचित मूल्य में माणित वित्तीय परिसंपत्ति								
चालू निवेश								
म्यूचुअल निधि में निवेश	21,252.68	-	-	21,252.68	-	21,252.68	-	21,252.68
	21,252.68	-	-	21,252.68	-	21,252.68	-	21,252.68
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय परिसंपत्ति								
दीर्घकालीन ऋण								
दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्ति								
कर्मचारियों को अग्रिम	-	-	0.06	0.06	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-	5,018.98	5,018.98	-	-	-	-
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक								
जमा राशि सहित अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	-	-	82.56	82.56	-	-	-	-
चालू वित्तीय देयता								
व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	61,673.15	61,673.15	-	-	-	-
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	5,713.22	5,713.22	-	-	-	-
अन्य बैंक शेषराशि	-	-	1,15,146.50	1,15,146.50	-	-	-	-
अन्य प्राप्तियाँ	-	-	53.65	53.65	-	-	-	-
बैंक में जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	-	-	5,416.07	5,416.07	-	-	-	-
	-	-	1,93,104.20	1,93,104.20	-	-	-	-
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय देयता								
दीर्घकालीन वित्तीय देयता								
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	-	-	10,831.22	10,831.22	-	-	-	-
अन्य व्यापार देय	-	-	14.90	14.90	-	-	-	-
चालू वित्तीय देयता								
व्यापार देय	-	-	68,774.68	68,774.68	-	-	-	-
ग्राहकों से अग्रिम	-	-	8,737.98	8,737.98	-	-	-	-
व्यय के लिए लेनदार	-	-	538.30	538.30	-	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	-	-	144.05	144.05	-	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	-	-	3,968.61	3,968.61	-	-	-	-
	-	-	93,009.74	93,009.74	-	-	-	-

उचित मूल्य क्रम

स्तर 1 - समान परिसंपत्ति या देयता के लिए सक्रिय बाज़ार में उद्धृत दाम (असमायोजित)

स्तर 2 - स्तर 1 के तहत शामिल उद्धृत मूल्य को छोड़कर इन्पुट परिसंपत्ति या देयता के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से (यानी मूल्य के तौर पर) या परोक्ष रूप से (यानी, मूल्य से उद्भूत) प्रेक्षणीय है।

स्तर 3 - परिसंपत्ति या देयता के लिए इन्पुट जो बाज़ार के प्रेक्षणीय आँकड़ा (अप्रेक्षणीय इन्पुट) पर आधारित नहीं है।

अवधि के दौरान, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ है।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय संलेख से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित जोखिम से कंपनी प्रभावित हो सकती है:

- ऋण जोखिम;
- तरलता जोखिम; और
- बाज़ार जोखिम

i. जोखिम प्रबंधन खाका

कंपनी की मुख्य वित्तीय देयताओं में व्यापार देय तथा ग्राहकों से जमा शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के व्यापार के लिए आर्थिक व्यवस्था करना है। कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसंपत्ति में व्यापार प्राप्तियाँ, नकद, जमा तथा इसके व्यापार से प्रत्यक्ष रूप से उद्भूत निवेश शामिल हैं।

कंपनी के क्रियाकलाप इसे कई तरह के वित्तीय जोखिमों में डालते हैं: बाज़ार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम। कंपनी का मुख्य ध्यान वित्तीय बाज़ार की अनिश्चितता और अपनी वित्तीय निष्पादकता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव पर केंद्रित होता है। कंपनी का मुख्य जोखिम विदेशी मुद्रा जोखिम होता है। ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषता से पड़ने वाले विशेष प्रभाव के कारण ही कंपनी को ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

38 वित्तीय संलेख - उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

ii. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम है यदि वित्तीय संलेख के लिए एक ग्राहक या प्रतिरूपक अपने संविदा दायित्व को पूर्ण करने से चूक जाता है, और मुख्यतः कंपनी को ग्राहकों से मिलने वाली प्राप्तियों एवं ऋण प्रतिभूति में निवेश से उत्पन्न होता है।

निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्ति की वाहित राशि अधिकतम ऋण अनावरण का वर्णन करती है:

व्यापार प्राप्तियाँ

ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषता से पड़ने वाले विशेष प्रभाव के कारण ही कंपनी को ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, प्रबंधन उद्योग से मिलने वाले अनपेक्षित जोखिम एवं वह देश जहाँ ग्राहक काम करता है, सहित उन कारणों पर भी विचार करता है जो ग्राहक के आधार को प्रभावित करता सकता है।

उद्योगजगत् के प्रचलनों एवं व्यापारिक वातावरण के आधार, जिस पर प्रतिष्ठान कार्य करता है, प्रबंधन यह विचार करता है कि व्यापार प्राप्तियाँ एवं ऋण अनपेक्षित (ऋण क्षतिग्रस्त) हैं यदि भुगतान 365 दिनों से अधिक समय से बाकी है और जमा या बैंक गारंटी के एवज में सुरक्षित नहीं है।

केंद्र/राज्य सरकारों, केंद्र/राज्य सरकारों के विभागों, केंद्र/राज्य सरकारों की स्वायत्त संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनके लिए प्रावधान/हानि भत्ता की माप प्रकरण से प्रकरण पर आधारित होती है और अपेक्षित ऋण हानि हेतु विचार नहीं किया जाता है।

कंपनी क्षति हानि, जो व्यापार प्राप्तियों से संबंधित अपेक्षित हानि के लिए अपने परामर्शदाता से मिले आकलन इंगित करती है, के लिए भत्ता की व्यवस्था करती है।

व्यापार प्राप्तियों एवं व्यक्तिगत ग्राहकों से ऋण के लिए ऋण जोखिम एवं अपेक्षित ऋण हानि के अनावरण के बारे में सूचना निम्नलिखित सारणी से मिलती है:

31 मार्च 2018

	सकल वाहित राशि	प्रभावशाली औसत हानि दर	भत्ता हानि	क्या ऋण क्षति हुई ?
बाकी नहीं	1,039.83	4%	39.90	जी नहीं
1 - 90 दिनों के बाद बकाया	11,737.11	4%	450.36	जी नहीं
91 - 180 दिनों के बाद बकाया	5,226.73	17%	881.90	जी नहीं
181 - 270 दिनों के बाद बकाया	1,241.03	23%	289.37	जी नहीं
271 - 365 दिनों के बाद बकाया	599.29	31%	186.12	जी नहीं
365 से अधिक दिनों के बाद बकाया	2,037.16	32%	653.24	जी हाँ
विशेष प्रावधान	6,236.90	100%	6,236.90	जी हाँ
	28,118.05	-	8,737.79	

31 मार्च 2017

	सकल वाहित राशि	प्रभावशाली औसत हानि दर	भत्ता हानि	क्या ऋण क्षति हुई ?
1 - 90 दिनों के बाद बकाया	11,267.38	13%	1,499.12	जी नहीं
91 - 180 दिनों के बाद बकाया	1,620.22	70%	1,138.66	जी नहीं
181 - 365 दिनों के बाद बकाया	1,398.78	90%	1,262.44	जी नहीं
365 से अधिक दिनों के बाद बकाया	3,589.86	99%	3,567.13	जी हाँ
	17,876.24	-	7,467.35	

वर्ष के दौरान व्यापार तथा अन्य प्राप्तियों से संबंधित क्षति के लिए भत्ता में परिचालन इस प्रकार था:

	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
1 अप्रैल तक शेष	7,467.35	5,562.34
पहचान की गई क्षति हानि	1,320.43	1,905.01
पुनर्लिखित राशि	(50.00)	-
31 मार्च तक शेष	8,737.78	7,467.35

नकद एवं नकद समतुल्य

कंपनी के पास 31 मार्च 2018 तक ₹ 1,303.33 (31 मार्च 2017 तक ₹ 5,713.22) का नकद और नकद समतुल्य था।

नकद और नकद समतुल्य, बैंक एवं वित्तीय संस्थान के पास रखा हुआ है जिनकी क्रिसिल दर ए+ दर्ज़ है।

39 वित्तीय संलेख - उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

iii. तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिससे कंपनी को अपनी वित्तीय देयता से संबंधित दायित्वों को पूर्ण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जिसे नकद भुगतान या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति से व्यवस्थित किया जाता है। तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी की पहल यह सुनिश्चित करना है कि जहाँ तक संभव हो, सामान्य और कठिन परिस्थितियों में, बिना किसी अस्वीकार्य हानि या कंपनी की साख को नुकसान पहुँचाए, अपनी देयता, जब वे देय हों, को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त तरलता हो।

कंपनी की तरलता प्रमुख स्रोत नकद और नकद समतुल्य हैं और वे नकद प्रवाह जिन्हें व्यापार से सृजित किया जाता है। कंपनी के पास बैंक से कोई उधार नहीं है। कंपनी को विश्वास है कि उसकी कार्यकारी पूँजी उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार, किसी तरलता जोखिम का कोई अंदेशा नहीं है।

तरलता जोखिम के लिए अनावरण

रिपोर्टिंग तिथि तक वित्तीय देयता की बाकी बची संविदात्मक परिपक्वता निम्नलिखित हैं। राशि सकल और बिना छूट की हैं, और इसमें अनुमानित ब्याज के भुगतान शामिल हैं तथा निवल समझौतों के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

31 मार्च 2018	वाहित राशि	संविदात्मक नकद प्रवाह			
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-4 वर्ष	4-7 वर्ष
मुखर वित्तीय देयता					
असामान्य					
अन्य व्यापार देय	14.90			14.90	
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	5,994.25		5,994.25	-	
चालू					
व्यापार देय	1,10,087.87	1,10,087.87	-	-	-
अन्य चालू वित्तीय देयता					
ग्राहकों से अग्रिम	4,342.71	4,342.71	-	-	-
व्यय के लिए लेनदार	439.12	439.12	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	130.11	130.11	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	5,475.41	5,475.41	-	-	-
	1,26,484.37	1,20,475.22	5,994.25	14.90	-

31 मार्च 2017	वाहित राशि	संविदात्मक नकद प्रवाह			
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-4 वर्ष	4-7 वर्ष
मुखर वित्तीय देयता					
असामान्य					
अन्य व्यापार देय	14.90	-	-	14.90	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	10,831.22	-	82.38	10,748.84	-
चालू					
व्यापार देय	68,774.68	68,774.68	-	-	-
अन्य चालू वित्तीय देयता					
ग्राहकों से अग्रिम	8,737.98	8,737.98	-	-	-
व्यय के लिए लेनदार	538.30	538.30	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	144.05	144.05	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	3,968.61	3,968.61	-	-	-
	93,009.74	82,163.62	82.38	10,763.74	-

40 वित्तीय संलेख - उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)
iv. बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम वह जोखिम है जो बाज़ार मूल्यों के साथ बदलता है - जैसे विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर कंपनी की आय या वित्तीय संलेखों की धारिता के मान को प्रभावित करेंगे। बाज़ार जोखिम, विदेशी मुद्रा प्राप्ति एवं देय तथा दीर्घावधि ऋण सहित सभी बाज़ार प्रभावी वित्तीय संलेखों के प्रति उत्तरदायी है। कंपनी, मूलतः ब्याज दर जोखिम एवं निवेश के बाज़ार मूल्य से संबंधित बाज़ार जोखिम से प्रभावित है। अतएव, बाज़ार जोखिम का प्रभाव, निवेश एवं ऋण क्रियाकलाप का ही परिणाम है। बाज़ार जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य विदेशी मुद्रा के अत्यधिक प्रभाव से बचाना है।

मुद्रा जोखिम

कंपनी, विदेशी मुद्रा में उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात के कारण मुद्रा जोखिम से प्रभावित है। कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया (₹) है।

मुद्रा जोखिम से प्रभावित होने वाली कंपनी के परिमाणात्मक आँकड़े के सारांश निम्नप्रकार हैं :

31 मार्च 2018 तक

मुद्रा	विदेशी मुद्रा की राशि (लाख में)				राशि ₹ लाख में			
	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/(देय)	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	चनिवल प्राप्तियाँ/(देय)
यूरो (ईयूआर)	0.15	-	0.97	(0.82)	11.68		77.20	(65.52)
अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)	22.32	1.39	139.63	(118.70)	1,439.20	89.56	9,004.78	(7,655.14)

31 मार्च 2017 तक

मुद्रा	विदेशी मुद्रा की राशि (लाख में)				राशि ₹ लाख में			
	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	चनिवल प्राप्तियाँ/(देय)	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	चनिवल प्राप्तियाँ/(देय)
यूरो (ईयूआर)	96.45	-	0.97	95.48	6,786.53		68.06	6,718.47
अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)	10.38	1.39	109.92	(100.93)	681.08	91.10	7,210.67	(6,620.69)

सूक्ष्मग्राही विश्लेषण

वर्ष के अंत में भारतीय रुपए, अमेरिकी डॉलर, यूरो एवं अन्य मुद्राओं में तथ्यात्मक स्थिरता (अस्थिरता) की संभावनाएँ विदेशी मुद्रा में वित्तीय संलेख के प्रारूपों को प्रभावित किया होगा और एक्विटी तथा नीचे दी गई राशि द्वारा लाभ या हानि को प्रभावित किया। इस विश्लेषण से पता चलता है कि अन्य सभी परिवर्तनांक, एक विशेष ब्याज दर में, स्थिर रहता है और क्रय एवं विक्रय की भविष्यवाणी से पड़ने वाले किसी भी प्रभाव को अनदेखा कर देता है।

लाभ या हानि		एक्विटी, कर का निवल	
स्थिर	अस्थिर	स्थिर	अस्थिर

31 मार्च 2018 तक

अमेरिकी डॉलर (1% परिचालन)	(76.55)	76.55	(50.06)	50.06
यूरो (1%परिचालन)	(0.66)	0.66	(0.43)	0.43

31 मार्च 2017 तक

अमेरिकी डॉलर (1% परिचालन)	(66.21)	66.21	(43.29)	43.29
यूरो (1%परिचालन)	67.18	(67.18)	43.93	(43.93)

निम्नलिखित उल्लेखनीय विनिमय दर लागू किए गए हैं।

वर्ष के अंत में दर

	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017 तक
अमेरिकी डॉलर	64.49	65.60
यूरो	79.81	70.36

41. क. खण्ड सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना एफ. सं. 1/19/2013-सी.एल.व भाग दिनांक 04.09.2015 के अनुसार प्रत्येक वर्ग के माल एवं उनसे संबंधित मूल्यों की अतिरिक्त सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट दे रखी है और उत्पादों की संवेदी प्रकृति तथा व्यापार के क्षेत्र के मद्देनज़र, भारतीय लेखा मानक 108-प्रचालन खण्ड के तहत चालू एवं पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं की गई है।

ख. संबंधित पक्ष
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की सूची

संबंधित पक्ष का नाम	संबंध(31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष हेतु)	संबंध (31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष हेतु)
श्री राकेश शशिभूषण	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (1 जून 2016 से)
डॉ. वि.एस.हेगड़े		अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (31 मई 2016 तक)
श्री वी. रघु वेंकटरामन		कार्यकारी निदेशक (प्रचालन) (12 सितम्बर 2016 तक)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ संबंधित पक्ष का अंतरण

विवरण	31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
वेतन	36.60	32.79
अल्पकालीन कर्मचारी लाभ	6.27	5.88
कार्य-समापन लाभ	-	-
कुल क्षतिपूर्ति	42.87	38.67

- नोट 1. डॉ. वि.एस.हेगड़े एवं श्री वी. रघु वेंकटरामन के कार्योपरान्त लाभ एवं समापन लाभ अंतरिक्ष विभाग द्वारा वहन किए गए हैं क्योंकि एन्ट्रिक्स के लिए उनकी सेवाएँ कार्य प्रबंधन के आधार पर ली गई हैं। वर्तमान सीएमडी (श्री राकेश शशिभूषण) से संबंधित एन्ट्रिक्स का दायित्व एन्ट्रिक्स में उनके पदभार ग्रहण की तिथि यानी 14.12.2016 से है।
2. श्री राकेश शशिभूषण, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के समापन लाभ में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अभिदान में कंपनी का योगदान एवं डाक जीवन बीमा प्रीमियम शामिल हैं। वेतन-व्यय एन्ट्रिक्स द्वारा वहन किए जाते हैं।

42 पूँजी प्रबंधन

एक मज़बूत पूँजीगत आधार सुरक्षित रखना कंपनी की नीति है ताकि निवेशक, लेनदार एवं बाज़ार में विश्वास बना रहे और व्यापार का विकासोन्मुखी भविष्य सुरक्षित रहे। प्रबंधन, पूँजी के साथ-साथ सामान्य शेयर धारकों को मिलने वाले लाभांश के स्तर पर निगरानी रखते हैं।

कंपनी, 'समायोजित निवल ऋण' एवं 'समायोजित एक्विटी' के अनुपात का उपयोग कर पूँजी की निगरानी रखती है। इसके लिए, कुल देयता से नकद एवं नकद समतुल्य को घटाकर समायोजित निवल ऋण सुनिश्चित किया जाता है। समायोजित एक्विटी में सुरक्षा रिज़र्व में जमा राशि को छोड़कर एक्विटी के सारे घटक शामिल हैं।

अनुपात को 2.00 से कम रखना कंपनी की नीति है। कंपनी की 31.03.2018 तक समायोजित निवल ऋण एवं एक्विटी अनुपात निम्नलिखित थे:

राशि ₹ लाख में

	31 मार्च 2018 तक	31 मार्च 2017 तक
कुल देयता	1,77,197.10	1,38,986.42
घटाइए: नकद एवं नकद समतुल्य	1,307.97	5,713.22
समायोजित निवल ऋण	1,75,889.13	1,33,273.20
कुल एक्विटी	1,29,367.80	1,59,281.81
घटाइए: बचाव रिज़र्व	-	-
समायोजित एक्विटी	1,29,367.80	1,59,281.81
समायोजित निवल ऋण एवं समायोजित एक्विटी का अनुपात	1.36	0.84

43 कर्मचारी लाभ से संबंधित परिसंपत्ति एवं देयता

नोट 3 में लेखा नीति देखें

i. उपदान

विवरण	नोट	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
निवल पारिभाषित लाभ परिसंपत्ति		-	-
कुल कर्मचारी लाभ परिसंपत्ति		-	-
निवल पारिभाषित लाभ देयता		(41.25)	(32.79)
कुल कर्मचारी लाभ देयता		(41.25)	(32.79)
दीर्घकालीन		40.51	32.23
चालू		0.74	0.56

निवल पारिभाषित लाभ देयता का सामंजस्य

पारिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का सामंजस्य

	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
वर्ष के आरंभ में शेष	32.79	21.46
लाभ प्रदत्त		
चालू सेवा लागत	7.70	4.24
ब्याज लागत	2.42	1.72
विगत सेवा लाभ		
अन्य व्यापक आय में मान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि		
- जनसांख्यिक मान्यताओं में परिवर्तन		
- वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन	0.09	2.98
- अनुभव समायोजन	(1.75)	2.39
वर्ष के अंत में शेष	41.25	32.79

नियोजित परिसंपत्ति के वर्तमान मूल्य का सामंजस्य

	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
नियोजन में प्रदत्त योगदान	-	-
लाभ प्रदत्त	-	-
ब्याज से आय	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्य नियोजित परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-
निवल पारिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)	-	-

पारिभाषित लाभ दायित्व

1. बीमांकिक मान्यताएँ

रिपोर्टिंग तिथि तक निम्नलिखित मुख्य बीमांकिक मान्यताएँ थीं (भारित औसत के तौर पर अभिव्यक्त)

	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
छूट दर	7.70%	7.40%
वेतन वृद्धि दर	11% प्रथम चार वर्ष के लिए और तदोपरान्त 7%	11% प्रथम चार वर्ष के लिए और तदोपरान्त 7%
महँगाई भत्ता की दर में वृद्धि (प्रति वर्ष)	6.16%	5.92%

2. लोकतांत्रिक मान्यताएँ

	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
मृत्यु दर (आइ.इ.एल.एम. 06-08 का %)	100%	100%
आहरण दर, वय आधारित (प्रति वर्ष)		
30 वर्ष तक	5.00%	5.00%
31-40 वर्ष	3.00%	3.00%
40 वर्ष से ऊपर	2.00%	2.00%

भविष्य की नश्वरता से संबंधित मान्यताएँ प्रकाशित सांख्यिकी और नश्वरता-सारणी पर आधारित हैं ।

3. सूक्ष्मग्राहिता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि तक अन्य मान्यता स्थिरांक धारित बीमांकिक मान्यताओं में एक संबंधित मान्यता के लिए तर्कसंगत संभावित परिवर्तन नीचे दिखाई गई राशि द्वारा पारिभाषित लाभ दायित्व प्रभावित हुआ होगा ।

	31 मार्च 18		31 मार्च 17	
	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि
छूट दर (1%परिचालन)	44.14	36.25	36.46	29.56
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	7.00%	-12.10%	11.20%	-9.90%
भविष्य की वेतन वृद्धि (1% परिचालन)	36.41	46.92	28.72	37.58
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	-11.70%	13.70%	-12.40%	14.60%
क्षयण दर (50% परिचालन)	41.67	40.76	33.15	32.44
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	1.00%	-1.20%	1.10%	-1.10%
मृत्यु दर (10% परिचालन)	40.90	41.60	32.51	33.07
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	-0.80%	0.80%	-0.80%	0.90%

ii. अवकाश मूल्यांकन

1. परिसंपत्ति एवं देयता (तुलनपत्र की स्थिति)

	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
दायित्व का वर्तमान मूल्य	64.07	47.20
नियोजित परिसंपत्ति का उचित मूल्य	-	-
अधिशेष/ (घाटा)	(64.07)	(47.20)
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव, यदि कोई हो	-	-
निवल परिसंपत्ति/ (देयता)	(64.07)	(47.20)

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में वर्तमान का द्विभागीकरण

	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
चालू देयता (अल्पावधि)	0.99	0.64
दीर्घकालीन देयता (दीर्घावधि)	63.08	46.56
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	64.07	47.20

44 प्रचालनीय पट्टे

क. पट्टेदार के तौर पर पट्टे

कंपनी के पास 60 वर्षों के लिए कार्यालय परिसर हेतु भूमि का प्रचालनीय पट्टा है जिसे प्रारंभिक शर्त के समाप्त होने के 60 दिन पहले सूचित कर दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से तय किए गए किराए पर अगले 10 वर्षों तक आवधिक आधार पर पुनः नवीनीकृत किया जा सकता है। इसके लिए कोई उप पट्टा नहीं है।

i. भविष्य की न्यूनतम पट्टा भुगतान

31 मार्च तक, रद्द नहीं किए जाने वाले प्रचालनीय पट्टे को भविष्य में न्यूनतम पट्टा भुगतान की राशि निम्नवत् हैं।

	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
एक वर्ष से कम समय में देय	0.10	0.10
एक से पाँच वर्ष के बीच देय	0.40	0.40
पाँच वर्ष से अधिक समय में देय	4.60	4.70
	5.10	5.20

ii. लाभ तथा हानि लेखा में मान्य राशि

	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष में	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष में
पट्टा व्यय	0.10	0.10

वित्तीय विवरणी के भाग के रूप में अन्य नोट

(राशि ₹ लाख में)

		31.03.2018 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आँकड़े	31.03.2017 की पिछली रिपोर्टिंग अवधि तक के आँकड़े
45	<p>आकस्मिक देयताएँ एवं प्रतिबद्धताएँ: (जहाँ तक कि प्रावधान न किया गया हो)</p> <p>i) आकस्मिक देयता: (क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया :-</p> <p>(i) माँग की तिथि तक ब्याज एवं शास्ति सहित कर्नाटक मूल्य आधारित कर एवं केंद्रीय विक्री कर । इन माँगों के प्रति (चालू एवं पिछली रिपोर्टिंग अवधि दोनों के लिए लागू) विरोध के तहत ₹ 912.47 लाख का भुगतान किया गया और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 12.03.2010 के अंतरिम आदेश के निर्देशानुसार ₹ 5,000 लाख की राशि जमा की गई ।</p> <p>(ii) इन माँगों के प्रति माँग की तिथि तक सेवा कर, विरोध के तहत ₹ 10,555.23 लाख (पिछले वर्ष ₹ 4,798.96 लाख) का भुगतान किया गया ।</p> <p>(iii) मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रति भारत सरकार द्वारा करार के रद्द किए जाने के कारण, वर्ष के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा ₹ 2,189 लाख (562.50 मिलियन अमेरिकी डालर, समझौते के अनुसार ₹ 43.78 लाख की विदेशी मुद्रा विनिमय दर से लागू) के परिनिर्धारित नुकसान की भरपाई तथा 25.02.2011 से निर्णय सुनाने की तिथि (14.09.2015) तक 3 महीने की छूट देते हुए 4% की दर से ब्याज तथा निर्णय की तिथि से पूर्ण भुगतान होने की तिथि तक 18 % प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने का निर्णय सुनाया है ।</p>	1,44,440.44	1,44,440.44
		11,122.33	4,798.96
		2,46,262.50	2,46,262.50
	कुल	4,01,825.27	3,95,501.90
	(ख) गारंटी:		
	(ग) अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है:-		
	1. कारण बताओ नोटिस के प्रति:		
	(i) सेवा कर इसके प्रति विरोध के तहत ₹ 233.30 लाख की राशि (विगत वर्ष ₹ 5,989.58 लाख) का भुगतान किया गया ।	233.30	6,558.57
	(ii) विरोध के तहत विवादित सेवा कर के भुगतान की तिथि तक सेवा कर पर ब्याज एवं शास्ति	18,343.50	18,343.50
	ii) प्रतिबद्धताएँ:		
	(क) संविदा की बची हुई अनुमानित राशि जिसे पूँजीगत लेखा पर निष्पादित किया जाना है तथा जिसके लिए प्रावधान न किया है;	शून्य	शून्य

(राशि ₹ लाख में)

	(ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ (प्रमोचन एवं परियोजनाओं से संबंधित बिक्री एवं सेवा के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताएँ)		1,22,797.98	81,337.38
46	(i) उक्त अवधि के लिए एक्विटी शेयरधारकों को वितरित किए जाने वाले प्रस्तावित लाभांश की राशि		6,700.00	18,000.00
	(ii) प्रति शेयर संबंधित राशि		0.01	0.05
47	बोर्ड की राय में, सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में, जब उल्लिखित राशि मूल राशि के लगभग बराबर हो तब स्थायी परिसंपत्ति एवं दीर्घकालीन निवेश के अलावा अन्य किसी परिसंपत्ति का कोई प्रापण मूल्य नहीं होता		बोर्ड की राय है कि ऐसी परिसंपत्ति का मूल्य कम-से-कम लेखा में उल्लिखित राशि के समान होगा जो सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया के क्रम में प्राप्य होगा।	बोर्ड की राय है कि ऐसी परिसंपत्ति का मूल्य कम-से-कम लेखा में उल्लिखित राशि के समान होगा जो सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया के क्रम में प्राप्य होगा

48. विवादों के विवरणः

क्र. सं.	विवाद की प्रकृति	फोरम/प्राधिकरण जहाँ मामला/विवाद लंबित है	31.03.2018 तक विवाद में शामिल राशि (₹ लाख में)	विवाद की स्थिति
i)	01.04.2005 से 31.07.2008 की अवधि के लिए के.वी.ए.टी. एवं सी.एस.टी. की माँग	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	20,595.56	माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील कार्यवाही जारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने “मूल्यांकन अधिकारी को मूल्यांकन कार्यवाही को लेकर आगे बढ़ सकने और अगले आदेश तक वसूली नहीं करने का आदेश दिया है।”
ii)	01.08.2008 से 31.03.2010 की अवधि के लिए के.वी.ए.टी. एवं सी.एस.टी.(वर्ष 2009-10 के लिए, के.वी.ए.टी. पुनः आकलित और इसलिए अलग से दिखाया गया)	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय/भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	7,109.80	मूल्यांकन अधिकारी द्वारा इस अवधि के लिए जारी मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध कंपनी ने कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर की है।
iii)	आदेश सं 221736837/05.01.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2009-10 के लिए के.वी.ए.टी	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय/भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	20,320.02	20 सितम्बर, 2016 को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश पारित कर एन्ट्रिक्स को अगस्त 2008 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए 3 महीने के भीतर माँगे गए कर के 50% जमा करने का निर्देश दिया। कर के शेष, ब्याज और शास्ति को शोधक्षम प्रतिभूति प्रस्तुत करने तक रोक लगा दी गई है।
iv)	आदेश सं. 259709721 / 24.02. 2016 द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 के लिए के.वी.ए.टी	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय/भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	20,577.15	
v)	आदेश सं. 251709773 / 24.02. 2016 द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 के लिए के.वी.ए.टी	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय/भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	23,325.87	माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष कंपनी द्वारा दायर समादेश अपील को भी दिनांक 14.12.2016 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।
vi)	आदेश सं. 275709811 / 24.02. 2016 द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 के लिए के.वी.ए.टी	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय/भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	26,183.62	कंपनी ने भारत के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अवकाश याचिका दायर की जिसे स्वीकार कर लिया गया है और सिविल अपील के तौर पर लंबित है तथा 2010 के मूल अपील सं.2349-2352 के साथ सुनवाई का आदेश दिया गया है। मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।
vii)	आदेश सं. 232709848 / 24.02. 2016 द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 के लिए के.वी.ए.टी	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय/भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	26,328.42	

viii)	“संस्थापन एवं प्रवर्तन सेवाओं” के तहत टेली-एडुकेशन एवं वीसैट उपकरण की आपूर्ति तथा संस्थापन पर माँगे गए सेवाकर	सीईएसटीएटी, बेंगलूर (केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण)	53.00	सीईएसटीएटी, बेंगलूर के समक्ष मामला लंबित है फिर भी ब्याज एवं शास्ति को छोड़कर माँग किए गए कर को विरोध के तहत भुगतान कर दिया गया है
ix)	01.10.2003 से 15.05.2008 तक की अवधि के लिए भारतीय ग्राहकों को विदेशी उपग्रह पट्टे पर देने के कारण माँगे गए सेवाकर	सीईएसटीएटी, बेंगलूर (केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण)	3,058.00	सीईएसटीएटी, बेंगलूर के समक्ष मामला लंबित है फिर भी ब्याज एवं शास्ति को छोड़कर माँग किए गए कर को विरोध के तहत भुगतान कर दिया गया है
x)	18.04.2006 से 31.05.2007 तक “टेलिग्राफ सेवाओं” के अंतर्गत एवं 01.06.2007 से 15.05.2008 तक “दूरसंचार सेवाओं” पर शुल्क वापसी प्रक्रिया के तहत विदेशी उपग्रह सेवा प्रदाता को अंतरिक्ष खण्ड क्षमता शुल्क पर सेवाकर की माँग	सीईएसटीएटी, बेंगलूर (केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण)	1,687.95	सीईएसटीएटी, बेंगलूर के समक्ष मामला लंबित है फिर भी, ब्याज एवं शास्ति को छोड़कर माँग किए गए कर को विरोध के तहत भुगतान कर दिया गया है
xi)	जुलाई 2012 से सितम्बर 2015 तक की अवधि के दौरान विदेशी उपग्रहों के लिए प्रमोचन सेवाएँ प्रदान करने के लिए माँग किए गए सेवाकर	सीईएसटीएटी, बेंगलूर (केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण)	6,323.38	सीईएसटीएटी, बेंगलूर के समक्ष मामला लंबित है फिर भी, ब्याज एवं शास्ति को छोड़कर सह-कर लाभ को पाने के बाद ₹ 5756.27 का सेवाकर विरोध के तहत भुगतान कर दिया गया है
xii)	अपनी संप्रभु क्षमता के तहत केंद्र सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुरूप कंपनी द्वारा करार रद्द किए जाने और वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए कंपनी को एस. बैण्ड में कक्षीय स्लॉट नहीं प्रदान करने के कारण मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (आइ.सी.सी.), पेरिस के समक्ष क्षति के लिए उठाया गया	अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश, बेंगलूर/दिल्ली उच्च न्यायालय /कर्नाटक उच्च न्यायालय/पेरिस का अपीलीय न्यायालय	40 (i) अ (iii) में उल्लिखित ₹ 2,46, 262.50 (562.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य) संविदा विदेशी मुद्रा विनिमय दर ₹ 43.78 की दर से ₹ 2,189 लाख की परिनिर्धारित क्षतियुक्त	आइ.सी.सी. न्यायाधिकरण ने कंपनी के विरुद्ध दिनांक 14.09.2015 के निर्णय में देवास को (i) 562.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान की भरपाई तथा (ii) 25.02.2011 से निर्णय सुनाने की तिथि तक 3-महीने की छूट देते हुए 4% की दर से ब्याज एवं (iii) निर्णय की तिथि से पूर्ण भुगतान होने की तिथि तक 18% प्रतिवर्ष की दर से (i) और (ii) पर ब्याज देने का निर्णय सुनाया है।
				आइ.सी.सी. के निर्णय की प्राप्ति के बाद देवास ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थ एवं समझौता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अंतर्गत याचिका दायर किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विवाचन न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 14.09.2015 को दिए गए निर्णय के अनुरूप अर्जित राशि को प्रतिभूत करने के लिए कंपनी को निर्देश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है पूरी तरह भुगतान होने की तिथि तक बैंक गारंटी प्रस्तुति या कंपनी के सभी बैंक खाताओं, प्राप्त्तों,अन्य सभी चल संपत्ति एवं अचल संपत्ति को संलग्न कर प्रतिभूति की माँग भी की गई है

			<p>दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 28 फरवरी, 2017 के अपने आदेश द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायक्षेत्र पर एन्ट्रिक्स की प्राथमिक आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया और एन्ट्रिक्स को आदेश दिया कि विगत तीन वर्षों के लेखापरीक्षित तुलनपत्र एवं लाभ तथा हानि लेखा पर शपथ-पत्र दाखिल करे। कंपनी ने इस बारे में एक शपथ-पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई 24 जुलाई, 2018 को होनी है।</p> <p>कंपनी ने, दिनांक 07 मार्च, 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपील संभाग के समक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 28 फरवरी, 2017 के आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की है। दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग ने दिनांक 30 मई, 2018 के अपने आदेश द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 28 फरवरी, 2017 के आदेश को रद्द कर दिया।</p> <p>यहाँ तक कि आइ.सी.सी. मध्यस्थता से पहले, कंपनी ने, अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश, बेंगलूरु के समक्ष मध्यस्थता आवेदन एवं मुकदमा दायर किया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि देवास द्वारा आइ.सी.सी. कार्यवाही पर रोक लगाई जाए तथा देवास द्वारा मध्यस्थता की प्रार्थना करार के अनुरूप नहीं होने के कारण अधिनिर्णय सुनाया जाए। कंपनी ने, (मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अंतर्गत) मध्यस्थता आवेदन और अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश, बेंगलूरु के समक्ष दायर सिविल मुकदमा में अपनी दलील पूरी कर ली है। दिनांक 14.09.2015 को आइ.सी.सी. अधिनिर्णय मिलने के बाद, कंपनी ने, आइ.सी.सी. न्यायाधिकरण द्वारा जारी अधिनिर्णय और इसे चुनौती देने के अपने प्रस्ताव के बारे में न्यायालय को सूचित करते हुए संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 24 अगस्त, 2016 को देवास ने धारा 9 के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। एन्ट्रिक्स ने सी.बी.आइ. एवं प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जाँच को दर्शाते हुए अंतरिम आवेदन भी प्रस्तुत किया। ये दो मामले दिनांक 04 सितम्बर, 2018 तक के लिए स्थगित हैं।</p> <p>कंपनी ने, अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश, बेंगलूरु के न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के तहत आइ.सी.सी. अधिनिर्णय को रद्द करने के लिए मध्यस्थता मुकदमा दायर किया। देवास ने बेंगलूरु नगर सिविल न्यायालय के न्याय-क्षेत्र पर प्रश्न उठाते हुए अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया। यह मामला दिनांक 03 सितम्बर, 2018 तक के लिए स्थगित है।</p>
--	--	--	---

			<p>कंपनी ने, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लंबित मामलों के निपटारे तक आइ.सी.सी. अधिनिर्णय को दी गई धारा 34 की अपनी चुनौती पर अगली सुनवाई को स्थगित किए जाने के लिए नगर सिविल न्यायालय, बंगलूरु के दिनांक 07.01.2017 के आदेश के विरुद्ध समादेश आवेदन प्रस्तुत किया। इस मामले की सुनवाई 07 फरवरी, 2017 को हुई और देवास को अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के लिए 27 फरवरी, 2017 तक का समय देकर सुनवाई स्थगित की गई। तब से मामला लंबित है।</p> <p>दिनांक 13 नवम्बर, 2015 की एक अधिसूचना के द्वारा देवास ने फ्रांस में पंचाट परिनिर्णय को फ़ैसले में परिवर्तित करवा लिया था और पेरिस के प्रथम वादी न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2015 का एक्सक्वाटर आदेश प्राप्त कर लिया। एन्ट्रिक्स ने इस एक्सक्वाटर आदेश के विरुद्ध पेरिस के अपीलीय न्यायालय में अपील दायर किया। 15 फरवरी, 2018 को इस मामले की मौखिक सुनवाई हुई। पेरिस के अपीलीय न्यायालय ने, 27 मार्च, 2018 के अपने आदेश द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2015 के अपने एक्सक्वाटर आदेश की पुष्टि की और एन्ट्रिक्स को कार्यवाही की फीस एवं व्यय के भुगतान का आदेश दिया और देवास को फ्रेंच कोड की सिविल प्रक्रिया के अनुच्छेद 700 का अनुसरण करते हुए 1,00,000 यूरो का भुगतान करने को कहा। अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से कानून मंत्रालय, भारत सरकार/निगरानी कक्ष के साथ परामर्श कर अगली कार्रवाई की जा रही है।</p>
--	--	--	--

49. वर्षात की मुद्रा विनिमय-दर का ब्योरा इसप्रकार है:

विवरण	वर्षात की मुद्रा विनिमय-दर (₹ लाख में)	नामे / जमा	लाभ तथा हानि लेखा
बैंक ईईएफसी चालू खाते तथा परिसंपत्ति एवं देयता	799.87 (471.57)	जमा नामे	विविध आय में जमा किया गया (विविध आय में नामे किया गया)

पिछले वर्ष के आँकड़े कोष्ठक में दर्शाए गए हैं।

50. भारतीय लेखाविधि मानक इण्ड एएस-38 के तहत प्रकटीकरण-अमूर्त परिसंपत्ति:

(क)	अमूर्त परिसंपत्ति की श्रेणी	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
(ख)	अमूर्त परिसंपत्ति की प्रकृति	अलग से प्राप्त
(ग)	उपयोगी जीवन या परिशोधन दर	निश्चित उपयोगी जीवन
(घ)	उपयोग में लाई गई परिशोधन पद्धति	अनुज्ञप्ति की अवधि के पार परिशोधन सीधी रेखा के आधार पर और इसके अभाव में 5 वर्ष होता है ।
(ङ.)	सकल वाहित राशि	₹ 79.81 लाख (विगत वर्ष ₹ 78.72 लाख)
(च)	संचित परिशोधन	₹ 26.44 लाख (विगत वर्ष ₹ 10.62 लाख)
(छ)	लाभ तथा हानि लेखा की लाइन सामग्री जिसमें किसी अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन शामिल है	मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय
(ज)	अवधि के आरंभ एवं अंत में संचित क्षति हानि	शून्य
(झ)	अवधि के आरंभ और अंत में वाहित राशि का सामंजस्य	
(i)	आंतरिक विकास से अलग, अलग से प्राप्त, एवं समामेलन से प्राप्त इंगित करते योग	अलग से प्राप्त - ₹ 1.09 लाख (विगत वर्ष ₹ 72.36 लाख) । आंतरिक तौर पर या समामेलन द्वारा विकसित कोई सॉफ्टवेयर नहीं है
(ii)	इण्ड एएस-105 और अन्य निपटारे के अनुरूप बिक्री के लिए नियंत्रित के रूप में वर्गीकृत या बिक्री के लिए नियंत्रित के रूप में वर्गीकृत निपटारे के समूह में शामिल परिसंपत्ति	शून्य (विगत वर्ष - शून्य)
(iii)	अवधि के दौरान, इण्ड एएस-36 के अनुरूप पुनर्मूल्यांकन और अन्य व्यापक आय में क्षति हानि स्वीकृत या प्रतिक्रमित से हुई वृद्धि या कमी	शून्य
(iv)	अवधि के दौरान, इण्ड एएस-36 के अनु रूप लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकृत क्षति हानि	शून्य
(v)	अवधि के दौरान स्वीकृत कोई समामेलन	₹ 15.82 लाख (विगत वर्ष ₹ 6.58 लाख)
(vi)	वित्तीय विवरणी के प्रदेय मुद्रा में स्थानांतरण, और अस्तित्व के विदेशी प्रचालन के प्रदेय मुद्रा में स्थानांतरण के कारण उद्भूत होने वाले निवल विनिमय अंतर	शून्य
(vii)	अवधि के दौरान वाहित राशि में अन्य परिवर्तन	शून्य

51. कंपनी ने अपने प्रथम इण्ड एएस वित्तीय विवरणी (2017-18) में भारतीय लेखाविधि मानक (इण्ड एएस)-114 - नियामक अनुपालन लेखा को लागू करने हेतु चयनित नहीं किया है क्योंकि इसने दर समंजित क्रियाकलाप संचालित नहीं किया है । तदनुसार, यह इण्ड एएस आगामी वित्तीय विवरणी की अवधि के लिए तब तक लागू नहीं है जब तक भविष्य में कंपनी द्वारा कोई दर नियामक क्रियाकलाप संचालित नहीं किया जाता। अतः, इण्ड एएस-114 के तहत, कंपनी के लिए प्रकटीकरण का अनुपालन लागू नहीं है ।

52. कंपनी हमेशा से इन्सैट/जीसैट अंतरिक्ष खण्ड शुल्क (एसएससी) राजस्व को प्रचालनों से राजस्व और अंतरिक्ष विभाग (डीओएस)से संबंधित बकाया राशि को राजस्व-लागत मानती रही है । वर्ष 2017-18 के दौरान, भारत के चार्टरित लेखाकार संस्थान (ईएसी) की विशेषज्ञ परामर्श समिति ने यह मत प्रकट किया कि इन राशि के निवल को प्रचालनों से राजस्व के रूप में माना जाना चाहिए । यद्यपि ईएसी ने, आयकर अधिनियम के तहत स्रोत पर कर-कटौती और माल एवं सेवाकर नियमों के तहत देयता के प्रभाव पर विचार नहीं किया है, तथापि कंपनी ऐसे मंतव्य की समीक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया में है और इस कारण कंपनी पुरानी व्यवस्था जारी रखे हुए है । यदि, कंपनी ने ईएसी के विचार पर अमल किया होता तो अंतरिक्ष खण्ड क्षमता प्राप्ति एवं तदनुसार, प्रचालनों से राजस्व एवं अंतरिक्ष खण्ड क्षमता शुल्क की लागत तथा प्रचालनों से राजस्व में वर्ष के लिए ₹ 80,388.58 लाख (विगत वर्ष ₹ 63,468.11 लाख) की कमी हो जाती । हालाँकि, इस वर्ष या विगत वर्ष के लाभ पर इस उपचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

53. निर्गत गारंटी के बदले में प्रतिभूति के तौर पर और प्रतिभूति जमा के एवज में केनरा बैंक में ₹ 0.47 लाख (विगत वर्ष ₹ 0.44 लाख) की सावधि जमा राशि शामिल है जिसे प्रतिभूति जमा के एवज में “वाणिज्यिक कर के सहायक आयुक्त”, जिला-“V” परिमंडल, बेंगलूरु के ग्रहणाधिकार के तहत रखा गया है।
54. कंपनी के लिए, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 164,72,500 यूरो, ₹ 11798.39 लाख के समतुल्य (विगत वर्ष 4,45,500 यूरो एवं 31,00,000 अमेरिकी डॉलर, समेकित रूप से ₹ 2,290.53 लाख के समतुल्य), की निर्गत गारंटी के बदले में कंपनी ने ₹ 12,926.12 लाख (विगत वर्ष ₹ 2,972.27 लाख) की राशि उनके साथ सावधि जमा के तौर पर बंधक रखे हुए है। हालाँकि, कंपनी उक्त सावधि जमा पर कार्ड दर से ब्याज अर्जित कर रही है। फिलहाल, भारतीय लेखाविधि मानक (इण्ड एएस) -37 में - “प्रावधान” का कोई प्रसंग पारिभाषित नहीं है।
55. अन्य प्रतिबद्धता- अन्य नोट सं. 45(ii)(ब) ₹ 2,45,855.22 लाख (विगत वर्ष ₹ 1,99,012.27 लाख) की आपूर्ति एवं सेवा के लिए क्रियान्वित राशि के प्रति ₹ 1,22,797.98 लाख (विगत वर्ष - ₹ 81,337.38 लाख) की निवल प्रतिबद्धता है और इन निविदाओं के एवज में ग्राहक से प्राप्त अग्रिम ₹ 1,11,514.11 लाख (विगत वर्ष - ₹ 1,22,674.94 लाख) है।
56. इण्ड एएस में स्थानांतरण के मद्देनजर और केवल भौतिक सामग्री को पूर्वावधि मद में वर्गीकरण के लिए लेखाविधि नीति में पूर्व अवधि मद की प्रारंभिक सीमा की समीक्षा की गई। वर्तमान वित्त वर्ष में, इन सुधारों के कारण अंतरिक्ष खण्ड क्षमता प्राप्ति से आय में ₹ 11.21 लाख तथा अंतरिक्ष खण्ड क्षमता शुल्क की लागत में ₹ 58.25 लाख की वृद्धि हुई जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान वर्ष का लाभ घटकर ₹ 47.05 लाख हो गया।
57. कंपनी ने, जिनके साथ करार समाप्त को चुका है के सिवाय, सभी ग्राहकों से 31 मार्च, 2018 तक शेष की पुष्टि के लिए अनुरोध किया है और केवल कुछेक ग्राहकों से ही उत्तर मिल पाया है। अंतर पाए जाने वाले ग्राहकों के लेखा का सामंजस्य जारी है। प्रबंधन की दृष्टि में इस सामंजस्य का लाभ तथा हानि लेखा पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
58. अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से 31 मार्च, 2018 तक शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। प्रबंधन की दृष्टि में ऐसी अपुष्टि से वर्ष के लाभ पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
59. सरकारी विभागों/संगठनों यथा डी.ई.ए.एल (रक्षा मंत्रालय), दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल) से ₹ 41,792.37 लाख के लंबित बकाया के संदर्भ में अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस)/इसरो मुख्यालय, जो इन करारों में एक पक्षकार है, द्वारा बकाए की वसूली के लिए सचिव स्तर पर परिचर्चा प्रगति पर है। परिचर्चा के परिणाम और अं.वि./इसरो मु. की सलाह पर लेखा-पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाएँगी।
60. 01.04.2005 से 31.03.2014 तक वाणिज्यिक कर विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा माँगे गए के.ए.वी.टी. एवं सी.एस.टी से संबंधित ₹ 1,44,440.43 लाख की आकस्मिक देयता जो नोट-सं.45(i)(अ)(i) द्वारा दर्शाया गया है, में माँग की तिथि से तुलनपत्र की तिथि तक ब्याज एवं शास्ति शामिल नहीं है।
61. आकस्मिक परिसंपत्ति जो इन कारणों से उद्भूत हो सकती हैं:-
- सेवा-शुल्क की प्राप्ति/व्यापार प्राप्य से बकाया के लिए ₹ 3,286.01 लाख की शास्ति ब्याज की प्राप्ति; एवं
 - 01.04.2016 से 31.03.2018 तक प्रभावी मूल्यों में पुनरीक्षण के लिए ग्राहक द्वारा करार / संशोधन के क्रियान्वयन नहीं होने के कारण ₹ 1,966.70 लाख (₹ 13,111.36 लाख की आकस्मिक परिसंपत्ति का निवल एवं ₹ 11,144.66 लाख की संबंधित आकस्मिक देयता) की अंतरिक्ष खण्ड क्षमता की राशि में अंतर के लिए बिल नहीं प्रस्तुत होने के कारण इण्ड एएस-37 के तहत लेखा-पुस्तिका में स्वीकृति नहीं हो पाई।
62. 12 महीने से अधिक की परिपक्वता तिथि की सावधि जमा राशि, जो अगली रिपोर्टिंग अवधि से पहले परिपक्व हो रही है, को “चालू परिसंपत्ति” के तहत “अन्य बैंक शेषराशि” के तौर पर पुनर्वर्गीकृत की गई है।

63. अन्य कर परिसंपत्ति के तहत विभिन्न आकलन वर्षों के लिए आयकर वापसी बकाए की स्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:-

वित्त वर्ष	लेखा के अनुसार वापसी आयकर बकाया (₹ लाख में)	स्थिति
2007-08	3,014.69	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया एवं सीबीडीटी के समक्ष धारा 119(2) (बी) के तहत अनुरोध लंबित है।
2009-10	155.37	टीडीएस वापसी आवेदित एवं आयकर के तहत प्रक्रियाधीन है।
2014-15	3,631.36	मई 2018 के दौरान वापसी की प्राप्ति।
2015-16	1,221.16	आयकर जाँच आकलन लंबित है।
2016-17	3,349.21	आयकर जाँच आकलन लंबित है।
कुल	11,371.79	

उपर्युक्त आयकर बकाया वापसी में टी.डी.एस प्रमाणपत्रों और ग्राहकों से प्राप्त भुगतान पत्रक/सूचना पर आधारित लेखाविधित स्रोतों पर कर कटौती शामिल है। आकलन अधिकारी के समक्ष आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत संशोधन आवेदन-पत्र दाखिल किया जा चुका है तथा लेखा के अनुसार एवं आयकर विभाग द्वारा स्वीकृत राशि के अनुसार, बकाया राशि, जैसा कि उपर्युक्त सारणी में अन्य द्वारा किए गए टी.डी.एस का ब्योरा दिया गया है, के बीच सामंजस्य प्रगति पर है। सामंजस्य के पूरे होने के बाद तथा धारा 154 के आवेदन-पत्र के प्रति आदेश की प्राप्ति के बाद लेखा-पुस्तिकाओं में उपयुक्त लेखाविधि व्यवस्था की जाएगी। प्रबंधन का विचार है कि सामंजस्य के लंबित होने के कारण लाभ तथा हानि लेखा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

64. विगत वर्ष के सामग्री वर्गीकरण के आँकड़ों के विवरण:

1. नोट सं.13 में शेष राशि - नकद एवं नकद समतुल्य (विगत वर्ष की वित्तीय विवरणी में नोट सं.12) को नोट सं.14-अन्य बैंक शेष राशि के तहत पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
2. ₹ 6670.39 लाख की वह राशि जिसे विगत वर्ष में “अन्य वित्तीय देयता” के तहत वर्गीकृत किया गया था, को अब “अन्य दीर्घकालीन देयता” (नोट 21 (i)) के तहत वर्गीकृत किया गया है।
3. ₹ 122.63 लाख की वह राशि जिसे विगत वर्ष में “प्रचालनों से राजस्व” के तहत वर्गीकृत किया गया था, को अब नोट सं.27 (सी) में विदेशी मुद्रा अंतरण हानि की राशि के तहत डाला गया है।

नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन और अधिक स्पष्टता के लिए वर्गीकरण किया गया है।

65. वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति को समनुरूप बनाने के लिए रुपए को निकटतम लाख के रूप में पूर्णांकित किया गया है और जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, विगत वर्ष के आँकड़ों को पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

हमारी संलग्न समतिथीय रिपोर्ट के अनुसार
कृते बी वी राव एवं कं एल.एल.पी
चार्टरित लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.003118एस/S/एस/S200049

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(बी.ए.एस.पी रंगा)
भागीदार
आइसीएआइ सदस्य सं 22649

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
(एस कुमारस्वामी)
निदेशक

बेंगलूरु
तिथि: 16.07.2018

बेंगलूरु
तिथि: 16.07.2018

नोट सं.18 एवं नोट सं.33 में वर्णित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु व्यय राशि का विवरण

विवरण	31.03. 2018 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2017 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
वर्ष के लिए कंपनी द्वारा व्यय किए जाने के लिए आबंटित राशि	676.16	626.40
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि (वास्तविक भुगतान हेतु न कि सहायतार्थ)		
(i) किसी स्थाई परिसंपत्ति का निर्माण/संग्रहण	शून्य	शून्य
(ii) उपर्युक्त (i) के उद्देश्यों के अलावा निम्नानुसार यथा विवरित:		
राष्ट्रीय खेल विकास की प्रगति के लिए योगदान	5.00	5.00
केयर इंडिया द्वारा बालिकाओं की सहायता के लिए उड़ान परियोजना हेतु योगदान	12.78	6.57
दीर्घकालिक विकास हेतु समाधान		
विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं संबंधित क्रियाकलापों के लिए योगदान	54.92	25.01
शिरोपरि टंकी के निर्माण के लिए योगदान	64.90	20.00
मल निस्तारण संयंत्र के लिए योगदान	0.00	30.00
ग्राम विकास के लिए योगदान	175.13	61.41
सात दृष्टिबाधित लोगों के नेत्रों की शल्य-चिकित्सा के लिए सहयोग हेतु मेसर्स	0.72	0.00
भारतीय नेत्रहीन संस्था को योगदान		
सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (ए.एफ़.एफ़.डी.एफ़) में युद्ध में वीरगति प्राप्त योद्धाओं की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिए मेसर्स केंद्रीय सैनिक बोर्ड (के.एस.बी) को योगदान	10.00	0.00
दिव्यांग, मस्तिष्क-विकृति, श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित एवं मानसिक रोगियों के लिए मेसर्स यूनाइटेड अनाथालय को योगदान	1.15	0.00
ग्रामीण महिला विकास के लिए प्रगतिशील महिला संस्थान को योगदान	19.80	0.00
वेम्बनाड झील में, वेटलैण्ड संरक्षण कार्यक्रम के लिए मेसर्स अत्री, केरल को योगदान	45.24	0.00
बंदीगृह में रहने वाले कैदियों के कौशल विकास कार्यक्रम के लिए महानिदेशक, बंदीगृह एवं सुधारात्मक सेवा, तेलंगाना के लिए योगदान	2.67	0.00
विद्यालयों, अस्पतालों एवं सार्वजनिक उपयोग के स्थानों के लिए सुलभ इंटरनेशनल को योगदान	198.21	268.13
दिव्यांग लोगों के लिए उपकरण एवं सहायक सामग्री का योगदान	83.83	75.49
पाँवफिरा रोग से ग्रसित दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए क्योर इंटरनेशनल इंडिया ट्रस्ट को योगदान	5.76	0.00
सी.एस.आर क्रियाकलापों के लिए परामर्शिता शुल्क	15.37	0.00
सी.एस.आर क्रियाकलापों के लिए किए गए व्यय	0.84	2.16
	696.31	493.77

इण्ड ए.एस. 24 के अनुरूप सी.एस.आर. व्यय से जुड़े संबंधित पक्ष अंतरण का ब्योरा - संबंधित पक्ष प्रकटीकरण - शून्य (विगत वर्ष-शून्य)

नोट 17 का परिशिष्ट

तुलनपत्र तैयार किए जाने तक पिछले पाँच वर्ष के आँकड़े

राशि ₹ लाख में

	31.03.2018 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2017 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2016 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2015 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2014 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2013 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
(i)	बिना नकद प्राप्ति के संविदा के अनुरूप पूर्ण प्रदत्त शेयर के तौर पर आबंटित शेयर के प्रकार एवं कुल संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बोनस शेयर के माध्यम से पूर्ण प्रदत्त शेयर के तौर पर आबंटित शेयर के प्रकार एवं कुल संख्या	₹ 100/-प्रत्येक की दर से ₹ 340 लाख मूल्य के 3,40,000 एक्विटी शेयर	शून्य	₹ 100/-प्रत्येक की दर से ₹ 300 लाख मूल्य के 3,00,000 एक्विटी शेयर	शून्य	शून्य
(iii)	पुनः खरीदे गए शेयर के प्रकार एवं कुल संख्या	₹ 100/-प्रत्येक के प्रत्यक्ष मूल्य पर ₹ 0.40 लाख प्रत्येक के 60,000 एक्विटी शेयर की पुनः खरीदारी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अंतरिक्ष भवन, न्यू बी.ई.एल. रोड, बेंगलूरु-560 094
दूरभाष : + 91 80 2217 8302/31/11, फैक्स : + 91 80 2217 8337
वेबसाइट : www.antrix.co.in